समसामयिकी

जनवरी-2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय - सूची

राजनीति और शासन

4 गैर सरकारी संगठनों को विदेशी कृपा प्रढान (फंडिंग)
4 गैर सरकारी संगठनों के कोष के बारे में सीबीआई विश्लेषण
5 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्मार्ट कार्ड
5 अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार
5 शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2014
6 खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2015
7 राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना (HRIDAY)
7 नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015
8 सार्वजानिक वितरण प्रणाली (PDS) की समस्याएँ
8 अमेरिका ' MAKE IN INDIA ' नियम के बारे में चिंतित
9 1000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा परियोजनाएँ
9 भारत-अमेरिका सौर मुद्दा
9 अनुच्छेद 108 पर राष्ट्रपति का विचार/राय
9 अध्यादेश राज
10 अनुच्छेद 371 (J)
10 उपभोक्ता संरक्षण
11 RTI आवेदक एक उपभोक्ता नहीं
11 जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन
12 असम में AFSPA (एएफएसपीए)
12 मोटर वाहन (संशोधन) अध्यादेश, 2015
13 शांता कुमार समिति
14 भरण पोषण हेतु हिन्दू पत्नी के अधिकार
14 पूर्वोत्तर के लोगों के हेतु पहल
15 जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े मुद्दे
16 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान
16 भारत के छोटे किसान
17 पूर्वोत्तर में बनाओ (मेक इन नार्थईस्ट)
17 सरदार पटेल शहरी आवास मिशन
17 महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन
18 नीति आयोग
20 राष्ट्रपति ने NJAC की स्थापना हेतु अनुमति दी
20 NJAC को असंवैधानिक घोषित हेतु उच्चतम न्यायालय के वकीलों की याचिका

अंतर्राष्ट्रीय संबंध : भारत और विश्व

22 केरी - लुगर - बर्गमैन अधिनियम
22 स्वर्णिम त्रिभुज (GOLDEN TRIANGLE)
23 फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जुड़ने के लिए तैयार
23 नेपाल रेशम मार्ग (SILK ROAD) आर्थिक बेल्ट में शामिल
24 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
24 13वां प्रवासी भारतीय दिवस
24 भारत, दक्षिण अफ्रीका इंक समझौता ज्ञापन
24 यूरोपीय संघ ने भारतीय आमों से प्रतिबंध हटाया
25 भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन
25 पेरिस में पत्रिका कार्यालय पर आतंकी हमले
26 वैश्विक असमानता: ऑक्सफेम (OXFAME)
26 इटली के नौसैनिकों पर यूरोपीय संसद का पस्ताव
26 अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा

अर्थव्यवस्था

29 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार
29 ज्ञान संगम
29 जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट)
30 वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट
30 कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
31 पंच-दीप परियोजना
31 भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस-बेसिस पॉइंट्स) की कटौती की-
32 आधार वर्ष में बदलाव
32 दक्षिण एशिया में असमानता : विश्व बैंक की रिपोर्ट
33 वोडाफोन कर मामला
33 भारत 2016-17 में चीन की विकास दर के समान विकास दर प्राप्त कर लेगा: विश्व बैंक

सामाजिक मुद्दे एवं स्वास्थ्य

34 स्वास्थ्य एक मूल अधिकार के रूप में

34 रक्त-समूह (ब्लड-ग्रुप)
36 सुपर मास्कीटो
36 मैनिन्जाइटिस वैक्सीन
37 स्वाईन फ्लू
38 नसबंदी के प्रति लैंगिक दृष्टिकोण
38 एशियाई मानवाधिकार केन्द्र (ACHR)
39 मानवाधिकार पर रिपोर्ट
39 अनुसूचित जाति हेतु वेंचर कैपिटल (उद्यम पूंजी)
39 बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना
39 लैंगिक भेदभाव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

41 प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching)
41 कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन
41 भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ)
42 अंतरिक्ष पायनियर पुरस्कार (Space Pioneer Award)
42 इंटेलिजेंट रेड लाइट वायलेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम(IRIDS)
42 प्रकाश पथ
42 गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
43 गोल्डीलॉक्स जोन
43 ईगल नेबुला के 'पिलर ऑफ क्रिएशन' (Eagle Nabula's 'Pillars of Creation)
44 बांग्लादेश के द्वीप तटबंधों के कारण डूब रहे हैं
44 वन उल्लू (Forest Owlet)
44 काले सिर वाले गिलहरी बंदर (Black-Headed Squirrel Monkey)
44 बीगल 2 (BEAGLE 2)
44 2014 पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष
45 बाघों की आबादी
45 सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी (SDO)
45 पेंघु 1 (PENGHU 1)
45 सेरेस (SERES)
46 अग्नि-V
46 कैस्पोल (CASPOL)
46 क्लोरोफाईटम पालघाटेंस (CHLOROPHYTUM PALGHATENSE):
47 पौध संरक्षण संहिता (Plant Protection Code)
47 संपर्क रहित (contactless) क्रेडिट और डेबिट कार्ड
47 नजदीक फील्ड संचार (NEAR FIELD COMMUNICATION)
47 डिजिटल गांव
48 कस्तूरीरंगन रिपोर्ट

सुरक्षा

49 केन्द्रीय आतंकवाद-प्रतिरोधी तंत्र
49 हिम्मत ऐप
50 महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जांच इकाइयां
50 आईटी अधिनियम की धारा 69 A
50 यूएनएचसीआर (शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त) UNHCR की रिपोर्ट
51 भारत में शरणार्थीयों का दर्जा

संस्कृति

51 शास्त्रीय भाषा का दर्जा
52 विज्ञान कांग्रेस ने प्राचीन भारत के 'कार्यों' की प्रशंसा की
52 हड़प्पा स्थल पर खुदाई से आवास-योजना का पता चला
52 शैल चित्र कला

 ©Vision IAS

राजनीति और शासन

गैर सरकारी संगठनों को विदेशी कृपा प्रढान फंडिंग

- सरकार ने चार अमेरिकी गैर सरकारी संगठनों आवाज, (AVAAJ) बैंक इनफार्मेशन सेंटर (BIC), सिएरा क्लब और 350.org, के कामकाज पर रोक लगाई है। इससे पहले सरकार ने ग्रीनपीस के विरुद्ध भी यह कदम उठाया था। गृह मंत्रालय (MHA) ने उसकी मंजूरी के बिना इन गैर सरकारी संगठनों या इनके प्रतिनिधियों के खातों में किसी भी प्रकार की विदेशी कृपा प्रढान (फंडिंग) को रोकने के लिए रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) को निर्देश दिया है।

Green groups take part in the People's Climate march organised by Avaaz in Delhi on September 20, 2014. – PHOTO: RAJEEV BHATT

- बी.आई.सी. आवाज, 350.org और सिएरा क्लब, 'कोयला परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव' से संबंधित कार्यों में लगे हुए थे।

खुफिया ब्यूरो रिपोर्ट, 2014

2014 में खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट ''कुछ चुनिंदा विदेशी धन प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय विकास परियोजनाओं को अवरूद्ध करने के प्रयास'', के अनुसार पर्यावरण क्षेत्र से सम्बंधित विदेशी धन से प्रायोजित कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा सम्पूर्ण देश में विकास परियोजनाओं को लक्षित किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों की विकासात्मक परियोजनाओं का गैर सरकारी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है ।

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों
- यूरेनियम खानों
- कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों (CFPPs)
- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs)
- वृहद औद्योगिक परियोजनाओं (जैसे- पोस्को और वेंदंता)
- जलविद्युत परियोजनाओं (नर्मदा सागर पर और अरुणाचल प्रदेश में) और
- उत्तर-पूर्व में निष्कर्षण उद्योग (तेल, चूना पत्थर) आदि से सम्बंधित परियोजनाओं

पश्चिमी देशों की सरकारों की सामरिक विदेश नीति से सम्बंधित हितों को साधने हेतु उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को दोष देते हुए, आईबी की रिपोर्ट ने दावा किया कि गैर सरकारी संगठनों का नकारात्मक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-3% प्रतिवर्ष है।

विश्लेषण

- कई प्रख्यात नागरिकों ने गैर सरकारी संगठनों के कामकाज पर रोक लगाने पर चिंता व्यक्त की है, इनका कहना है कि सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में काम कर रही है.
- गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए सरकार को समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा उठाई जा रही असहमति की आवाज पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। अपितु उनको उच्चतर वरीयता दी जानी चाहिए।
- साथ ही, गैर-सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग को तत्काल विनियमित करने की आवश्यकता है, इसके लिए विदेशियों के योगदान और पंजीकरण अधिनियम (FCRA) में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है।

गैर सरकारी संगठनों के कोष के बारे में सीबीआई

विश्लेषण

पृष्ठभूमि

- अन्ना हजारे के हिंद स्वराज ट्रस्ट में ' अनियमितताओं' की जांच के लिए सीबीआई को दिशा-निर्देश देने के लिए अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मे एक जनहित याचिका दायर की गयी थी।
- जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित किया जिसमें विभिन्न अधिकारियों (authorities) के साथ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा हो और इस बात का भी संकेत हो कि क्या ये गैर सरकारी संगठन नियमित रूप से बैलेंस शीट दाखिल कर रहे हैं।
- अदालत ने याचिका के दायरे का विस्तार करते हुए सीबीआई को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत देश में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों की पूरी सूची दाखिल करने के लिए निर्देश दिया था A

सीबीआई के निष्कर्ष

- 22 लाख से अधिक गैर-सरकारी संगठनों में से केवल 10 प्रतिशत ही उनकी वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा उन प्राधिकरणों को, जिनके साथ वे पंजीकृत हैं, प्रस्तुत करते हैं।
- सीबीआई ने अनुदान के सन्दर्भ में गैर-सरकारी संगठनों पर एक पूर्व शर्त लागू करने के लिए अदालत से आग्रह किया कि आगे अनुदान की अनुमति तभी प्रदान की जाए

VISION IAS

जब वे इससे पहले, पिछले तीन वर्षों की आय और व्यय का ब्यौरा उनकी बैलेंस शीट सहित प्रस्तुत करें।

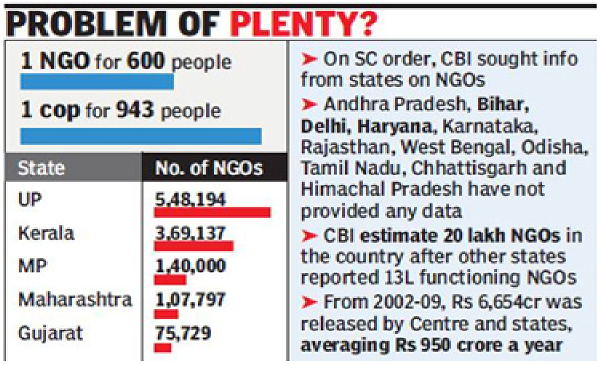

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्मार्ट कार्ड

असंगठित क्षेत्र में हर श्रमिक को जल्द ही सामाजिक योजनाओं तक पहुँचने और लाभ लेने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जायेगा ।

- गुजरात मे इसके लिए (U-WIN) नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है ।
- इसमें प्रस्ताव है की सभी श्रमिकों को तीन सेवायें निश्चित रूप से मिलनी चाहिए है- स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और विकलांगता सहायता।
- इस कार्ड के द्वारा श्रमिक स्वयं को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में प्रमाणित कर सकेंगे, और एक पोर्टेबल कार्ड के माध्यम से इन लाभान्वित होंगे
- पोर्टेबल लाभ कार्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत जारी किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- असंगठित क्षेत्र उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार 394 मिलियन से अधिक श्रमिक जो देश की कामकाजी आबादी का लगभग 87 प्रतिशत है, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं ।
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को 2004 में अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में NCEUS की स्थापना के बाद पारित किया गया था।
- अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड' के गठन का प्रावधान किया गया है, यह बोर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तथा पेंशन योजनाओं की सिफारिश करता है।

अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार

पृष्ठभूमि

अप्रवासी भारतीयों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक संशोधन के माध्यम से 2010 में मतदान के अधिकार दिए गए थे: संसद ने जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से धारा 20A को सम्मिलित किया, इसमें संशोधन से पहले, केवल ''साधारण निवासी'' वोट डाल सकते थे। संशोधन के अंतर्गत, दो शर्तों को पूरा करने पर ही अनिवासी भारतीय अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं-

- एक मतदाता के रूप में पंजीकृत: अनिवासी भारतीयों के भारत छोड़ने से पहले उनका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, जहाँ के निवासी के रूप में वे सूचीबद्ध हैं।
- शारीरिक रूप से उपस्थिति: धारा 20 के अनुसार अनिवासी भारतीयों के लिए चुनावों के समय में उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 20 (A) के द्वारा बनाई गई ''निहित असमानता' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी।

याचिका के अंतर्गत इस बात पर बहस की गयी है कि यह प्रावधान आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर व्यक्तियों को इस हद तक अलग-अलग स्तर पर रखता है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है।

सरकार की प्रतिक्रिया

- चुनाव आयोग द्वारा ''अप्रवासी मतदाता द्वारा मतदान के लिए वैकल्पिक विकल्पों की व्यवहार्यता की खोज'' के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गयी।
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है की उसने अनिवासी भारतीयों को ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से या प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) के माध्यम से मतदान करने के लिए अनुमति देने की चुनाव आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

अप्रवासी मतदान के प्रभाव

- विदेश में लगभग 10 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 18,000 मत विदेश से डाले जा सकते हैं।
- यदि ये अतिरिक्त वोट डाले जाते हैं, तो जाहिर है कि राज्य के और आम चुनाव में इन मतों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2014

शैक्षिक ट्रस्ट 'प्रथम' द्वारा जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2014, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आगत (input) और परिणाम (output) के बीच अंतराल को इंगित करती है। इस ट्रस्ट की यह दसवीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2014 के

VISION IAS

अनुसार, भारत भर में औसतन केवल 481 प्रतिशत पांचवीं कक्षा के बच्चे, एक द्वितीय श्रेणी के स्तर के पाठ को पढ़ सकते हैं।

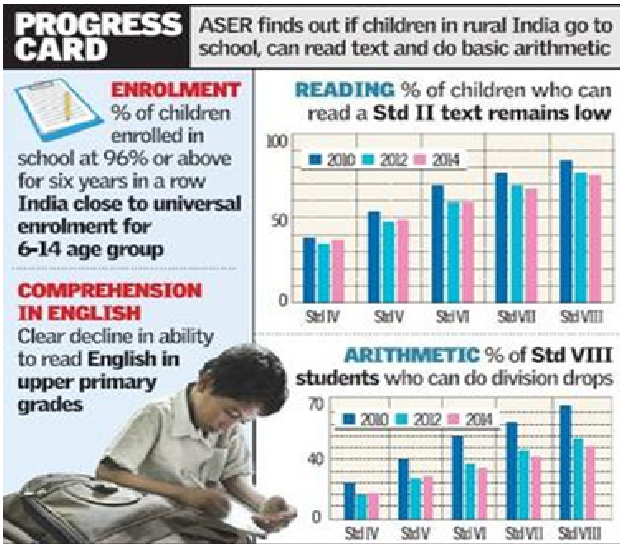

- हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें कुछ सुधार है, 2013 में यह आंकड़ा 47 फीसदी था, तमिलनाडु में यह प्रतिशत 31.9 से बढ़कर 46.9 प्रतिशत हुआ है।
- देश भर में, किसी तीन अंकों की संख्या को एक अंक से विभाजित करने की कक्षा 5 के बच्चों की क्षमता 2010 में 36.2 प्रतिशत से घटकर 2014 में 26.1 प्रतिशत हो गयी है।
- पढ़ने और गणित के मामले में सीखने के परिणाम (learning outcome) 2013 के बाद से लगभग स्थिर हो गए है।
- छह वर्ष से लगातार 6-14 आयु वर्ग में लगभग सार्वभौमिक नामांकन की स्थिति बनी हुई है।

विश्लेषण:

- नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बुनियादी शिक्षा के मामले में सावधानी बरतने को कहा है क्योंकि बुनियादी शिक्षा से वंचित होने पर लोगों को आजीवन असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
- ASER में अध्यापन के तरीकों में निहित विफलताओं पर चिंता व्यक्त की गयी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे पाठयक्रम पर अधिक बल दिया जाना जो परीक्षा परिणामोन्मुखी तो हैं लेकिन यह सीखने की प्रक्रिया, जो अवधारणाओं की समझ बढ़ाने की ओर उन्मुख होती है, से समझौता करके किया जा रहा है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2015

पृष्ठभूमि

- देश में दिये जाने वाले नये खनन पट्टों की संख्या काफी कम हो गई है।
- इसके अतिरिक्त खनन पट्टों का नवीनीकरण भी अदालत के फैसलों से प्रभावित हुए हैं।

नतीजतन, खनन क्षेत्र में उत्पादन काफी नीचे आ गया है, और उन खनिजों के उपयोगकर्ताओं द्वारा खनिजों का आयात किया जा रहा है।

अध्यादेश का प्रंख्यापन खनन उद्योग में आकस्मिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक बन गया था। अध्यादेश के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:

अवैध खनन पर रोक के लिए मजबूत प्रावधान

- वैध खनन पर रोक लगाने के लिए दंडात्मक प्रावधान और कड़े किए गए हैं। ज्यादा दंड और लम्बे समय तक जेल का प्रावधान अध्यादेश में किया गया है:
- अवैध खनन से संबंधित मामलों पर फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालतों के गठन के लिए एक प्रावधान बनाया गया है।

प्रक्रिया का सरलीकरण और प्रक्रियागत विलंब को समाप्त करना

- प्रथम अनुसूची के भाग C में दस खनिजों (जैसे- लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, आदि) के संबंध में राज्य सरकार को खनिज रियायत प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत होती थी। संशोधन द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से इस तरह के पूर्व अनुमोदन की जरूरत को हटा दिया गया है।
- मौजूदा अधिनियम में किसी भी खनन पट्टे की अवधि 30 वर्ष तक होती है, अब अध्यादेश में इसे 30 वर्ष के स्थान पर 50 वर्ष किया गया है।
- अध्यादेश में पट्टों के नवीनीकरण की अवधारणा को हटा दिया गया है, और पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद पट्टों की पुनः नीलामी की जाएगी।
- जहाँ राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर आदेश पारित नहीं कर पाती वहां केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। इससे प्रक्रियागत देरी समाप्त होगी ।

अन्वेषण और निवेश को बढ़ावा

- अध्यादेश में खनन पट्टा धारकों के योगदान से एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव है। इससे सरकार के पास अन्वेषण शुरू करने के लिए एक समर्पित निधि की होगी।
- हस्तांतरण का प्रावधान (नीलामी के माध्यम से दिए गये खनन पट्टों के संबंध में) खनन क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को बढ़ायेगा और इससे खनन क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रभावित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा

- जहां खनन हो रहा है उन जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) स्थापित करने का प्रावधान है। नागरिक समाज की

VISION IAS

लंबे समय से यह शिकायत रही है कि खनन से प्रभावित लोगों की परवाह नहीं की जाती है, इस शिकायत का समाधान करने के लिये ऐसी व्यवस्था की गयी है।

- जिला खनिज फाउंडेशन मे योगदान के लिए अलग से प्रावधान है, यह संबंधित खनिजों में रॉयल्टी दर के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकता।

विवेकाधिकार को हटाना तथा आवंटन के लिये मानक तरीका अपनाना

- नीलामी आवंटन का एकमात्र तरीका होगा :
- सभी खनिज रियायत केवल नीलामी के माध्यम से दी जाएगी।
- थोक खनिजों के लिए खनन पट्टों की प्रत्यक्ष नीलामी; गहरे बैठे (deep-seated) खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टों की नीलामी।

राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना (HRIDAY)

- यह हाल ही में शुरू की गयी एक योजना है, जिसके अंतर्गत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और इसे जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।
- यह योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी है इसके अंतर्गत सिर्फ स्मारकों के रखरखाव पर ही नहीं अपितु अपने नागरिकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायों सहित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है।
- (UNESCO) यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के साथ, भारत का स्थान एशिया में दूसरा और विश्व में पांचवां है। देश की पर्यटन की संभावनाओ का अभी भी पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया जा सका है और इस योजना से इस संबंध में मदद मिलेगी।
- (HRIDAY) नामक इस 'केन्द्रीय योजना' के तहत पहले चरण में चयनित 12 शहरों के लिए 500 करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी।

वाराणसी-क्योटो समझौता

केंद्र ने क्योटो-वाराणसी भागीदारी के लिए पांच क्षेत्रों की पहचान की है, जिसके आधार पर पवित्र शहर (वाराणसी) को फिर से जीवंत करने में मदद करने के लिए जापान इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगा। इसके अ

- ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन
- परिवहन प्रबंधन
- वाराणसी में और आस-पास बौद्ध पर्यटन सर्किट का विकास
- उद्योग-विश्वविद्यालय इंटरफेस और
- शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर एक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना।

राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना (HRIDAY) के तहत वाराणसी के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2015 के तहत भारतीय नागरिक अधिनियम-1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं –

- वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार एक वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन, अगर केन्द्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में लिखित रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद 12 माह के अनिवार्य प्रावधान में अधिकतम 30 दिन की छूट दी जा सकती है, जो अलग-अलग अंतराल में हो सकती है।
- भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) के तौर पर पंजीकरण की शर्तों को उदार बनाया जाएगा।
- ऐसे नागरिकों के बच्चों या पोता-पोतियों अथवा पड़ पोता-पोतियों को प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा।
- धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा और जिनकी शादी दो वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो, वे तुरंत ही इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- वर्तमान पी आई ओ (PIO) कार्डधारकों के संबंध में केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर यह स्पष्ट कर सकती है कि किस दिनांक से सभी मौजूदा पी आई ओ (PIO) कार्ड धारकों को ओ सी आई (OCI) कार्ड धारकों के रूप में बदलने का निर्णय किया जाए।

भूमि अधिग्रहण, कार्यमुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम-1955 है। इस अधिनियम के तहत जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थितियों में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किये जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है।

पीआईओ (PIO) और ओसीआई (OCI) योजनाओं का विलय

- नागरिकता अधिनियम में संशोधन से भारतीय मूल के व्यक्तियों को लाभ होगा, उन्हें जीवन भर के लिए वीजा और यदि उनका प्रवास यहां छह महीने से अधिक है तो FRO / FRRO के साथ पंजीकरण से छूट जैसे लाभ मिलेंगे।
- अध्यादेश, जिसके तहत पीआईओ (PIO) और ओसीआई (OCI) योजनाओं को एक इंडियन ओवरसीज कार्डधारक

योजना में रोल किया जायेगा, में उस खंड छोड़ दिया जायेगा जिसमें 'जिन विदेशियों ने भारतीय नागरिकों से शादी की है उनके द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिये आवश्यक है कि वे आवेदन से पहले लगातार एक वर्ष की अवधि के लिए देश में रह रहे हों।

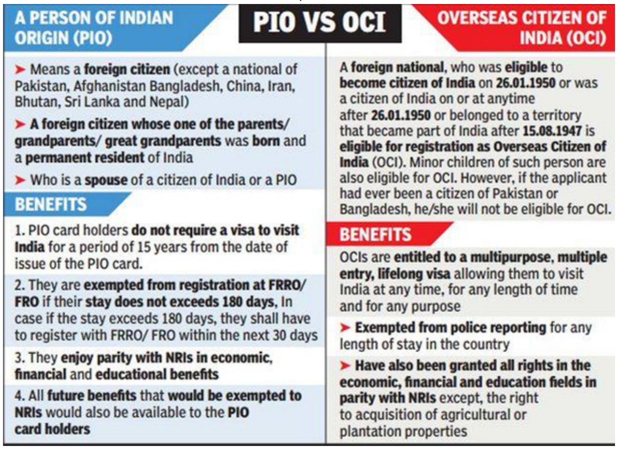

- संशोधन विदेशियों को भारत में अनिवार्य एक साल के प्रवास के दौरान विदेश यात्रा की अनुमति देगा, जबकि यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक न हो।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समस्यायें

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद् (ICRIER) के निष्कर्ष

चोरी के स्तर का आकलन FCI के खाद्यान्न वितरण आंकड़ों में से वास्तव में लोगों द्वारा प्राप्त खाद्यान्नों को घटाकर किया गया है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से चोरी लगातार बढ़ रही है, वित्तीय वर्ष 2012 के लिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी हुई है।

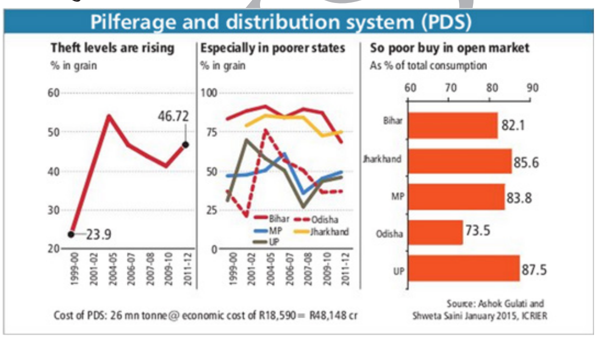

- पीडीएस से खामीयाँ तेजी से बढ़ रहा है जो 1999-2000 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा वितरित सभी अनाज का 24 फीसदी (या 26 लाख टन) था तथा 2011-12 में 47 प्रतिशत से कुछ कम भाग इसके अंतर्गत था।
- पीडीएस सिस्टम से चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं उन राज्यों में है जहाँ गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, आदि राज्यों जहाँ भारत के गरीबों की 60 फीसदी से अधिक आबादी है, में 2011-12 में देश के अनाज का 50 प्रतिशत के करीब खामीयाँ देखने को मिली।
- छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ट्रकों में जीपीएस (GPS) सेट लगाये हैं और ग्राहकों के लिए एसएमएस (SMS) भेजने की व्यवस्था की है। इन राज्यों ने अपने पीडीएस सिस्टम को ठीक करने के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है।

अमेरिका 'मेक इन इंडिया' नियम कानून से चिंतित

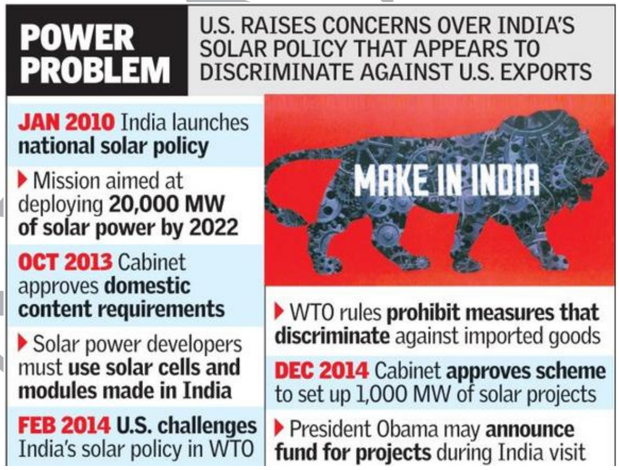

अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए अपनी यात्रा के दौरान स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए सरकार की पहल पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे नया 'मेक इन इंडिया कानून' कहा।

1,000MW ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (PV) विद्युत परियोजनाओं की एक श्रृंखला की स्थापना के लिये भारत सरकार ने अनिवार्य शर्त का प्रावधान किया है, इसके अंतर्गत सौर संयंत्रों में इस्तेमाल सभी फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल का निर्माण भारत में किया जायेगा। अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार की इस घोषणा पर कुछ नाराजगी जाहिर की है।

भारत का कहना है कि अमेरिका द्वारा सौर उत्पादों पर दी जा रही सब्सिडी का भारतीय निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और घरेलू सौर उद्योग ने अमेरिका पर ''सस्ते पुरानी तकनीक डंपिंग'' का आरोप लगाया है।

2014 में, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 2600 मेगावाट थी, और एक अनुमान के अनुसार इसको एक लाख मेगावाट (या 100 गीगावॉट) तक बढाने के लिए उत्पादन लागत पर अगले पांच वर्षों में 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष तथा पारेषण और वितरण लागत के लिए 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी, जिसमें से अधिकांश पूँजी की उम्मीद संयुक्त राज्य अमेरिका से है।

1000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा परियोजनायें

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (CPSUs) और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा 1000MW की ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

- इन परियोजनाओं को तीन वर्ष (2015-16 से 2017-18) की अवधि में 1,000 करोड़ रुपये के व्यवहार्यता अंतराल कोष (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के समर्थन के साथ स्थापित किया जाना है।
- योजना में अनिवार्य शर्त है कि इस योजना के तहत स्थापित सौर संयंत्रों में इस्तेमाल सभी फोटोवोल्टिक सेलों (cells) और मॉड्यूल का निर्माण भारत में किया जाएगा।
- NTPC, NHPC, CIL, IREDA और भारतीय रेल आदि अन्य संगठन सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं।
- सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश इस योजना के तहत लाभार्थी हैं।

5 वर्ष (2014-19) की अवधि में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 20,000 मेगावॉट से अधिक करने के लक्ष्य के साथ, केंद्र ने 25 सोलर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, इनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक होगी।

भारत-अमेरिका सौर मुद्दा

पृष्ठभूमि

2010 में शुरू जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर परियोजनाओं में स्थानीय खरीद खंड (Clause) के खिलाफ अमेरिका का तर्क है कि यह घटकों (components) के विदेशी निर्माताओं के खिलाफ भेदभाव है और इस तरह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन होता है।

- अमेरिका ने देश के जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारत की घरेलू सामग्री की आवश्यकता/खरीद (Domestic Content Requirement) के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में एक शिकायत दर्ज कराई है।
- इस मुद्दे पर, मार्च 2013 और मार्च 2014 को विश्व व्यापार संगठन के 'विवाद निपटान तंत्र' के तहत अमेरिका के साथ परामर्श हुआ, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला।
- विश्व व्यापार संगठन ने देश के सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत भारत की घरेलू सामग्री आवश्यकताओं की शर्त के खिलाफ अमेरिका की शिकायत की जांच करने के लिए एक 'विवाद निपटान पैनल' का गठन किया है।

भारत ने तर्क दिया है कि सौर ऊर्जा मिशन के तहत उत्पादित बिजली की खरीद एक सरकारी एजेंसी द्वारा होनी है, यह सरकारी खरीद की श्रेणी में आता है जो कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के दायरे से बाहर है।

अनुच्छेद 108 पर राष्ट्रपति का विचार

- संसद का संयुक्त सत्र एक विधायी गतिरोध को हल करने के लिए ''साध्य समाधान'' नहीं है।
- उन्होंने आग्रह किया कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को मिलकर कानून का पारित होना सुनिश्चित करना चाहिए।
- राष्ट्रपति सकेत देते हुए कहा कि 1952 के बाद से आज तक केवल चार बार कानूनों को संयुक्त सत्र द्वारा पारित किया गया है।

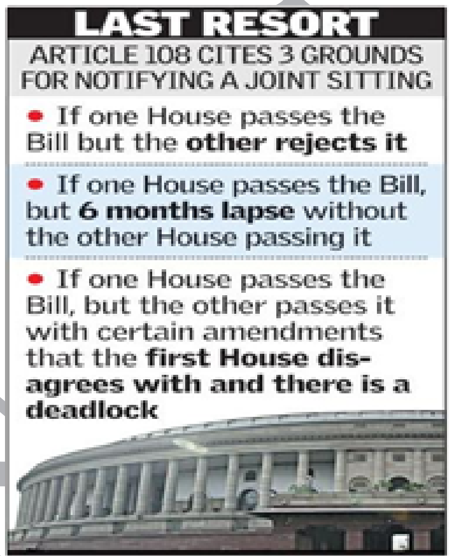

अध्यादेश राज

- मई 2014 में सत्ता में आने के बाद से नई सरकार के मंत्रिमंडल ने आठ महीनों में 11 अध्यादेशों को मंजूरी दी, जिनमें से 10 भारत के राष्ट्रपति के प्रख्यापित करने के बाद पहले से ही कानून बन गए हैं ।
- आलोचकों का कहना है कि सरकार ''अध्यादेश राज'' का निर्माण कर रही है, उनका आरोप है कि चूँकि सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है इसलिए वह संसद की कानून निर्माण की शक्तियों को दरकिनार करने का प्रयास कर रही है:

संवैधानिक स्थिति

- संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के अवकाश में आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए सिफारिश कर सकती है।
- अनुच्छेद 123 (2) प्रावधान के अनदर ऐसा अध्यादेश दोनों सदनों के पुन: प्रारंभ होने के छह सप्ताह के अन्दर एक कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत अध्यादेश की अवधि की सीमा

- 1987 में, बिहार राज्य बनाम डी. सी. वाधवा के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बार-बार अध्यादेश जारी करके

VISION

कानून बनाना अनुचित और गैर-सवैधानिक है।

- सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अनिवार्य रूप से एक असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक शक्ति कहा है और कहा कि इसे 'राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकृत' होने की अनुमति दी नहीं दी जा सकती।
- 20 दिसंबर, 1986 के फैसले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, पी. एन. भगवती, के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि देश में अध्यादेश राज नहीं होना चाहिए।
- कोई अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित जारी किया जाता है। यह उन परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली एक शक्ति है जहाँ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अध्यादेशों को नियमित रूप से बिना परिवर्तन किये पुनः प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है।
- भविष्यपरक रणनीति : देश में विकास और अनुकूल निवेश वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जिन विधायी संशोधनों की आवश्यकता थी, संसद की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान के कारण सरकार ऐसे कई महत्वपूर्ण कानून पारित करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए सरकार ने अध्यादेश का तरिका अपनाया और सरकार अध्यादेश जारी करने के लिए संवैधानिक सीमाओं के भीतर है। इसके अलावा अध्यादेश लघु अवधि के उपाय जिन्हें संसद के अगले सत्र में लिए जाने की जरूरत है।

अनुच्छेद 371 (J)

पृष्ठभूमि

हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र ,उत्तरी-पूर्वी कर्नाटक में स्थित एक क्षेत्र है। 1984 तक यह क्षेत्र हैदराबाद के निजामों द्वारा शासित हैदराबाद राज्य का कन्नड़ भाषी हिस्सा था। भारतीय संघ में विलय के बाद 1956 तक यह क्षेत्र हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में बीदर, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और गुलबर्गा शामिल हैं, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद-कर्नाटक भुभाग भारत में दूसरा सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है।

हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह जिलों के चहुंमुखी विकास के उद्देश्य से 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा अनुच्छेद 371 (J) को शामिल किया गया।

कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंधः

a) हैदराबाद-कर्नाटक भुभाग के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना, तथा यह भी प्रावधान है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक रिपोर्ट राज्य विधानसभा से सम्मुख प्रत्येक वर्ष रखी जायेगी;

b) सम्पूर्ण राज्य की आवश्यकताओं के अधीन उक्त क्षेत्र के विकासात्मक व्यय के लिए धन का समान आबंटन तथा

c) पूरे राज्य की आवश्यकताओं के अधीन सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामलों में इस क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाएं और समान अवसर।

खंड (1) के उपखंड (c) के अधीन किया गया एक आदेश निम्नलिखित प्रावधान कर सकता है-

a) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के छात्रों के लिए सीटों के अनुपात में आरक्षण; व

b) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी निकाय या संगठन में पदों अथवा पदों के वर्गों की पहचान तथा जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उन पदों के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था और इन आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या किसी अन्य तरीके जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाये नियुक्ति की जाये ।

हाल की प्रगति

हैदराबाद कर्नाटक होरता समिति (HKHS), एक नागरिक समाज संगठन जो अनुच्छेद 371 (J) के लिए लोगों के संघर्ष में अग्रणी रही थी, ने एक वेबसाइट शुरू करने का विचार किया जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को बिना किसी रुकावट के लाभ मिल सकें, इससे -

- अनुच्छेद 371 (जे) संबंधित पूरी जानकारी, सम्बंधित सरकारी आदेश, प्रवेश और भर्ती सूचनाओं के बारे सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।
- यह वेबसाइट लोगों और अनुच्छेद से संदर्भित अधिकारियों दोनों के लिए एक सामान्य गाइड के रूप में काम करेगी।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम Act 1986 के अनुसार,'जो माल और सेवायें जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम भरा हैं उनके विपणन के खिलाफ लोगों के अधिकारों' को उपभोक्ता अधिकार के रूप में चिन्हित किया गया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख है-

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार/प्रतिनिधित्व करने का अधिकार (Right to be Informed/Right to Representation)
- चुनने का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार
- निवारण लेने का अधिकार/ प्रतितोष पाने का अधिकार
- 'उपभोक्ता शिक्षा' का अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, Act 1986 का अधिनियमन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं।
- यह दोषपूर्ण माल, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापार-व्यवहार और अन्य किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध ग्राहकों को रक्षा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के रूप में तीन-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है जहाँ उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मदों का विस्तार क्षेत्र : यह अधिनियम सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू होता है, जब तक कि विशेष रूप से किसी भी उत्पाद या सेवा को केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के दायरे से बाहर ना रखा जाये।
- सेक्टर्स का विस्तार क्षेत्र (Coverage) यह कानून सभी क्षेत्रों निजी, सार्वजनिक या सहकारी पर लागू होता है।
- प्रावधानों की प्रतिपूरक प्रकृति (compensatory nature of provisions): उपभोक्ता इन अधिनियमों का लाभ ले सकते हैं, लेकिन यदि उपभोक्ता चाहे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकता है। परिणामस्वरुप इस अधिनियम के प्रावधानों की प्रकृति नुकसान के लिए मुआवजा देना या अतिरिक्त मदद प्रदान करना है।
- उपभोक्ता के सम्मिलित अधिकार: ये अधिकार सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, निवारण, शिक्षा आदि से संबंधित हैं
- प्रभावी रक्षोपाय: यह अधिनियम दोषपूर्ण उत्पादों, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार-व्यवहार के सन्दर्भ में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है।
- त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र: उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं जिससे कि उपभोक्ता अपने अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। इस कानून में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गयी है:
  - जिला स्तर पर - जिला फोरम
  - राज्य स्तर पर – राज्य आयोग
  - राष्ट्रीय स्तर पर - राष्ट्रीय आयोग।
- समयबद्ध शिकायत निवारण: अधिनियम की एक मुख्य विशेषता है कि इसके तहत मामलों का निर्णय निश्चित समयावधि में लिया जाता है।
- उपभोक्ता संरक्षण परिषद: उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष में और उपभोक्ताओं में जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में है ।

जागो ग्राहक जागो

'जागो ग्राहक जागो' नाम से एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया था जो अभी भी प्रगति पर है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने सिफारिश की है कि उपभोक्ताओं को पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कई संशोधनों की आवश्यकता है।

हाल का निर्णय

'उत्तर-पूर्व जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम' ने आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक और Arcil Arms मे एक दम्पत्ति को, उनके मूल शीर्षक कर्मों, जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया था, को विरूपित करने के लिए 8.50 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान करने के लिए निर्देश दिया है।

आरटीआई (RTI) आवेदक एक उपभोक्ता नहीं

शीर्ष उपभोक्ता फोरम 'राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग' (एनसीडीआरसी), ने निर्धारित किया है कि ''यह आवश्यक नहीं कि जनसूचना अधिकारी/ पीआईओ द्वारा दी गई सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति द्वारा की गयी किसी शिकायत को उपभोक्ता फोरम ग्रहण करे फिर कोई कार्यवाही करे।''

- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता। इससे पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने एक निर्णय में आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता माना था। तब कहा गया था कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति आरटीआई आवेदन के साथ शुल्क भी अदा करता है। इसलिए वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम जो स्वयं अपने आप में एक सम्पूर्ण नियम या कोड है, जनसूचना अधिकारी / पीआईओ के किसी भी निर्णय / निष्क्रियता / अधिनियम / चूक या दुराचार से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक पर्याप्त और प्रभावी उपाय प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि विधायिका उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं में कमी के हर मामले में मुआवजा प्रदान करवाए।

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन

- राज्य में 23 दिसंबर के विधानसभा चुनाव के परिणामों के पश्चात राज्यपाल शासन लगाया गया था क्योंकि नतीजों से एक त्रिशंकु विधानसभा बनी जिसमें कोई एक दल या दलों का गठबंधन सरकार गठन के लिए दावा करने में सक्षम नहीं था।
- राज्यपाल की उद्घोषणा के पश्चात विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा जाएगा।

राज्यपाल शासन क्या है-

- जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त भारत के किसी भी अन्य राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जाता है।
- लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में राज्य संविधान की धारा

92 के प्रावधानों के तहत छह महीने की अवधि के लिए राज्यपाल शासन लगाया जाता है और इस आशय की घोषणा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कर सकता है।

- राज्य विधान सभा को या तो निलंबित अवस्था में रखा जाता है या फिर भंग कर दिया जाता है।
- यदि इन छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले संवैधानिक मशीनरी को बहाल करना संभव नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान लागू होते है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

असम में AFSPA (एएफएसपीए)

केंद्र ने असम को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते हुए को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने इस कानून के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग कर अन्य क्षेत्रों के अलावा, असम के 20 किमी चौड़ी पट्टी वाले क्षेत्र, असम की सीमा से लगे जुड़े अरुणाचल प्रदेश और मेघालय क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है।

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) 1958 में पारित किया गया था। छह खण्डों का यह कानून, कानून में परिभाषित ''अशांत क्षेत्रों' के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

AFSPA के सबसे विवादास्पद खंड निम्न हैं:

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून सशस्त्र बलों को, अगर वे नागरिकों के खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई कर डालें तो, सजा के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह सशस्त्र बलों को, 'संदेह' के आधार पर नागरिकों की हत्या(हथियारों को ले जाने या पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की सभा होने पर) तक करने का अधिकार देता है (अधिनियम की धारा-4) : इसके अतिरिक्त यदि नागरिकों के खिलाफ हिंसा का ऐसा कोई अपराध सशस्त्र बलों द्वारा हो जाय, तो उनको मुकदमा चलाये जाने से संरक्षण देता है : इस क़ानून के तहत की गयी कार्यवाहियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है (अधिनियम की धारा-6)

वर्तमान स्थिति और सिफारिशें

इरोम शर्मिला नाम की महिला मणिपुर में इस अधिनियम के निरसन की मांग करते हुए 11 वर्ष से एक अनिश्चितकालीन उपवास पर है। अब तक सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सार्वजनिक व्यवस्था पर 5 वीं रिपोर्ट में आयोग ने भी एएफएसपीए के निरसन की सिफारिश की थी।
- जीवन रेड्डी समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों के साथ 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की:
- एएफएसपीए को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और इसके उचित प्रावधानों को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए;
- स्पष्ट रूप से सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए :
- प्रत्येक उस जिले में जहाँ सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है, 'शिकायत प्रभाग' स्थापित किए जाने चाहिए ।

विश्लेषण

- मानवाधिकारों के मद्देनज़र तथा भारतीय आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने एवं इसमें सुधार के लिए भारत को गंभीरता से एएफएसपीए के निरसन के विषय पर विचार करना आवश्यक हो गया है।
- एएफएसपीए जैसे कठोर कानून हमारी लोकतान्त्रिक संरचना और भावना से असंगत है और ऐसे समय में जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयास कर रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- यह कानून उग्रवाद विरोधी गतिविधियों में शिथिल ,आलसी व अक्षम सैनिक कार्यवाहियों को भी प्रोत्साहित करता है और वास्तव में ये कार्यवाहियां अनुत्पादक सिद्ध होती हैं।
- यह याद रखा जाना चाहिए कि उग्रवाद विरोधी अभियान अपने ही देश के नागरिकों के विरूद्ध निर्देशित है ना कि विदेशी दुश्मन के विरूद्ध है।
- एक उग्रवाद विरोधी आपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य परिसमापन या उन्मूलन की बजाय दिल और दिमाग को जीतना (WHAM- winning hearts and minds) होना चाहिए।

मोटर वाहन (संशोधन) अध्यादेश, 2015

- यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन लाने के लिए लाया गया है। यह अध्यादेश ई-गाड़ियों और ई-रिक्शा को इस अधिनियम के दायरे में सम्मिलित करता है।
- अधिनियम के तहत, व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तभी जारी किया जायेगा जब उसके पास कम से कम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- अध्यादेश यह निस्चित करता है की ई-गाड़ियों या ई-रिक्शा के चालकों को लाइसेंस जारी करने की शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
- अध्यादेश निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करता है:
- ई-गाड़ियों और ई-रिक्शा के लिए विनिर्देशों के निर्धारण।

- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तों और तरीकों के निर्धारण।

शांता कुमार समिति

- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पुनर्गठित करने, नई दिशा देने और सुधार करने के लिए अगस्त 2014 में भारत सरकार ने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया था।

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या को 67 फीसदी से 40 फ़ीसदी करने के लिए कहा गया है।
- राशन अनाज की कीमत किसानों को भुगतान किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
- अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 7 किलो की बजाय 5 किलो अनाज दिया जाना चाहिए, और नकद हस्तांतरण को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
- यह अनुमान किया गया है कि इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न आवश्यकता कम हो जाएगी और यह 61.4 मिलियन टन से घटकर 40 मिलियन टन हो जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) हेतु-

भारतीय खाद्य निगम (FCI) हाल के वर्षों में अपने निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है:

- किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करना,
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य प्रदान करना और
- खाद्य सुरक्षा को को सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक भण्डारण के माध्यम से खाद्य पदार्थों की कीमतों के उतार-चढ़ाव को कम करना ।

उच्च स्तरीय समिति के मुताबिक समर्थन मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने में विफलता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि 2012-13 में कृषि परिवारों के केवल छह फीसदी परिवारों ने अपने किसी भी खाद्यान्न को सरकारी खरीद एजेंसियों को बेचा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता को तंत्र में होने वाले भारी खामीयाँ द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ रहे अनाज ने भी खाद्यान्न सार्वजनिक भंडारण की प्रणाली की विफलता पर प्रकाश डाला। चूँकि खाद्यान्न का भंडारण महंगा है, यह संसाधनों की बर्बादी का प्रतिनिधित्व करता है जो कहीं और अधिक उत्पादक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था।

- समिति की सिफारिश है कि गेहूं, धान और चावल की खरीद को भारतीय खाद्य निगम की बजाय विकास कर रहे राज्यों को दे दिया जाये जिन्हें इस सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका है तथा उन राज्यों ने प्रोक्योरमेंट खरीदगी के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएँ बना लीं हैं : ये राज्य हैं - पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा
- अधिशेष वाले राज्यों को कमी वाले राज्यों के लिए खरीद करनी चाहिए। राज्यों को करों और सांविधिक लेवी को न्यूनतम समर्थन मूल्य का तीन प्रतिशत तक रखना चाहिए जो वर्तमान में पंजाब में 2 से 14.2 प्रतिशत है।
- खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण में इन बड़े बदलावों से भारतीय खाद्य निगम खाद्य प्रबंधन में नवाचारों की एक एजेंसी के रूप में खुद को ढाल सकेगा।

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) हेतु-

रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यदि सरकार गेहूं और धान के लिए एक प्रभावी समर्थन प्रणाली स्थापित नहीं कर पायी है तो 23 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा का कोई औचित्य नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दलहनो और तिलहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्य सुझाव

- यदि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली अपनाई जाती है, तो केंद्र सरकार सब्सिडी चोरी तथा लीकेज से नुकसान होने वाले 35,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकती है।
- राज्यों में खाद्यान्न की पूरी खरीद का जिम्मा भारतीय खाद्य निगम की बजाय राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए।
- खाद्यान्न के भंडारण और परिवहन के कार्य केन्द्रीय भण्डारण निगम जैसे बाहरी स्रोतों को ठेके पर दिए जाने (आउटसोर्स) चाहिए।
- जोनल कार्यालयों को बंद कर दिया जाना चाहिए (जैसे नॉएडा कार्यालय)
- पीडीएस प्रणाली के लाभार्थियों को एक खरीद सीजन के समाप्ति के तुरंत बाद छह महीने का राशन दे दिया जाना चाहिए।
- विभागीय कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- खाद्यान्न का परिवहन बोरे के बजाय कंटेनरों में किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के देश-वार प्रदर्शन की निगरानी कर रही है, ने भारत द्वारा कुपोषण की समस्या को कम करने के प्रयास की प्रशंसा की है। एजेंसियों ने इसका श्रेय भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणालियों यथा ''आईसीडीएस [समेकित बाल विकास सेवाएं] तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिया है।
- कुपोषण में कमी के बावजूद भारत ''गंभीर रूप से प्रभावित'' श्रेणी से ''सबसे खतरनाक'' श्रेणी में आ गया है

VISION IAS

- भारत अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा कुपोषित आबादी वाला देश है; वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार 76 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इसका स्थान 55 वाँ है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से थोड़ा सा बेहतर है किन्तु श्रीलंका और नेपाल से निम्नतर है।
- आलोचकों का मानना है कि यदि समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो लाखों गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा से वंचित करेगा।

भरण - पोषण हेतु हिन्दू पत्नी के अधिकार

विधि आयोग ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 पर पुनर्विचार हेतु अपनी 252 वीं रिपोर्ट विधि मंत्रालय को प्रस्तुत की है ।

पृष्ठभूमि

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिंदू कानून के तहत भरण-पोषण के संबंध में एक निर्णय पारित किया है।
- यह मुद्दा, एक हिन्दू पत्नी द्वारा अपने पति के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर अपने श्वसुर से भरण-पोषण की मांग से सम्बन्धित था :
- उच्च न्यायालय ने विधि आयोग से 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956' के तहत ऐसी पत्नी जिसका पति उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ है के विषय में सलाह मांगी थी।

वर्तमान स्थिति

- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार एक हिंदू पत्नी परित्याग सहित कुछ निश्चित परिस्थितियों में अपने जीवनकाल के दौरान अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है
- अधिनियम के अनुसार श्वसुर को केवल विशेष मामलों में जैसे बहू के विधवा होने या अन्य परिस्थितियों में भरण पोषण प्रदान करना आवश्यक है।

आयोग की सिफारिशें

- आयोग ने सिफारिश की है कि अधिनियम में एक नया खंड डाला जाना चाहिए जो ऐसे मामलों को शामिल करता हो जिसमें पति निम्नलिखित परिस्थितियों के चलते अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है :
- शारीरिक विकलांगता;
- मानसिक विकार;
- लापता;
- किसी भी धार्मिक आदेश या अन्य इसी तरह के कारणों से संन्यास ग्रहण करने या आत्मत्याग करने की स्थिति में हिन्दू पत्नी पति के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों से भरण पोषण दावा करने की हकदार है।
- यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें पति ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त किया हुआ है।

पूर्वोत्तर के लोगों के हेतु पहल

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने सांसद बेजबरुआ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने देश के अन्य (पूर्वोत्तर से अलग) भागों में विशेष रूप से महानगरों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं पर गौर कर उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं।

सरकार ने तत्काल उपायों के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया

- भारतीय दंड संहिता, 1860 में निम्नलिखित अपराधीकरण प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु संशोधनः
  - एक जाति के सदस्यों के खिलाफ जाति या मूल स्थान के आधार आपराधिक हिंसा का प्रयोग या बढ़ावा देना
  - किसी विशेष जाति के सदस्यों का अपमान करने के इरादे से की गयी अभिव्यक्ति या कार्य
- दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण (दिल्ली लीगल सर्विस अथारिटी) द्वारा उत्तर-पूर्व के लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु वकीलों के एक पैनल की स्थापना;
- शिक्षा से संबंधित उपाय, जैसे पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और
- खेलों से संबंधित उपाय, जैसे पूर्वोत्तर से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करके उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

समिति की प्रमुख अल्पकालिक और दीर्घकालिक सिफारिशें:

- पूर्वोत्तर के लोगों का एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करना
- दिल्ली में एक पूर्वोत्तर केंद्र की स्थापना जो एक स्वायत्त संस्था होगी और उपर्युक्त डेटाबेस के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएगी :

अन्य उपाय जिन पर विचार किया जाएगा

- पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ हिंसा, नस्लीय टिप्पणी और गलत इशारों को दंडनीय अपराधों में शामिल किए जाने की संभावना है।
- भारतीय दंड संहिता में धारा 153-C [संज्ञेय और गैर जमानती] और धारा 509A [संज्ञेय और जमानती] की प्रविष्टि लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर-पूर्व के लिए अन्य पहलें

- 2014-15 से 'इशान उदय' योजना के तहत 3,500 से 5,000 रुपये प्रति माह की 10,000 छात्रवृत्तियां स्नातकों को प्रदान की जायेंगी।
- 'इशान उदय' योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में बेहतर वातावरण तथा इंटर्नशिप हेतु ले जाया जाएगा
- विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्वोत्तर समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सहित उत्तर-पूर्व के इतिहास को शामिल करने की सलाह दी गई थी।

VISION IAS

जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े मुद्दे

समाजशास्त्री विर्गिनियस खाखा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा भारत के आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर की रिपोर्ट तैयार की गयी। रिपोर्ट में जनजातीय समुदायों, अनुसूचित जनजाति, गैर-अधिसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों की स्थिति का विवरण है।

जनजातीय क्षेत्रों के बारे में तथ्य

- देश में वन क्षेत्र का साठ फीसदी भाग आदिवासी क्षेत्र में है।
- 58 जिलों में से 51 जिले जिनमें वन 67 फीसदी से अधिक हैं, वे आदिवासी जिले हैं।
- तीन राज्यों - ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारत के कोयला भंडार का 70 फीसदी, उच्च ग्रेड के लौह अयस्क का 80 फीसदी, बॉक्साइट का 60 फीसदी तथा क्रोमाइट भंडार का लगभग 100 फ़ीसदी हिस्सा है।
- बांधों से विस्थापित लोगों का चालीस प्रतिशत आदिवासी लोगों का हैं।

जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

- संविधान की पांचवी और छठी अनुसूचियों में अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्तता निर्धारित की गयी है।
- जनजाति सलाहकार परिषद जो कि अनुसूचित जनजाति के समुदाय के प्रतिनिधियों तथा निर्वाचित सदस्यों वाली संस्था है, पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासन और शासन के मामलों पर राज्यपाल को सलाह देंगी।
- सलाहकार परिषदों का विचार केवल प्रतीकात्मक पाया गया है तथा ये परिषदें जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों की बजाय नौकरशाहों और मंत्रियों से भरी हुई हैं।
- समिति ने पाया कि छठी अनुसूची वाले राज्यों की स्वायत्त परिषदें जिन्हें अधिक मजबूत औपचारिक स्वायत्तता प्राप्त है, में भी स्वायत्तता की गारंटी देने वाले औपचारिक नियमों और जमीन स्तर पर स्वायत्तता के अनौपचारिक कामकाज के बीच एक बड़ा अंतर है।

प्रोफेसर खाखा (XAXA) समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें

- सरकार / नीति निर्माताओं के किसी भी योजना को बनाने से पहले आदिवासी अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। जनजातीय अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा विकास मॉडल है और जिसे देश में कहीं भी अपनाये जाने की जरूरत है।
- उच्च जैव विविधता वाले पर्वतों तथा वनों का संरक्षण (उच्च जैव विविधता वाले वनों/क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबन्ध)
- सौर और जल जैसी अक्षय ऊर्जा का स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से प्रयोग, संभव दूरी के कवरेज के लिए परंपरागत परिवहन प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना
- अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों (PESA) का प्रभावी कार्यान्वयन
- जनजातीय जनसंख्या की गिरावट की वजह से अनुसूची क्षेत्रों को अनुसूची से हटाया नहीं जाना चाहिए। सभी आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषणा की जानी चाहिए।
- विद्यालय में पठन-पाठन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा आदिवासी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षक आदिवासी भाषा से परिचित नहीं हैं।
- सभी आदिवासी भाषाओं में कक्षा 7 तक पाठ्यक्रम का विकास करना।
- सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से पारंपरिक हर्बल दवाओं का संरक्षण तथा बढ़ावा देना
- हर्बल उपचार पद्धतियों पर स्वयं समुदाय के स्वामित्व को सुनिश्चित करना।
- दूरदराज के गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना
- सभी NT और DNT (खानाबदोश जनजातियों और अधिसूचित जनजातीय) समुदायों को गरिमा के साथ जनगणना में शामिल किया जाना सुनिश्चित करना।
- सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।
- उच्च स्तरीय समिति ने राज्यपाल के लिए एक सेल की स्थापना की सिफारिश की है जिससे कि राज्यपाल ठीक से जनजातियों की सुरक्षा का कर्त्तव्य पूरा कर सके।

जनजातीय क्षेत्रों में समस्याएं

भूमि से अलगाव की भावना

- जनजातीय समुदायों द्वारा देश भर में झेले जा रहे संकटों की जड़ उनकी जमीनों की बिक्री होना तथा उन्हें जमीनों से बेदखल कर देना है
- सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार के सिद्धांत (the principle of eminent domain) का उपयोग कर राज्य द्वारा उनकी भूमि का अधिग्रहण;
- रिकॉर्ड में हेरफेर और कानूनों की गलत व्याख्या;
- गैर जनजातीय लोगों और आप्रवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण;
- राष्ट्रीय उदयान का निर्माण; और सशस्त्र संघर्ष के परिणामस्वरूप मजबूरन प्रवास और जन्म-स्थान से निष्कासन।

अवैध रूप से हिरासत में लेना

- संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने, अवैध रूप से हिरासत में रखने और यातना से संबंधित विभिन्न मामले सवाल खड़े कर रहे हैं।
- आपराधिक उपेक्षा और हिंसक भ्रष्टाचार की इन गतिविधियों ने सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के योजनाबद्ध तरीके से वितरण को बाधित किया है।

VISION IAS

जनजातीय- जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.43 करोड़ आदिवासी जनसँख्या है जो कुल आबादी का 8.61% है तथा यह देश के कुल क्षेत्र के लगभग 15% भाग पर विस्तृत है :

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कृषि जोत या पीने के लिए पानी और बिजली के उपयोग आदि सभी में ये जनजातीय समुदाय सामान्य आबादी से काफी पीछे हैं। जनजातीय लोगों के निम्न सामाजिक-आर्थिक विकास और भागीदारी संकेतकों से यह सिद्ध हो जाता है की उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार ,'अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जातियां ,समूह या उनके भाग अभिप्रेत हैं ,जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति समझा जाता है। अनुच्छेद 342 में, अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशों हेतु पालन की जाने वाली प्रकिया को निर्धारित किया गया है। हालांकि, यह अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी भी समुदाय के विनिर्देशन के लिए कसौटी को शामिल नहीं करता है। कुछ गुणों पर आधारित एक सुस्थापित कसौटी का पालन किया जा रहा है, जैसे:

- भौगोलिक अलगाव: वे अनन्य दूरस्थ तथा पहाड़ियों एवं वन क्षेत्रों में समाज से दूर रहते हैं।
- पिछड़ापन: आदिम कृषि पर आधारित आजीविका तथा निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी पर आधारित बंद अर्थव्यवस्था,इन्हें गरीबी की ओर धकेलती है। समुदायों में साक्षरता और स्वास्थ्य का स्तर भी निम्न है।
- विशिष्ट संस्कृति, भाषा और धर्म: इन्होने अपने समुदाय के लिहाज से विशिष्ट संस्कृति, भाषा और धर्म को विकसित किया है।
- अन्य लोगों के संपर्क से झिझक: ये अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ संपर्क में झिझक महसूस करते हैं।

भारत के छोटे किसान

भारत के 121 मिलियन कृषि जोत में से 99 मिलियन कृषि जोत छोटे और सीमांत किसानों के पास है जो भूमि का केवल 44 फीसदी हिस्सा है और इस पर 87 प्रतिशत किसान आबादी निर्भर है। प्रचलित बहु-फसलों के साथ ये किसान सब्जियों का 70 फीसदी और अनाज का 52 फ़ीसदी उत्पादन कर रहे हैं।

सीमांत खेती उन्मूलन

- इस बात को ध्यान में रखते हुए की भारतीय कृषि की वर्षा पर निर्भरता है, केंद्रीय नीतियों को मुख्यत: नहर से सिंचित फसलों का समर्थन और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसे प्रोत्साहन संरचना, मूल्य निर्धारण व्यवस्था और इनपुट सब्सिडी के साथ जोड़कर किया जाना चाहिए।
- वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं की सारणी सरकार द्वारा जारी की गयी है लेकिन विकेंद्रीकरण और स्थानीय निर्णयन को नकारते हुए इन योजनाओं का ध्यान मुख्य रूप से वार्षिक रोजगार सृजन तथा सड़क निर्माण तक ही सीमित रहा हैं तथा दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता पर ध्यान नहीं दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं की समस्याएँ एवं

'सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम' (1974) आजीविका और वृद्धि-केंद्रित विकास की बजाय सूखा कम करने से संबधित था

- राष्ट्रीय किसान नीति (2007) बेहतर जोखिम प्रबंधन के माध्यम से किसानों के आय में सुधार लाने और एक बेहतर कीमत नीति पर केंद्रित थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कमियां थी।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2011) में स्थानीय पंचायतों की भागीदारी के साथ व्यापक जिला कृषि योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित किये गए।
- विशेष रूप से पश्चिमी भारत में शुष्क कृषि की पुनर्वापसी की आवश्यकता है। राजस्थान, कम वर्षा के बावजूद एकीकृत खेती तथा सहायक कृषि उद्यमों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन और भेड़ पालन ने सूखे के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान की हैं साथ ही विपरीत पारिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा भी के रुप में कार्य किया है।
- गंभीर, अर्द्ध गंभीर और अति-शोषण श्रेणी के जिलों का अनुपात 1995 में 5 प्रतिशत से बढ़ कर 2004 में 33 प्रतिशत हो गया।

अनुसंधान के लिए अनुदान

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने मोटे अनाज की अनदेखी करते हुए मुख्य रूप से चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित किया है।
- महाराष्ट्र में केलकर समिति ने सुझाव दिया था कि अनुसंधान सुविधाओं को उन्नत करने तथा कृषि श्रम प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को धन आवंटन में कम से कम 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए।
- 'स्थायी कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन' द्वारा जैविक खेती और चावल की गहनता प्रसार पर ध्यान देने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित जोखिम को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भविष्यपरक दिशा

- गन्ना, वृक्षारोपण और फलों के बगीचे आदि के लिए ड्रिप सिंचाई अनिवार्य की जानी चाहिए।
- सूक्ष्म सिंचाई और बागवानी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो जमीनी स्तर पर मांग बढ़ा सकती है।
- इसके अलावा, कृषि को जमीनी स्तर पर मृदा परीक्षण

प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। इससे व्यक्तिगत आधार पर किसानों को सलाह प्रदान की जा सकेगी तथा पानी की उपयोगिता को भी बढाया जा सकेगा।

- कृषि-मशीनरी पर कर हटा दिए जाने चाहिए और कृषि आधारित उद्योगों को जिला स्तर पर बनाए गए कोमोडिटी पार्क के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरह की सामाजिक और सरकारी कार्रवाई सीमांत किसान की ग़रीबी को दूर कर सकती है।

पूर्वोत्तर में बनाओ (मेक इन नार्थईस्ट)

- केंद्र ने हाल ही में प्रधानमंत्री के 'भारत में बनाओ (मेक इन इंडिया)' अभियान का विस्तार करते हुए एक नयी पहल 'पूर्वोत्तर में बनाओ' की घोषणा की है। यह पहल देशवासियों को न सिर्फ ''पूर्व की ओर देखने'' बल्कि ''पूर्व के लिए करने'' हेतु प्रेरित करेगी।
- इस नई पहल से पूर्वोत्तर के लिए एक व्यापक पर्यटन योजना निर्माण की शुरूवात हो जाएगी।
- यह पहल पूर्वोत्तर-विशेषज्ञता वाले विभिन्न क्षेत्रों यथा चाय प्रसंस्करण, जैविक कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पवन ऊर्जा उत्पादन, आयुष और स्वास्थ्य रोगोपचार जैसे स्पा आदि को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगी।
- निवेशकों और पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु इस क्षेत्र में पर्यटन मन्त्रालय की मेगा सर्किट और मेगा गंतव्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ''पूर्वोत्तर में बनाओ '' पहल के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में ना केवल पूर्वोत्तर के लिए अधिक राजस्व सृजन करना शामिल है,बल्कि रोजगार के अवसर पैदा कर देश के अन्य भागों में इस क्षेत्र से युवाओं के पलायन को रोकना भी शामिल है।

पूर्वोत्तर के राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

- पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान अत्यल्प है।
- इस क्षेत्र में आठ राज्यों में से अधिकांश की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं की हिस्सेदारी बहुत कम है। असम इसमें अग्रणी राज्य है, जिनका योगदान 30 फीसदी (2013-14) से कम है : इसके बाद सिक्किम का स्थान आता है जो जैविक खेती और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी है :
- 20 लाख की आबादी वाले नागालैंड राज्य की कुल राजस्व में स्वयं का योगदान केवल 7.1 फ़ीसदी है जो सबसे कम है।
- अरूणाचल प्रदेश अपनी जल विद्युत क्षमता के बावजूद केवल 8.8 फीसदी का योगदान देता है।

सरदार पटेल शहरी आवास मिशन

2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 'सरदार पटेल शहरी आवास मिशन' प्रारम्भ किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 30 लाख मकानों का निर्माण किया जायेगा

- इन मकानों का निर्माण सार्वजनिक-निजी-भागीदारी, ब्याज, सब्सिडी और आवास-क्षेत्र में संसाधनों का प्रवाह बढ़ाकर किया जायेगा। इन घरों के निर्माण का एक उद्देश्य देश भर के शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाना भी है।

वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना सहित कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय आवास मिशन आने के पश्चात इन सभी योजनाओं को एकीकृत कर दिया जायेगा।

सम्बंधित जानकारी:

- मंत्रालय के पास 12 वीं पंचवर्षीय योजना में किफायती आवास और मलिन बस्ती विकास के लिए केवल Rs.35,00 का बजट है जबकि 2050 तक भारत की आबादी का 50 फीसदी हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करेगा।
- इस समस्या को सुलझाने तथा वित्त कमी को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में 'सार्वजनिक-निजी-भागीदारी' और' कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी' योजनाओं की आवश्यकता है।
- आवास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ अलग से ली जाएगी।

महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन

महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के खिलाफ सरकार की ओर से दायर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

मामले की पृष्ठभूमि

- महिलाओं को 14 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अधिकारी के रूप में सेना में शामिल किया जा रहा है। जबकि उनके समकक्ष पुरुष पांच साल के बाद स्थायी कमीशन प्राप्त करने के पात्र हैं
- महिला अधिकारियों द्वारा याचिकाओं के माध्यम से लगातार इस भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली को बंद करने की मांग की जाती रही है। मार्च 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थायी कमीशन निर्माण के महिला अधिकारियों के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष दावे को सहमति दे दी और बताया गया है की यह कोई दान नहीं दिया जा रहा है, यह उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रवर्तन है। इस निर्णय ने वायु सेना और नौसेना को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए प्रेरित किया, जबकि भारतीय सेना ने इस पर अलग निर्णय लिया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सेना की ओर से एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

स्थायी कमीशन के खिलाफ सेना द्वारा उद्धृत कारण

- थल सेना का मानना है कि उन्हें पहले उस ग्रामीण पृष्ठभूमि

का खयाल रखना होगा, जहां से सेना में ज्यादातर पुरुष सैनिक आते हैं। युद्ध में वे सभी लोग एक महिला अधिकारी के निर्देशों का पालन कैसे कर सकेंगे जो अपने अधिकारी को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं :

- नेतृत्व तथा उसका अनुसरण करने वालों के बीच संवाद विशेष रूप से लड़ाई की स्थिति में किसी भी संशय या पूर्वाग्रह विचार के बिना होना चाहिए।
- युद्धबंदी बनने की संभावना।
- सीमावर्ती आघात।
- लड़ाकू खतरों के कारण।
- इससे महिलाओं द्वारा अपने पति की वैकल्पिक पोस्टिंग की मांग बढती है जो सेना में पुरुष अधिकारियों के प्रबंधन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

महिलाओं पर शॉर्ट सर्विस कमीशन का प्रभाव

- सीमित सेवा अवधि के कारण महिला अधिकारी जो पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं इस हेतु न्यूनतम 20 साल की सेवा की आवश्यकता होती है,तत्पश्चात वे पेंशन प्राप्त कर पाएंगी।
- उनकी सेवा समाप्ति एक ऐसे मोड़ पर होती है जब वे अपनी आयु के तीसरे दशक के मध्य में होती है और किसी अन्य काम के लिए प्रशिक्षित नहीं होती हैं।

नीति आयोग

नीति (NITI - नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया) आयोग, योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। वर्तमान सरकार ने अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया है, जिसे एक कैबिनेट संकल्प, के माध्यम से मार्च 1950 में स्थापित किया गया था।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह नयी संस्था सरकार के लिए नीतियों के निर्माण और उनकी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके कार्यकारी परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर्स) शामिल होंगे।

पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्यों के अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होगा इसके अतिरिक्त चार केंद्रीय मंत्री इसमें पदेन सदस्य होंगे।

योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर

'योजना' से 'नीति' की ओर; एक विश्लेषण

यह सोवियत निर्देशित 'पंचवर्षीय राष्ट्रिय विकास' से 'नीति' की ओर बदलते भारत के लिए एक 'नीतिगत' और संस्थागत परिवर्तन है : मंत्रिमंडल संकल्प के अनुच्छेद तीन स्पष्ट कहता है कि, '' हमें शासन में संस्थागत परिवर्तन तथा गतिशील नीति परिवर्तन की आवश्यकता है जो एक बड़े पैमाने के परिवर्तनों का बीजारोपण तथा पोषण कर सके।'' यह एक दिशात्मक और नीति उत्प्रेरक की तरह सरकार के 'थिंक टैंक' के रूप में काम करेगा।

नीति आयोग सहकारी संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने, अवसरों तक समतावादी पहुँच, प्रतिभागी एंव अनुकुलनीय शासन और विकसित हो रही प्रोद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के माध्यम से शासन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और कार्यनीतिक योगदान देगा।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना
- राज्यों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु मजबूत बनाना,
- बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करना।

महत्व

संविधान और उद्देश्य के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं बदला गया है। हालांकि कार्यों के दृष्टिकोण से,नीति आयोग एजेंडा तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन योजनाओं को तैयार करने और राज्यों को केन्द्रीय धन के हस्तांतरण पर निर्णय लेने की योजना आयोग की महत्वपूर्ण शक्ति के अभाव में इसका महत्वपूर्ण कार्य केवल केंद्र और राज्यों के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है।

आने वाले वर्षों में विकास-मार्ग के निर्धारण की दिशा में किये गए ये परिवर्तन कितने प्रभावी होते हैं यह नीति आयोग की इस सफलता पर निर्भर करता है कि यह संस्था नीति-निर्माताओं को समझाने में कितनी सफल होती है।

आधार	योजना आयोग	नीति आयोग
अध्यक्ष	**प्रधानमंत्री**	**प्रधानमंत्री**
सदस्य	उपाध्यक्ष- प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पूर्ण-कालिक सदस्य-पिछले आयोग में 8 पूर्ण-कालिक सदस्य थे अंशकालिक सदस्य का कोई प्रावधान नहीं था एक सदस्य सचिव आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद् को रिपोर्ट करता था जिसके सदस्य मुख्यमंत्री तथा उप-राज्यपाल होते थे	उपाध्यक्ष- प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति अंश-कालिक सदस्य-अधिकतम 2 (निश्चित नहीं आवश्यकतानुसार). वे अग्रणी विश्विद्यालयों,शोध संस्थानों और अन्य सम्बंधित संस्थानों से आवर्ती आधार पर होंगे पदेन सदस्य- अधिकतम 4 सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे संचालन परिषद्- इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल सदस्य होंगे क्षेत्रीय परिषद्- इसका गठन जरूरत होने पर किया जायेगा इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य- प्रधानमंत्री द्वारा आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और जानकारों को भी विशेष आमंत्रित के तौर पर नामित किया जायेगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी- (सदस्य सचिव के स्थान पर नया पद) भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जायेगा
वित्तीय	मंत्रालयों तथा राज्यों को अनुदान देने की शक्ति थी	केवल सलाहकार या थिंक-टैंक संस्था होगी, धनराशि आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय के पास होगा
राज्यों की भूमिका या सहभागिता	राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद् के माध्यम से बहुत सीमित थी। आयोग द्वारा नीति-निर्माण के पश्चात धन आवंटन में राज्यों से सलाह ली जाती थी	राज्य सरकारें योजना आयोग की बजाय नीति आयोग में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राज्यों से नीति-निर्माण तथा धन-आवंटन में सलाह ली जाएगी : अंतिम नीति उसके बाद निर्धारित होगी
संघटन	आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद् को रिपोर्ट करता था जिसके सदस्य मुख्यमंत्री तथा उप-राज्यपाल होते थे	संचालन परिषद् में मुख्यमंत्री तथा उप-राज यपाल शामिल हैं

VISION IAS

प्रकृति	अपने द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट, नीति, धन-आवंटन को राज्यों पर लागू कर सकती थी	यह एक थिंक-टैंक है जिसके पास नीतियों को लागू कर की शक्ति नहीं होगी
सचिवालय	**योजना भवन**	आवस्यकता के अनुरुप

राष्ट्रपति ने NJAC की स्थापना हेतु अनुमति दी

- राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हेतु अपनी सहमति दे दी है। आयोग कार्यपालिका को उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक समान भूमिका प्रदान करता है।
- 124 वां संविधान संशोधन विधेयक NJAC और इसकी संरचना को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। NJAC की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगे।
- बिल की मंजूरी के साथ ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 124A शामिल होगा जो न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना को परिभाषित करेगा। अनुच्छेद 124B इसके कार्यों की पहचान करेगा।

पृष्ठभूमि

99 वां संविधान संशोधन 2014-

संशोधन विधेयक अनुच्छेद 124,217,222 और 231 में परिवर्तन करने हेतु लाया गया था।

राष्ट्रीय न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक-

यह सुप्रीम कोर्ट और 24 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का स्थान लेगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका को सम्मिलित करेगा।

NJAC -राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

इस बिल के तहत एक प्रस्तावित संस्था है जो भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होगी।

NJAC की संरचना - छह सदस्यीय आयोग

- अध्यक्ष के रूप में देश के मुख्य न्यायाधीश- पदेन
- सदस्यों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से अगले दो वरिष्ठ न्यायाधीश - पदेन,
- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, पदेन
- दो प्रतिष्ठित व्यक्ति
- (मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में विपक्षी सबसे बड़े दल के नेता से मिलकर एक समिति द्वारा नामित किये जाने हैं) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों या एक महिला होगा/होगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा और वे फिर से नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

NJAC की भूमिकाः

- NJAC उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्तियों में पारदर्शिता आरंभ करेगा और दो दशक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करेगा।
- वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के तहत, देश के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों के लिए चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं।
- NJAC से उच्चतर न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की एक समान भूमिका बहाल होगी।
- सिफारिश किये गए व्यक्तियों की क्षमता और नैतिकता सुनिश्चित करेगा।

NJAC को असंवैधानिक घोषित हेतु उच्चतम न्यायालय के वकीलों की याचिका

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड-एसोसिएशन (SCAORA) ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 को ''अवैध, शून्य और असंवैधानिक'' घोषित करवाने हेतु याचिका दायर की है।

पृष्ठभूमि

अगस्त 2014- SCAORA ने NJAC कानून को चुनौती दी थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभी जल्दबाजी होगी क्यूंकि राज्यों द्वारा इस संशोधन की पुष्टि अभी की जानी बाकी है, बाद में इस पर विचार किया जा सकता है।

अगस्त 2014- संविधान संशोधन विधेयक और NJAC विधेयक दोनों संसद द्वारा पारित किए गए।

जनवरी 2015- राष्ट्रपति ने NJAC स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

जनवरी 2015- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों आयोग को चुनौती देने वाली याचिका की जल्द सुनवाई हेतु की गयी याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा कि सामान्य रूप से ही सुनवाई होगी।

उच्चतम न्यायालय के वकीलों के NJAC के विपक्ष में तर्क

- NJAC विधेयक पारित करके, संसद ने ''संविधान के मूल ढांचे को बदल दिया है'' तथा न्यायिक स्वतंत्रता पर
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के स्तर पर राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करने की आवश्यकता भी सम्मिलित है।
- सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के लिए

VISION IAS

कोई ''प्रधानता'' नहीं है। पैनल में एक उम्मीदवार की नियक्ति हेतु सामूहिक सिफारिश को किन्ही भी दो गैर-न्यायिक सदस्यों द्वारा वीटो लगा ख़ारिज किया जा सकता है।

- न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई ''उपयुक्तता मापदंड,'' निर्धारित नहीं किये गए हैं उन्हें निर्मित करने का दायित्व आयोग पर छोड़ दिया गया है।
- इसने 2002 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है, जिसमें NJAC को पांच सदस्यीय बनाये जाने की सिफारिश की थी।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध : भारत और विश्व

केरी - लुगर - बर्गमैन अधिनियम

- पाकिस्तान के साथ भागीदारी बढ़ाने हेतु अधिनियम, 2009 (जिसे केरी-लुगर-बर्गमैन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) कांग्रेस का एक अधिनियम था जिसे 2010 में कानून के रूप में पारित किया गया था। यह पाकिस्तान की सरकार को वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में प्रति वर्ष 1.5 अरब डालर की राशि गैर-सैन्य सहायता के रूप में आवंटन के लिए अधिकृत करता है। यह सीनेटरों जॉन केरी और रिचर्ड लुगर द्वारा प्रस्तावित किया गया था |

TOUGH ON PAPER
THE KERRY-LUGAR BILL SPECIFIES CONDITIONS FOR CLEARING THE ANNUAL $1.5-BILLION CIVILIAN AID TO PAKISTAN

LIMITATIONS ON ASSISTANCE
SECTION 203 c (2) of the Enhanced Partnership with Pakistan Act, 2009

The Government of Pakistan during the preceding fiscal year must demonstrate a sustained commitment to:

(a) **Ceasing support** to terror groups
(b) Preventing al-Qaeda, the Taliban and associated terrorist groups, such as **Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed**, from operating in Pakistan and carrying cross-border attacks
(c) **Strengthening counterterrorism** and anti-money laundering laws

Hafiz Saeed, chief of Jamaat-ud-Dawa, addresses a two-day convention in Lahore on December 4, 2014. – PHOTO: AFP

- **सहायता पर सीमाएं:** पाकिस्तान के साथ बढ़ी भागीदारी अधिनियम, 2009 की धारा 203C (2) के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित के संदर्भ में निरंतर एक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना चाहिए:
- आतंकवादी समूहों को समर्थन बंद करना :
- अल-कायदा, तालिबान और इस तरह के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के रूप में जुड़े आतंकवादी समूहों के पाकिस्तान से परिचालन पर रोक लगाना और सीमा पार हमलों पर अंकुश :
- आतंकवाद विरोधी और मनी लांड्रिंग रोधी कानूनों को मजबूत बनाना।
- अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रमाणीकरण इस बिल के तहत धन चुकाने के लिए एक पूर्व शर्त है।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले नागरिक सहायता के अनुदान का विरोध किया है। भारत का मानना है कि ऐसी सहायता के बड़े हिस्से का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, यह भी की पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के ऊपर लगाम कसने के सन्दर्भ में बहुत गंभीर नहीं है जो की भारत के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 के योजनाकार और लश्कर-ए-तैयबा के आपरेशन प्रमुख जाकिर उर रहमान लखवी को मुंबई मामले में जमानत दे दी थी, इस तथ्य से आतंकवादी समूहों से लड़ने में पाकिस्तान के इरादों के विषय में भारत की आशंका को मजबूती मिली है । इसके अलावा लश्कर का संस्थापक भारी रैलियां कर रहा है और भारत के खिलाफ युद्ध की वकालत कर रहा है।

स्वर्णिम त्रिभुज (GOLDEN TRIANGLE)

स्वर्णिम त्रिभुज उत्तरी थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में एक क्षेत्र है जो कि मादक दवाओं के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र अपने अफीम उत्पादन और नशीली दवाओं के व्यापार के साथ-साथ नशीले पदार्थों की तस्करी, हिंसा और मानव दुर्व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 1800 के दशक में अफीम युद्ध के बाद से दक्षिण-पूर्व एशिया में अफीम का एक मनोरंजक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है 'ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय'(यूएनओडीसी) के अनुसार म्यांमार और लाओस में अफीम की फसलों की खेती में 2006 की तुलना में तीन-गुना की बढोतरी हुई है।

गोल्डन क्रीसेंट: एशिया के प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र को गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है, यह क्षेत्र मध्य, दक्षिण और पश्चिमी एशिया के मिलान पर स्थित है । यह क्षेत्र तीन देशों अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान में फैला है, इनकी पहाड़ी परिधि क्रीसेंट को परिभाषित करती है हालांकि केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफीम का उत्पादन करते हैं, ईरान एक उपभोक्ता और तस्करी किये अफ़ीम के लिए एक पारगमन (ट्रांस-शिपमेंट) मार्ग है।

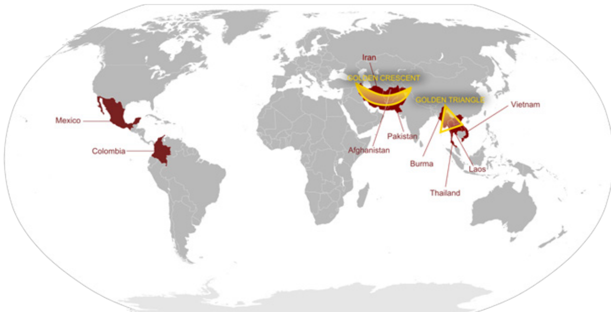

भारत की चिंता :

- भारत दुनिया के दो महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है ।
- नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त धन को देश में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रयोग किया जाता है ।
- विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और पंजाब के सीमा क्षेत्र में युवाओं के बीच मादक पदार्थों की लत में वृद्धि हुई है।
- पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई), माओवादियों और पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों के बीच एक गठजोड़ है जो नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन का उपयोग भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं।

VISION IAS

- पाकिस्तान नशीली दवाओं के पैसों का उपयोग करके भारत के खिलाफ लगातार मुक्त छद्म युद्ध लड़ रहा है।
- अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बिगड़ी है।
- परंपरागत रूप से भारत केवल एक पारगमन मार्ग था, लेकिन अब विभिन्न नशीली दवाओं की मांग देश के भीतर बढ़ रही है।

फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जुड़ने के लिए तैयार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि फिलिस्तीन 1 अप्रैल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) में शामिल हो जाएगा ।

पृष्ठभूमि

- 2012 में, फिलिस्तीन एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल किया गया था। एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में फिलिस्तीन को महासभा की मान्यता से फिलिस्तीन का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय और अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों में शामिल होना संभव हुआ है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के निपटारे पर एक प्रस्ताव पारित कराने के अपने प्रयासों में असफलता के बाद, फिलिस्तीनी नेतृत्व ने आईसीसी सहित 18 अंतरराष्ट्रीय संधियों को स्वीकार करने का फैसला किया गया है।

फिलिस्तीन के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शामिल होने से लाभ

- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शामिल होना एक प्रमुख नीतिगत बदलाव का प्रतीक है, फिलिस्तीन इजरायल के साथ तनावपूर्ण संबंधों की दिशा से खुलेआम शत्रुतापूर्ण संबंधों की ओर बढ़ा है।
- फिलीस्तीनियों का मानना है कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम में एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की अनुमति देने के लिए इजराइल पर दबाव पड़ेगा।
- यह इजरायल से फिलिस्तीनी भूमि को वापस लेने के लिए ,फिलिस्तीनी नागरिकों पर अत्याचारों एवं हमलों को रोकने के लिए और अपने युद्ध अपराधों के लिए इसराइल पर दबाव बनाएगा ।

फिलीस्तीनी कदम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- इस फिलीस्तीनी कदम ने इजराइल द्वारा जवाबी कार्रवाई का खतरा पैदा किया है और इजरायली-फिलीस्तीनी शांति समझौते तक पहुँचने के लिए एक बाधा के रूप में अमेरिका ने इस कदम का तीव्र विरोध किया है।
- नेतन्याहू ने इजरायल के सैनिकों को ''दुनिया में सबसे नैतिक सेना'' कहा है और कहा है की देश अनिर्दिष्ट ''जवाबी कदम'' उठायेगा।
- अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता एडगर वस्कुएज़ ने कहा है कि अमेरिका दृढ़ता से ऐसे कदम का विरोध करता है और चेतावनी दी की ऐसा कदम 'अनुत्पादक है और एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के लिए फिलीस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहायक नहीं होगा ।

नेपाल रेशम मार्ग आर्थिक बेल्ट में शामिल

नेपाल ने औपचारिक रूप से एक भूमि गलियारे द्वारा यूरोप के साथ एशिया को जोड़ने के लिए रेशम मार्ग आर्थिक बेल्ट के सम्बन्ध में एक चार सूत्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। चीन इस योजना के हब के रूप में है । नेपाल और चीन ल्हासा से काठमांडू, काठमांडू से पटना बिहार होकर गुजरने वाले प्राचीन रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

रेलवे लिंक

- चीन किंघाई - तिब्बत रेलवे का विस्तार नेपाल और दक्षिण एशिया के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए करना चाहता है।
- ल्हासा से 253 किमी दूर शिगास्ते, जो तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, के लिए रेल लाइन को पहले से ही बढ़ा दिया गया है ।
- चीन की शिगास्ते से दो लाइनों का निर्माण करने की योजना है। एक लाइन नेपाल से सबसे नजदीक चीनी शहर केरुंग की ओर जाएगी, जहाँ से इसका विस्तार नेपाल में रासुआगढ़ी के लिए किया जाएगा। दूसरी लाइन भारत -भूटान सीमा पर यादोंग के लिए बढ़ाई जाएगी।

नेपाल के लिए इसका महत्व

- चीन के साथ रेल संपर्क नेपाली अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रेरणा देगा।

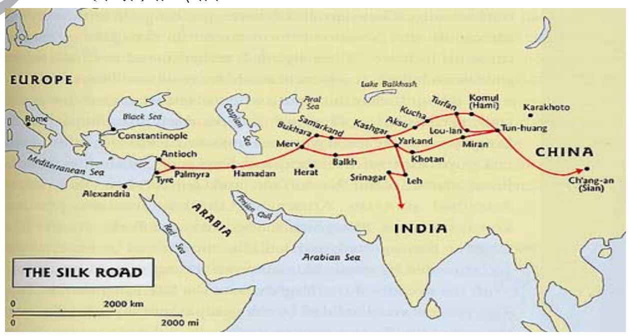

- चीन के साथ रेल संपर्क स्थापित हो जाने के बाद नेपाली माल यूरेशियाई परिवहन नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा जा सकता है। इससे देश में आर्थिक पुनर्जागरण प्रोत्साहित हो सकेगा।

भारत की चिंता

- नेपाल की दो बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के बीच विशिष्ट अवस्थिति है। किसी एक से इसकी निकटता दूसरे के लिए परेशानी का एक कारण हो सकती है।
- नेपाल वर्तमान में केवल भारत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से जुड़ा है। इससे नेपाल के लिए विदेशी संपर्क

प्रदान करने में भारतीय एकाधिकार समाप्त हो जाऐगा।

- रेशम मार्ग दक्षिण एशिया में चीनी परियोजना के प्रवेश की शुरुआत का प्रतीक होगा। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि इस क्षेत्र के अन्य देश जैसे- श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान भी किसी बिंदु पर रेशम मार्ग में शामिल हो जायेंगे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग , दक्षिण कोरिया और रवांडा की जगह पांच नए देश अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, वेनेजुएला और स्पेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में दो वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य चुने गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरक़रार रखने का दायित्व है।

सुरक्षा परिषद के 10 गैर-स्थायी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं, इनमें से 5 प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में निर्वाचित किये जाते हैं, जो पांच स्थायी और वीटो वाले सदस्यों ब्रिटेन, चीन, फ्रांस , रूस और अमेरिका के साथ शामिल होते हैं। परिषद के अध्यक्ष का पद सदस्य देशों के बीच उनके नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में निर्धारित होता है। प्रत्येक अध्यक्ष एक कैलेंडर माह के लिए पद धारण करता है।

13 वां प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को महत्व प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। विदेश मामलों और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री ने मुख्य प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक अग्रदूत के रूप में, गांधीनगर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया था। मंत्री जी ने दुनिया भर में भारतीयों के बीच तालमेल लाने के बारे में 3'c's आओ (come), जुड़ो (connect) और योगदान (contribute); के महत्व का भी आहवान किया।

- प्रवासी भारतीय दिवस के 13 वें संस्करण को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के 100 वर्ष पूर्ण होने के रूप में चिन्हित किया गया है ।
- 13 वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार थे। 2015 के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय 'भारत को जानो और भारत को मानो' था।

पृष्ठभूमि

- 9 जनवरी को इस अवसर का जश्न मनाने के लिए दिन के रूप में चुना गया, क्योंकि 1915 में इसी दिन सबसे महानतम प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और हमेशा के लिए भारतीयों के जीवन को बदल दिया।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2003 के बाद से प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जा रहे हैं।
- ये सम्मेलन सरकार और अपने पूर्वजों की भूमि के लोगों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एक मंच प्रदान करते हैं।
- ये सम्मेलन दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत उपयोगी होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं।
- इस आयोजन के दौरान, असाधारण योग्यता के व्यक्तियों को भारत के विकास में उनकी भूमिका की सराहना करने के लिए प्रतिष्ठित 'प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है ।
- यह आयोजन विदेशों में बसे भारतीयों के विषय में, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने का निर्णय एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय डायस्पोरा पर भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 8 जनवरी 2002 को उस वर्ष 9 जनवरी की तिथि को ''प्रवासी भारतीय दिवस'' (पीबीडी) के रूप में घोषित किया।

भारत, दक्षिण अफ्रीका (DYE) समझौता ज्ञापन

19 जनवरी 2015 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), ने ब्लैक बिजनेस काउन्सिल (बीबीसी) के साथ सहयोग के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

- दक्षिण अफ्रीका में युवाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन, एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के अलावा, एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेसन (INCUBATION) कार्यक्रम के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में हाशिए पर खड़े समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीबीसी के प्रयासों पर केंद्रित है।
- बीबीसी की एनएसआईसी के साथ सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में 5 रैपिड इनक्यूबेसन (INCUBATION) केन्द्र स्थापित करने की योजना है :

यूरोपीय संघ ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध हटाया

- यूरोपीय आयोग (ईसी) ने पिछले मई में आमों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के पक्ष में मतदान किया। यह प्रतिबंध आमों की कुछ खेप में फल-मक्खियों के पाये जाने के बाद लगाया गया था

- भारत द्वारा इसकी पैकेजिंग और निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार लाया गया है इस कारण ईसी द्वारा यह निर्णय लिया गया :
- भारत से फल और सब्जियों के कुल निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक यूरोपीय संघ को जाता है।
- हालांकि अन्य चार सब्जियों करेला, अरबी (taro), बैंगन (egg-plant) और चिचिंडा (snake gourd) पर आयात प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।
- यूरोपीय संघ के लिए सभी जल्द ख़राब होने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए अब यह अनिवार्य है कि इनकी जांच पौध संरक्षण निरीक्षकों की निगरानी में 'कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' द्वारा प्रमाणित पैक-घरों के माध्यम से कराई जाये।

भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समझौते के ज्ञापन(एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।

अन्य बातों के साथ समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य हैं:

- पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करना,
- पर्यटन से संबंधित जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान करना,
- होटल और टूर ऑपरेटरों सहित विभिन्न पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना,
- मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए विनिमय कार्यक्रम (एक्सचेंज प्रोग्राम) की स्थापना करना,
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश करना,
- दो दिशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों / मीडिया / राय निर्माताओं की यात्राओं का आदान-प्रदान करना,
- प्रमोशन, मार्केटिंग, गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करना, एक दूसरे के देश में यात्रा मेलों/ प्रदर्शनियों में भाग लेना, और
- सुरक्षित, सम्माननीय और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि

भारत और ओमान के बीच में एक मजबूत ऐतिहासिक और लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक संबंध रहा है। ओमान सल्तनत खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार और द्विपक्षीय, अरब खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन संदर्भों में एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। दोनों देश भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों, भारत के साथ ओमान के शाही परिवार की अंतरंगता और ओमान के निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय की मौलिक भूमिका के कारण अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं।

- हाल के वर्षों में ओमान पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्रोत बाजार के रूप में उभरा है।
- 2013 के दौरान भारत ने ओमान से 62,252 आगंतुकों का स्वागत किया। इसी तरह भारत पर्यटन के क्षेत्र में ओमान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बाज़ार के रूप में उभरा है।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से पारस्परिक आधार पर पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय तथा ओमान सरकार के पर्यटन मंत्रालय के बीच संबंधों को और मज़बूत बनाने तथा विकसित करने में सहयोग मिले।

पेरिस में पत्रिका कार्यालय पर आतंकी हमले

कम से कम दो दशकों में फ्रांस के सबसे घातक आतंकवादी हमले में नकाबपोश बंदूकधारियों ने एक व्यंग्य अखबार (चार्ली हेब्डो) के पेरिस कार्यालयों पर धावा बोल दिया । इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गयी :

पेरिस में फ्रेंच पत्रिका चार्ली हेब्डो के कार्यालय में भीषण आतंकवादी हमला भाषण , विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि बुनियादी बातों जिस पर सभी लोकतांत्रिक समाजों का निर्माण हुआ है, पर सीधा हमला है ।

पृष्ठभूमि

- 2006 के बाद से, जब पहली बार चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के डेनमार्क के एक अखबार में प्रकाशित कार्टून को पुन: प्रकाशित किया था, चार्ली हेब्दो को इस्लामी गुटों द्वारा हिंसक हमलों की धमकी दी जा रही थी ।

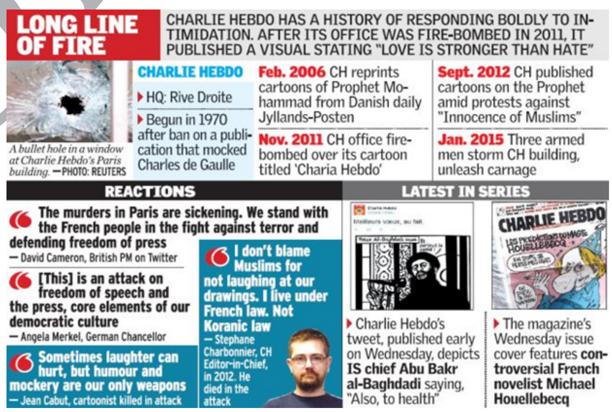

LONG LINE OF FIRE

CHARLIE HEBDO HAS A HISTORY OF RESPONDING BOLDLY TO INTIMIDATION. AFTER ITS OFFICE WAS FIRE-BOMBED IN 2011, IT PUBLISHED A VISUAL STATING "LOVE IS STRONGER THAN HATE"

A bullet hole in a window at Charlie Hebdo's Paris building. —PHOTO: REUTERS

CHARLIE HEBDO
- HQ: Rive Droite
- Begun in 1970 after ban on a publication that mocked Charles de Gaulle

Feb. 2006 CH reprints cartoons of Prophet Mohammad from Danish daily Jyllands-Posten

Nov. 2011 CH office fire-bombed over its cartoon titled 'Charia Hebdo'

Sept. 2012 CH published cartoons on the Prophet amid protests against "Innocence of Muslims"

Jan. 2015 Three armed men storm CH building, unleash carnage

REACTIONS

The murders in Paris are sickening. We stand with the French people in the fight against terror and defending freedom of press
— David Cameron, British PM on Twitter

[This] is an attack on freedom of speech and the press, core elements of our democratic culture
— Angela Merkel, German Chancellor

Sometimes laughter can hurt, but humour and mockery are our only weapons
— Jean Cabut, cartoonist killed in attack

I don't blame Muslims for not laughing at our drawings. I live under French law. Not Koranic law
— Stephane Charbonnier, CH Editor-in-Chief, in 2012. He died in the attack

LATEST IN SERIES

- Charlie Hebdo's tweet, published early on Wednesday, depicts **IS chief Abu Bakr al-Baghdadi** saying, "Also, to health"
- The magazine's Wednesday issue cover features **controversial French novelist Michael Houellebecq**

- धमकाये जाने, यहां तक कि नवंबर 2011 में एक बम फेंके जाने के बावजूद इस्लाम के सन्दर्भ में कार्टून का प्रकाशन पत्रिका ने वैसे ही जारी रखा जैसे यह लगातार ईसाई और यहूदी धर्म के सन्दर्भ में व्यंग करती रही है - पत्रिका ने अपने क्रिसमस सप्ताह के कवर पर यीशु के जन्म का कार्टून डिजाइन किया था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने फ्रेंच पत्रिका चार्ली हेब्दो के खिलाफ 'कोल्ड ब्लडेड' और 'अनुचित ' आतंकवादी हमले पर नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने

VISION IAS

की आवश्यकता को रेखांकित किया।

फ्रांस में एकता मार्च: इस्लामवादी चरमपंथियों के इस घातक हमले के पीड़ितों के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए पेरिस में विश्व के नेताओं ने एक एकता रैली की अगुवाई की। इस रैली में फ्रेंच व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो पर हमले से हैरान और चकित हजारों साधारण फ्रांसीसी नागरिक उनसे जुड़े।

वैश्विक असमानताः ऑक्सफेम (OXFAM)

वैश्विक सम्पत्ति असमानता चौंका देने वाले अनुपात तक पहुँच गयी है, 1 में से 9 लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है और एक अरब से अधिक लोग 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम पर गुजारा कर रहे हैं।

ऑक्सफेम (OXFAM) की एक रिपोर्ट के अनुसार

- धन का संकेन्द्रण यदि वर्तमान दर से बढ़ता है, तो दो वर्ष में विश्व की आबादी का एक फीसदी शेष 99 फीसदी से अधिक अर्जित करेंगे।
- क्रेडिट सुइस के 2010 के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में वयस्कों के सबसे अमीर 1% द्वारा कुल वैश्विक धन के अपने हिस्से में वृद्धि की गई है

अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने असमानता से निपटने के लिए एक सात सूत्री योजना को अपनाने के लिए सरकारों को आमंत्रित किया है :

- टैक्स के मामलों में चकमा दे रहे निगमों और अमीर व्यक्तियों पर शिकंजा कसना :
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वभौमिक, मुफ्त सार्वजनिक सेवाओं में निवेश :
- श्रम और खपत की ओर से पूंजी और धन की दिशा में कराधान स्थानांतरण करके टैक्स बोझ का न्यायपूर्ण वितरण;
- न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करना और सभी श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त मजदूरी की ओर कदम बढ़ाया जाए;
- समान वेतन कानून लागू करना और महिलाओं को उचित रूप से समाहित करने वाली आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना;
- एक न्यूनतम आय की गारंटी सहित अति गरीबों के लिए पर्याप्त सुरक्षा-जाल सुनिश्चित करना;
- असमानता से निपटने के लिए एक वैश्विक लक्ष्य के प्रति सहमति।

इटली के नौसैनिकों पर यूरोपीय संसद का संकल्प

यूरोपीय संसद के सदस्यों (MEPs) ने इटली के नौसैनिकों को भारत द्वारा इटली को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

संकल्प का विवरण

- यूरोपीय संसद के सदस्यों ने दो भारतीय मछुआरों की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है, लेकिन आरोप के बिना इटली के नौसैनिकों के निरोध के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की।
- उन्होंने जोर दिया कि 'नौसैनिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध उनके मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है तथा उनके देश-प्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) की मांग की है।
- 2012 की घटना के सन्दर्भ में उन्होंने इटली के मत का समर्थन किया है और इसलिए यह आशा व्यक्त की है कि इसका न्यायिक क्षेत्र इटालियन प्राधिकार अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधीन है।
- उन्होंने अंततः फ़ेडेरिका मोघेरिनी, (जो कि विदेश और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि हैं), से इटली के दो नौसैनिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने तथा एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने के लिए इसमें शामिल सभी पक्षों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए कहा।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने इस संकल्प के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा यह मामला न्यायाधीन है और इस तरह की सलाह उचित दिशा में उठाया गया कदम नहीं है।
- इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2015 को स्वास्थ्य के आधार पर इटली में अपने प्रवास के लिए एक नौसैनिक, मसिमिलिआनो लातोरे, को तीन महीने का विस्तार दिया था। अन्य नौसैनिक, सल्वातोर गिरोने, नई दिल्ली में इतालवी दूतावास में रह रहा है।

पृष्ठभूमि

- 15 फरवरी 2012 को केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरे की हत्या के आरोप में मसिमिलिआनो लातोरे और सल्वातोर गिरोने को गिरफ्तार किया गया था।
- उनका कहना है कि जहाज एनरिका लेक्सी की रखवाली करते हुए समुद्री डाकू समझकर उन्होंने मछुआरों पर गोली चलायी।
- गोलीबारी (Shooting) की घटना से क्षेत्राधिकार और मुक्ति (jurisdiction and immunity) पर परस्पर विरोधी विचारों को लेकर भारत और इटली के बीच कूटनीतिक विवाद छिड़ गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा

बराक ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और साथ ही दो बार भारत की यात्रा करने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। मोदी-ओबामा बैठक के बाद आपसी समृद्धि, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय शांति, मानव जाति के बड़े लाभ के लिए सुरक्षा और स्थिरता के लिए चल रहे प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए, ठोस सिद्धांतों पर उनकी 30 सितंबर की विजन स्टेटमेंट पर आधारित एक 'मैत्री की भारत-अमेरिका दिल्ली घोषणा' को जारी किया गया। यह

घोषणा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा को परिभाषित करने का प्रयास करती है।

अमेरिका की $ 4 बिलियन की नई पहल की घोषणा, व्यापार मिशन

ओबामा ने भारत में व्यापार और निवेश संबंधों के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 4 बिलियन $ की नई पहल की घोषणा की है, और एक नयी भारतीय डायस्पोरा निवेश पहल के माध्यम से देश में सामाजिक विकास के उद्यमों के लिए वित्त पोषण का एक नया स्रोत खोल दिया।

4 अरब डॉलर सौदों के अंतर्गत 2 अरब डॉलर का वित्तपोषण अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी के माध्यम से भारत में अक्षय ऊर्जा निवेश के लिए और विदेशी निजी निवेश निगम, या ओपीआईसी के माध्यम से भारत भर में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए ऋण के रूप में 1 अरब डॉलर का निवेश शामिल हैं।

परमाणु सहयोग:

परमाणु करार पर निर्णायक पहल - समझौते पर बातचीत के 10 वर्ष के बाद और हस्ताक्षर किए जाने के छह वर्ष बाद इस दिशा में सकारात्मक पहल हुई हैङ्क इससे अमेरिकी कंपनियों के असैनिक परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए रास्ता खुलेगा, तथा भारत को उम्मीद है की यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए योगदान देगा।

- दुर्घटना की स्थिति में परमाणु रिएक्टरों के आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व और अमेरिका द्वारा आपूर्ति किये गए ईंधन की ट्रैकिंग से संबंधित प्रमुख बाधाओं के सन्दर्भ में सकारात्मक बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका परमाणु करार पर गतिरोध टूटा करने का दावा किया।
- ऑपरेटरों और आपूर्तिकर्ताओं को कवर करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का एक परमाणु जोखिम प्रबंधन कोष बनाया जाएगा। यह पांच भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के नेतृत्व में किया जाएगा, जिनका सम्मिलित योगदान 750 करोड़ रुपये होगा (बाकी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी)
- भारत ने अमेरिका से चार परमाणु क्षेत्रों (regimes); परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, वास्सेनार व्यवस्था (wassenaar Arrangement), आस्ट्रेलिया समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में अपनी सदस्यता के लिए समर्थन का आश्वासन प्राप्त किया ।

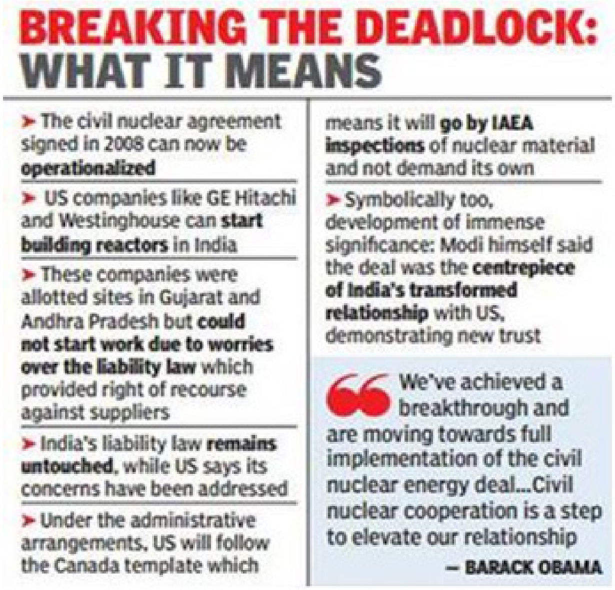
BREAKING THE DEADLOCK: WHAT IT MEANS

- The civil nuclear agreement signed in 2008 can now be **operationalized**
- US companies like GE Hitachi and Westinghouse can **start building reactors** in India
- These companies were allotted sites in Gujarat and Andhra Pradesh but **could not start work due to worries over the liability law** which provided right of recourse against suppliers
- India's liability law **remains untouched**, while US says its concerns have been addressed
- Under the administrative arrangements, US will follow the Canada template which means it will **go by IAEA inspections** of nuclear material and not demand its own
- Symbolically too, development of immense significance: Modi himself said the deal was the **centrepiece of India's transformed relationship** with US, demonstrating new trust

"We've achieved a breakthrough and are moving towards full implementation of the civil nuclear energy deal...Civil nuclear cooperation is a step to elevate our relationship
— BARACK OBAMA

रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल (DTTI)

- भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग समझौते का विस्तार करने के लिए सहमत हुए हैं, संयुक्त उत्पादन और विकास के लिए और विमान के इंजन और विमान वाहक प्रणालियों की खोज में सहयोग के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल (DTTI) के तहत चार परियोजनाओं की पहचान की गयी है।
- दोनों देश विमान वाहक तकनीक और डिजाइन के क्षेत्र में संभावनायें तलाशने और भारत में जेट इंजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कार्यसमूह गठित करने पर सहमत हुए हैं।
- DTTI के तहत पहचान की गयी परियोजनाओं में अगली पीढ़ी के रेवेन मिनी मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), C-130 परिवहन विमान के लिये रोल-ऑन, रोल-ऑफ खुफिया किट और मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड शक्ति स्रोत शामिल हैं।
- दोनों नेता द्विपक्षीय आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहमत हुए।

VISION IAS

स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य और सहयोग

नेताओं ने भारत को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाने के सन्दर्भ में कार्यवाही की घोषणा की। विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतू भारत प्रयासरत हैइ इस हेतू 2022 तक 100 गीगावाट सौर उर्जा का उत्पादन भारत का इच्छित लक्ष्य है।

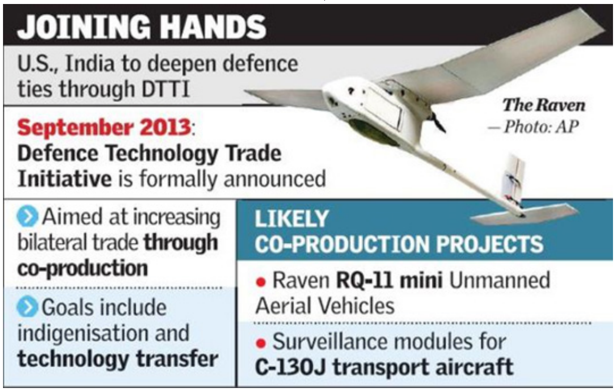

संयुक्त राज्य अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाकर भारत के लक्ष्य को समर्थन प्रदान करने का इरादा रखता है, सहयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं :

- स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिये अग्रिम भागीदारी का विस्तार
- स्वच्छ ऊर्जा तैनाती करने के लिए अग्रिम साझेदारी का विस्तार
- स्वच्छ ऊर्जा वित्तीयन में तेजी लाना
- वायु गुणवत्ता सहयोग की शुरुआत
- जलवायु के प्रति लोचशील (क्लाइमेट रेजिलिएंस) उपकरणों के विकास की शुरुआत
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु पहल का जमीनी प्रदर्शन :
- हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HFCS) को बदलने के लिए समाधान विकसित करना :

'स्मार्ट शहरों' पर भारत, अमेरिका द्वारा तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

- भारत और अमेरिका ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना 'स्मार्ट शहर' को गति देने के लिए तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- अमेरिका इलाहाबाद, अजमेर, और विशाखापत्तनम में तीन स्मार्ट शहरों को विकसित करने में भारत के साथ भागीदारी के लिए सहमत हो गया है।
- समझौते के अनुसार, अमेरिका परियोजना की योजना बनाने, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यवहार्यता अध्ययन और क्षमता निर्माण के सन्दर्भ में इन शहरों की सहायता करेगा।

अर्थव्यवस्था

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के दोहरे विनियमन के अधीन हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन

बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन पी ए) अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पांच प्रतिशत से अधिक है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह आंकड़ा दो प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) ने इस बात पर बल दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशोध्य ऋण (bad debt) परिसंपत्तियों और पुनर्गठित ऋण (restructured loan) सहित (30 सितम्बर 2014 तक) कुल ऋण का 12 प्रतिशत से अधिक था।

हाल के निर्देश

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें बैंक अधिकारियों से भय अथवा पक्षपात के बगैर निर्णय लेने, व्यावसायिक फैसलों में बाहरी विचारों की अनदेखी करने तथा प्रोफेशनल ढंग से काम करने को कहा है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने बैंक अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के लिये कर्ज प्रवाह बढ़ाने और अपने एनपीए में कमी के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की भूमिका को अलग-अलग करने का फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्थापित पी.जे. नायक समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक की भूमिका को अलग करने की सिफारिश की थी।

ज्ञान संगम

वित्त मंत्रालय द्वारा दो दिवसीय 'ज्ञान संगम' या 'बैंकर्स रिट्रीट' पुणे में आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक अनौपचारिक माहौल में बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों और नियामकों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए नई दिशा तय करना था।

सभी बैंकरों की ओर से प्रधानमंत्री को दी गयी एक प्रेज़ेंटेशन में, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की अध्यक्षा अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा "एक समूह के रूप में हमने (सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने) पाँच प्रमुख प्रस्तावों को अपनाने का फैसला किया है।

पांच प्रस्तावों में शामिल हैं -

a) विशिष्ट और अलग-अलग मौकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभागों को फिर से उन्मुख करने के लिए निर्णय लिया गया।

b) लोगों की क्षमता निर्माण करना।

c) प्रौद्योगिकी का विभिन्न प्रक्रियाओं में बेहतर ढंग से उपयोग करना

d) जोखिम प्रबंधन की कार्यकुशलता को मजबूत बनाना।

e) साथी जुड़ावों (पार्टनर चैनल) को मजबूत बनाना जैसे व्यवसाय प्रतिनिधि (बिज़नस करेस्पांडेंट) को मजबूत बनाना

बैंकर्स ने भी निम्नलिखित क्षेत्रों में कुछ प्रतिबद्धताओं के लिए सरकार से मांग की है।

f) मानव संसाधन से संबंधित निर्णयों पर बैंकों को पूरी तरह से सशक्त करना ।

g) न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अनुकूल माहौल बनाना।

h) ऋण वसूली के लिए विधिक ढांचे को मजबूत बनाना।

i) क्रेडिट बीमा की प्रक्रियाओं को सरल तथा मजबूत बनाना

j) ऋण छूट को खत्म करना और ब्याज दर की अधिकतम सीमा को हटाना।

k) डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण।

बैंकरों ने पी. जे. नायक समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार राज्य-स्वामित्व वाली संरचना को राज्य-जुड़ाव (State Linked) संरचना से प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

जीडीआर (GDR) (ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट)

जीडीआर भारत में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कई अन्य देशों में अधिकतर अमेरिकी डॉलर या यूरो के रूप में धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय वित्तीय साधन है

जीडीआर एक प्रकार के बैंक प्रमाणपत्र होते हैं। कंपनी के शेयरों के बदले इन्हें एक से अधिक देशों में जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक की विदेशी शाखाएं इन्हें खरीदती हैं। इन कंपनियों के शेयरों का कारोबार तो घरेलू बाजारों में होता है, लेकिन डिपॉजिटरी रसीदों की बिक्री नामित बैंकों की शाखाओं के जरिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा सकती है।

'जीडीआर मार्ग' काले धन की जांच के दायरे में

- विभिन्न वित्तीय नियामक एवं जांच एजेंसियों को संदेह है कि जीडीआर मार्ग का इस्तेमाल विदेश में जमा अवैध धन को वैध बनाकर वापस लाने के लिए किया जा रहा है।
- इसके लिए स्विटजरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरीशस, दुबई तथा कनाडा जैसे देशों में पंजीकृत फर्मों का पेचीदा जाल बुना जाता है। काले धन को कई स्तरों से गुजार कर भारत वापस लाया जाता है।
- पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें सूचीबद्ध कंपनियों के जरिये विदेश से फंड जुटाने के नाम पर काला धन वापस लाने का संदेह है।
- जीडीआर के अलावा, विनियामक और अन्य एजेंसियाँ पहले से ही भारत के भीतर शेयर बाजारों के ऐसे संदिग्ध दुरुपयोग की जांच कर रही हैं,जिसमें केवल कागजों पर

उपस्थित फर्जी कंपनियों ने कर चोरी तथा मनी-लांड्रिंग के लिए शेयर बाज़ार का इस्तेमाल किया।

- जीडीआर के जरिये जुटाए गए और अधिक फंड ट्रांसफर करने के लिए कंपनियों ने मनगढ़ंत व्यावसायिक लेनदेन दिखाए तथा अंतिम लाभार्थी तक धन के पहुंचने से पहले कई बैंक खातों का उपयोग किया।

वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के व्यापार तथा विकास पर सम्मेलन (UNCTAD) ने 29 जनवरी 2015 को वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट 2014 में वैश्विक निवेश प्रवृत्ति और 2015 में वैश्विक निवेश संभावनाओं को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु

- 2014 में, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह में 8% की गिरावट आई है (अनुमानत: 1.26 ट्रिलियन डॉलर) जिसका कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की भंगुरता (fragility), नीतिगत अनिश्चितताओं और भूराजनीतिक जोखिमों में वृद्धि है ।
- विकसित देशों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 14% (अनुमानत: 511 बिलियन डॉलर) की गिरावट आई जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परिसम्पत्तियों के बड़े हिस्से की बिक्री (Divestment) से प्रभावित है।
- यूरोपीय संघ (ईयू) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमानत: 267 बिलियन डॉलर पहुँच गया जो 2013 की तुलना में 13% वृद्धि दर्शाता है, लेकिन यह अभी भी 2007 का केवल एक तिहाई है।
- संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश आधे से अधिक गिर गया (अनुमानत: 45 बिलियन डॉलर) । क्षेत्रीय संघर्ष, रूसी संघ पर प्रतिबंध तथा आर्थिक वृद्धि की सीमित संभावनाओं ने विदेशी निवेशकों, विशेष रूप से विकसित देशों के निवेशकों को इन देशों में निवेश के लिए हतोत्साहित किया।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नयी ऊँचाइयों पर पहुंचा जो लगभग 700 बिलियन डॉलर था यह 2013 से 4% अधिक था जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 56% थी।
- क्षेत्रीय स्तर पर एशिया के विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, लैटिन अमेरिका के देशों में इसमें गिरावट आई है, जबकि अफ्रीका के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समान स्तर पर बना रहा।

चीन लगभग 128 बिलियन डॉलर के वित्तीय तथा गैर-वित्तीय विदेशी निवेश के अंत: प्रवाह के साथ 2014 में दुनिया में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़े मेजबान देश के रूप में तीसरे स्थान पर पहुँच गया। दुनिया में शीर्ष पांच एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में चार विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं।

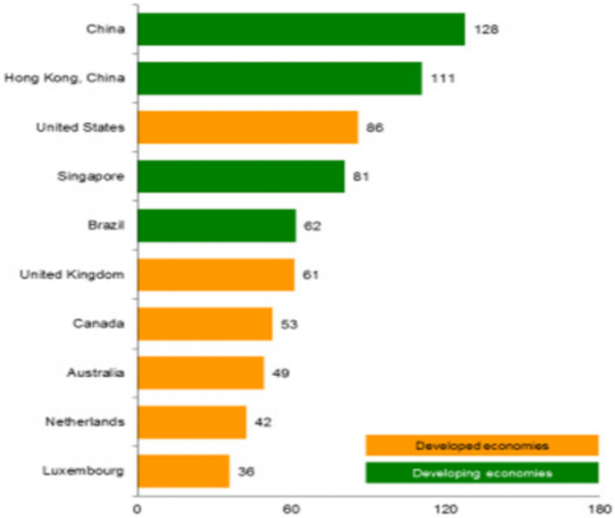

अनुमानित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत: (FDI) प्रवाह- 2014 की शीर्ष 10 मेजबान अर्थव्यवस्थाएं

भारत में निवेश

व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और वित्तीय जोखिम के बावजूद 2014 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत: प्रवाह 26 फीसदी की वृद्धि के साथ $ 35 बिलियन रहा।

2015 में निवेश की प्रवृति

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक एफडीआई (FDI) प्रवाह की प्रवृत्तियों में अनिश्चितताएँ थी। ''विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरताओं, निम्न उपभोक्ता मांग के कारण विकास की निम्न संभावनाओं, मुद्रा बाजार में अस्थिरताओं और भूराजनीतिक अस्थिरताओं ने निवेशकों के मन में एक भय पैदा किया।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कच्चे तेल की कीमत मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है लेकिन वर्तमान गिरावट में बहुआयामी कारणों का योगदान है।

वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट के कारण

- चीन जैसे तेल के मुख्य आयातक देश ने एक विशाल अंतर से अपने तेल आयात में कटौती की है जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति की मांग में भारी गिरावट आई है।
- अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया है। अमेरिका का घरेलू उत्पादन पिछले 6 वर्षों में दोगुना हो गया है जिससे कुछ समय पहले 30 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात करने वाला यह देश अब निर्यात करने की स्थिति में आ गया है जिससे यह एक अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता बन रहा है ।
- अमेरिका के तेल आयात में कमी की वजह से तेल निर्यातक देश अपनी बिक्री के लिए दूसरे ठिकाने खोजने पर विवश हुए। सऊदी अरब, नाइजीरिया और अल्जीरिया के तेल

निर्यातक देश अपना तेल बेचने के लिए एशियाई बाज़ार में हिस्सेदारी के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्पादकों को कीमत गिरानी पड़ी

- सउदी और उनके खाड़ी के सहयोगियों ने मूल्य को बहाल करने के लिए अपने स्वयं के बाजार में हिस्सेदारी का त्याग न करने का फैसला किया है।
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) जो कुल वैश्विक उत्पादन का 40 फ़ीसदी हिस्सेदारी रखता है में आपसी फूट भी कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही है। ओपेक की बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि सऊदी अरब सस्ते तेल के बल पर ईरान और रूस की तेल उत्पादन धुरी को अलग-थलग करने और अमेरिका में शेल गैस उत्पादन की वृद्धि को कम करने की नीति पर काम कर रहा है।
- सऊदी अरब तेल की कम कीमत के माध्यम से ईरान को नियंत्रित करने की दूरगामी रणनीति पर काम कर रहा है। सऊदी अरब को लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर ईरान पश्चिम के सामने घुटने टेकते हुए परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़ देगा। परमाणु बम के साथ-साथ सऊदी अरब लेबनान, सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव को भी रोकना चाहता है।
- इराक व सीरिया में आधिपत्य जमाये आइएस के आतंकवादी भी सस्ती दर पर कच्चा तेल बेचकर कीमतों को गिरा रहे हैं।
- तकनीक में हो रहे उन्नयन से ऊर्जा दक्ष वाहनों के बढ़ते प्रचलन ने तेल की खपत में कमी की है।

भारत के लिए लाभ

भारत अपनी मांग का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, यह प्रमुख आयातकों में से एक है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय रुपये को मजबूती प्रदान करता है तथा व्यापार घाटे को कम करने में सहायता करता है।

- तेल की कम कीमत से हमारी उत्पादन लागत कम होगी और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो जाएगें। साथ ही हमारे निर्यात में भी वृद्धि होगी।
- हमारे आयातों में कमी आएगी जिससे भुगतान संतुलन में सुधार होगा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट भारत के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन है क्योंकि भारत के आयात बिल का 37 फीसदी तेल खातों के रूप में है।
- कच्चे तेल की कम कीमतें पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती करने में सहायक हैं जिससे राजकोषीय घाटे पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
- तेल की कम कीमत से मुद्रास्फीति में कमी होगी।
- तेल सस्ता होने से देश की पेंट, प्लास्टिक, उर्वरक, और जहाजरानी कम्पनियों को लाभ होगा जिससे औद्योगिक विकास दर में भी बढ़ोतरी होगी

भारत के लिए नुकसान

- आज वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अच्छी स्थिति की ओर है और किसी भी अर्थव्यवस्था का पतन, जैसे ग्रीस या अन्य कोई भी तेल उत्पादक देश हो, केंद्रीय बैंकों के नीति कार्यों (पालिसी एक्शन) को बदल देगा जो निवेश को प्रभावित करेगा जिससे हमारा बाहरी संतुलन प्रभावित होगा। व्यापार के मोर्चे पर शायद यह प्रभावित नहीं करे किन्तु यह निश्चित रूप से भुगतान संतुलन को प्रभावित करेगा।
- रूस तथा अमेरिका में शेल गैस विकासकर्ताओं को दिए गए ऋण की अप्राप्ति वैश्विक बैंकिंग उद्योग को प्रभावित कर सकती है और यह असंतुलन का एक कारण हो सकता है।
- सस्ता कच्चा तेल जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में शोध और निवेश को हतोत्साहित करेगा। सौर व पवन ऊर्जा के रूप में स्वच्छ ईंधन की जो उम्मीद की किरण दिखी थी उसमें शिथिलता आने का खतरा पैदा होगा।

पंच-दीप परियोजना

केंद्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के लेनदेन को स्वचालित करने के लिए 'पंच दीप' नामक 1,900 करोड़ रुपये की ई-गवर्नेंस परियोजना लागू कर रहा है। केंद्र ने राज्यों को ज्यादा अधिकार सौंपने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए राज्य कार्यकारी समितियों को बनाने का निर्णय लिया है।

ईआरपी ERP (उद्यम संसाधन योजना)

- ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) कर्मचारियों को एक अनूठा कार्ड देगा और इसमें तीसरे पक्ष के बिलों के भुगतान की सुविधा होगी।
- यह सब मध्यवर्ती परतों को दूर करने में मदद करता है और प्रक्रिया को आसान बनाता है।
- ईआरपी समाधान सभी सदस्यों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक विशाल डाटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। जिसका लाभ डॉक्टरों और मरीजों दोनों को मिलेगा।
- बीमित व्यक्ति (IP) को परियोजना के तहत बायोमेट्रिक कार्ड दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों (BPS POINTS) की कटौती की-

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 7.75% कर दिया। केंद्रीय बैंक ने 4.0% नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अचानक की गयी दर में कटौती के निर्णय के लिए कई घरेलू कारकों को सूचीबद्ध किया, जिनमें प्रमुख हैं-

- मुद्रास्फीति: जुलाई 2014 के बाद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- डब्लू पी आई में सकारात्मक परिवर्तन से मुद्रास्फीति के दबावों में सहजता आई है।
- राजकोषीय घाटा लक्ष्य: RBI गवर्नर रघुराम राजन ने चालू

वित्त वर्ष में 4.1% के अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के आश्वासन को स्वीकार किया है।

- मुद्रास्फीति अनुमान: अल्पावधि और दीर्घावधि मुद्रास्फीति के अनुमान सितम्बर 2009 के बाद पहली बार के लिए एक अंक तक सीमित हुए है।

दर में कटौती की प्रतिक्रियायें

- वित्त मंत्री ने कहा कि ''दरों में कमी एक सकारात्मक प्रगति है। इससे उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा होगा और अधिक खर्च को बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है ''
- वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेगें जिसे सरकार बहाल करने की कोशिश कर रही है।
- उद्योग जगत भी पूंजी लागत को कम करने और निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने में मदद के लिए ब्याज दर में कटौती की मांग कर रहा है।
- रिजर्व बैंक की ओर से मुख्य नीतिगत दर में कटौती से व्यक्तिगत ऋण एवं कॉरपोरेट ऋण दरों में कटौती होगी, जिससे आवास, वाहन एवं कॉरपोरेट ऋण सस्ते हो जायेंगे।

आधार वर्ष में बदलाव

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने आर्थिक विकास दर की गणना के लिए 2011-12 के नए आधार वर्ष के साथ राष्ट्रीय खातों की एक नई श्रृंखला जारी की है। जनवरी 2010 में, आधार वर्ष 2004-05 के रूप में तय किया गया था।

संशोधित आधार वर्ष के अनुसार भारत की जीडीपी की विकास दर 2013-14 में 4.7 प्रतिशत की बजाय 6.9 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। वित्त वर्ष 2012-2013 में जीडीपी वृद्धि को 4.5 फीसदी से संशोधित करके 5.1 फीसदी कर दिया गया है। जीडीपी गणना के आधार वर्ष के साथ-साथ अवधारणात्क स्वरूप में भी बदलाव किया गया है। इससे विश्लेषण के लिए आंकड़ों की समझ सरल होगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप तुलना करने में भी आसानी होगी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खातों की गणना के आधार वर्ष में बदलाव से वित्त वर्ष 2013-14 में देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 6,699 रुपये मासिक हो गई है

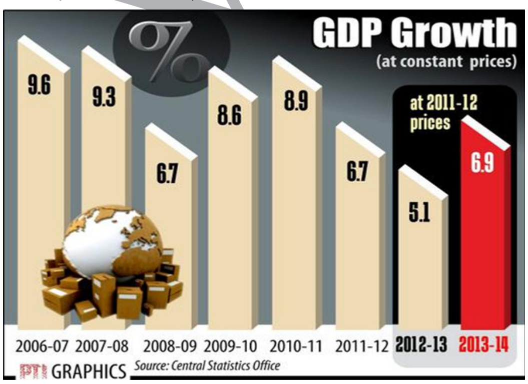

दक्षिण एशिया में असमानता : विश्व बैंक की रिपोर्ट

विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत की असमानता की पारंपरिक समझ को चुनौती दी है। रिपोर्ट, ''दक्षिण एशिया में असमानता'' में कहा गया है कि 2014 में गरीबी से उबरने की गरीब व्यक्ति की संभावना भारत में भी अमेरिका जैसी अच्छी ही है।

ऊपर की ओर गतिशीलता (Upward Mobility)

- रिपोर्ट में पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बेटों को अब अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक कार्यों में ही नहीं फंसा रहना पड़ रहा है।
- पीढ़ियों में मुसलमानों के बीच व्यावसायिक प्रोफाइल की गतिशीलता, उच्च जाति के हिंदुओं के समान हो गयी है, जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच गतिशीलता समय के साथ उच्च जाति के हिंदुओं की तुलना में अधिक हो गयी है ।
- रिपोर्ट यह दर्शाती है कि गतिशीलता के मुख्य चालकों में से एक ग्रामीण भारत में गैर-कृषि नौकरियों की संख्या में वृद्धि होना भी है।

Source: Addressing Inequality in South Asia Report

शहरीकरण और कम होती असमानता

- 2004-05 और 2009-10 के बीच, भारत की कुल आबादी का 15 फीसदी या गरीबों का 40 फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा से ऊपर चला गया।
- इसी अवधि में, गरीब और कमजोर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा- कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत या गरीब और कमजोर वर्ग के 11 फीसदी से अधिक हिस्सा - मध्यम वर्ग में चला गया।
- हालांकि, कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत से अधिक या गैर-गरीब समूह का लगभग 14 फीसदी से अधिक हिस्सा गरीबी में वापस शामिल हो गया। इससे पता चलता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कमजोर एवं मध्यम वर्ग अधिक जोखिमों का सामना कर रहा है

रिपोर्ट से लिए गए नीतिगत बिंदु

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए प्रयास करना;
- शहरीकरण के अवसर का लाभ उठाना;

- सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल निर्माण करने के साथ ही साथ जनसंख्या को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा पोषण दिया जाना।

वोडाफोन कर मामला

10 अक्टूबर 2014 को मुंबई उच्च न्यायालय ने कंपनी को अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने की आयकर विभाग की मांग के खिलाफ फैसला सुनाया। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) के मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।

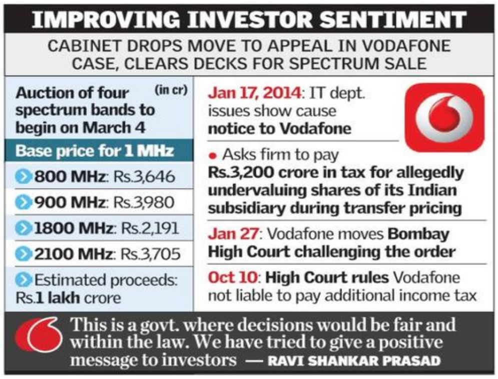

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। सरकार के द्वारा यह कदम देश में निवेश माहौल में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसी अपील नहीं करने के निर्णय का इसी तरह के अन्य मामलों के लिए व्यापक निहितार्थ हैं जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं इस अर्थ में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपनी अनुषंगी वोडाफोन इंडिया सर्विसेज के शेयरों को ब्रिटेन की मूल कंपनी को स्थानांतरित करते समय कम मूल्य करके आंका था। यह सौदा वित्त वर्ष 2009-10 में हुआ था। ।

ट्रांसफर प्राइसिंग का मुद्दा एक ही समूह की अलग-अलग कंपनियों के बीच होने वाले सौदों से जुड़ा है। आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगी कंपनियां विभिन्न देशों में होती हैं। समूह से बाहर की कंपनी के बीच जिस मूल्य पर सौदा हो सकता है उसी मूल्य पर समूह की कंपनियों के बीच भी हो, इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है।

भारत 2016-17 में चीन की विकास दर के समान विकास दर प्राप्त कर लेगा: विश्व बैंक

- भारत 2016-17 में चीन की 7 फीसदी वृद्धि दर के समान वृद्धि दर प्राप्त कर लेगा। देश की अर्थव्यवस्था नई सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधार के उपायों, गिरती तेल की कीमतों और कम ब्याज दरों के मद्देनजर संभली है। बैंक ने एफडीआई (FDI) बढाने के लिए भारत में सुधारों और विनियमन में ढील के कार्यान्वयन की उम्मीद जताई है ।
- बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2016 और 2017 में विकास दर के पूर्वानुमान में चीन के क्रमश: 7 फीसदी और 6.9 फीसदी की वृद्धि दर की तुलना में भारत के लिए 7 फीसदी की वृद्धि दर का पूर्वानुमान किया है।
- यह हाल के दिनों में पहली बार होगा जब भारत की विकास दर चीन की विकास दर के समान होगी।
- सुधारों ने जहाँ भारत में आपूर्ति की बाधाओं को कम किया है, पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव में कमी हुई है, बांग्लादेश और नेपाल में प्रेषण (रेमिटेंस) मजबूत बने हुए हैं और इस क्षेत्र की निर्यात कंपनियों के लिए मांग बनी हुई है, इन कारणों से क्षेत्रीय विकास (दक्षिण एशिया) में 2017 तक 6.8 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान किया गया है।

सामाजिक मुद्दे एवं स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एक मूल अधिकार के रूप में

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 का मसौदा - मुख्य घटक व लक्ष्य

- स्वास्थ्य परिचर्या के नियामकी ढाँचे को मजबूत करना, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक परिषदों (प्रोफेशनल काउन्सिल्स) का सुधार भी शामिल है तथा व्यावसायिक परिषदों (प्रोफेशनल काउन्सिल्स) की स्वायत्तता व जवाबदेही में संतुलन को सुनिश्चित करना।
- क्लीनिकल ट्रायल (परीक्षण) को कानून द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है।
- एक मूल अधिकार के रुप में स्वास्थ्य की गारंटी देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम को क्रियान्वित करना।
- स्वास्थ्य का आधारभूत ढाँचा बनाने व मानव संसाधन को इसमें शामिल करने में निवेश का लक्ष्य।
- मुफ्त व व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना व जरुरी दवाओं व जाँचों को मुफ्त उपलब्ध करवाना।
- स्वास्थ्य परिचार को और अधिक प्रभावी व वहनीय बनाने के लिए निजी हैल्थ केयर उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

यह नीति यूनिवर्सल कवरेज को प्राप्त करने का प्रथम चरणमात्र है। जो कि स्वास्थ्य को एक मूल अधिकार के रुप में मानने की वकालत करता है तथा इसे नकारना कानूनी अपराध है''। वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.04 फीसदी ही खर्च कर रही है, जो कि विश्व में सबसे कम में से एक है, इसे प्रति व्यक्ति 957रु. के रुप में भी समझा जा सकता है। वहनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने में सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र के विफल हो जाने के कारण ही स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च व भार बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरुप लगभग 63 मिलियन लोग प्रतिवर्ष गरीबी के गर्त में जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी (GDP) के 2.75% तक बढाना

- यह मसौदा बताता है कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 4 से 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इस व्यय का 40% केन्द्र सरकार वहन करेगी।
- शिक्षा पर उपकर की तर्ज पर सरकार स्वास्थ्य पर उपकर लगाकर अपने संसाधन बढ़ाएगी। तम्बाकू, एल्कोहल, आदि पर विशेष करारोपण भी किया लगाया जा सकता है।

न्यायिक हस्तक्षेप (सक्रियता)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी मण्डल/जैतून प्रकरण में जून, 2010 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि मातृत्व स्वास्थ्य को नकारना मौलिक संवैधानिक व मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार व जनन अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही भाग है। उन्होने जोर दिया कि स्वास्थ्य के अधिकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उपचार के न्यूनतम मानक होने चाहिए।

उन्होने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी वायदों को भी बताया जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के शोषण व अत्याचारों को रोकने पर सम्मेलन तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता इत्यादि शामिल है।

रक्त-समूह (ब्लड-ग्रुप)

रक्त-प्रकार (इसे रक्त-समूह भी कहा जाता है), रक्त का वर्गीकरण है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं (RBCs) की सतह पर आनुवांशिक प्रतिजनिक (एण्टीजनिक) पदार्थो की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर आधारित है।

ये एण्टीजन रक्त समूह तंत्र के अनुसार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको प्रोटीन अथवा ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ एण्टीजन, विभिन्न ऊतकों की अन्य प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर भी उपस्थित रहते हैं। इनमें से कई लाल रुधिर कोशिका सतही एण्टीजनों को एक ही युग्म विकल्पी (अथवा अत्यधिक नजदीक संबंधी जीन से) तथा सामूहिक रुप से एक रक्त समूह तंत्र (ब्लड ग्रुप सिस्टम) से उत्पन्न किया जा सकता है। रक्त प्रकार आनुवांशिक है तथा माता-पिता दोनों के योगदान को प्रस्तुत करते है।

वर्तमान में इंटरनेशनल सोसायटी आफ ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ISBT) द्वारा 33 प्रकार के मानव रक्त समूह तंत्र पहचाने जा चुके हैं। इनमे दो अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें से एक है, ABO तथा RhD एण्टीजन: ये किसी व्यक्ति के रक्त का प्रकार निर्धारित करते हैं (जैसे, +/– के साथA, B, AB तथा O, अथवा RHD)।

VISION IAS

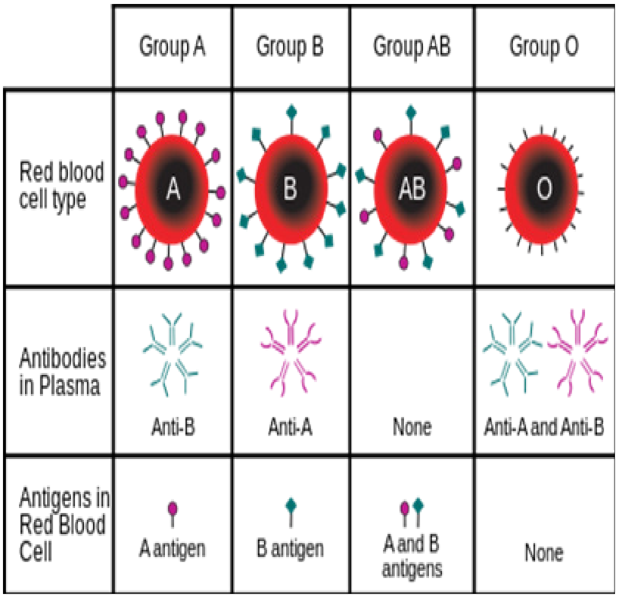

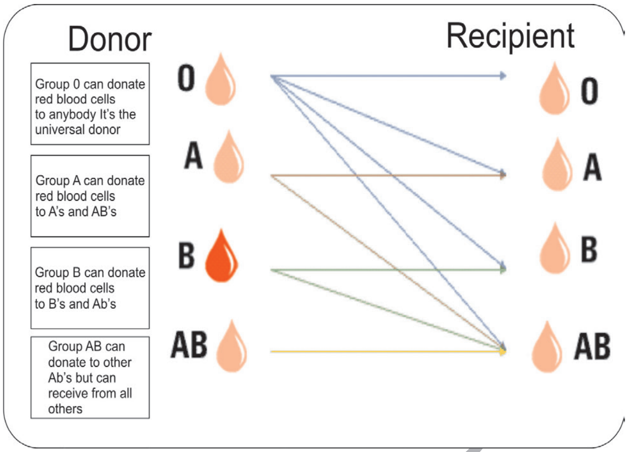

ABO रक्त समूह तंत्र

दो एण्टीजनों की A और B की लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से 4 मुख्य रक्त समूहों का निर्धारण होता है-

- समूहA इसमें केवल A एंटीजन लाल कोशिकाओं पर होती है (B एंटीबाडी प्लाज्मा में)
- समूह B इसमें केवल B एंटीजन लाल कोशिकाओं पर होती है (A एंटीबाडी प्लाज्मा में)
- समूह AB इसमें A व B दोनों एंटीजन लाल कोशिकाओं पर पाये जाते हैं। (परन्तु न तो A और ना ही B एंटीबाडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं।)
- समूह O ना तो A ना ही B एंटीजन लाल कोशिकाओं पर पाये जाते है। (परन्तु A तथा B दोनों एंटीबाडी प्लाज्मा में होते हैं)

सुरक्षित रक्त-आधान (transfusion) के लिए कुछ विशेष तरीके है जिनके आधार पर रक्त प्रकार अवश्य ही सुमेलित होने चाहिए। चार्ट देखिये -

इसी के साथ में A तथा B एन्टीजन के अतिरिक्त एक तीसरा एन्टीजन भी होता है, जिसे Rh कारक कहते है। यह (Rh कारक) उपस्थिति (+) अथवा अनुपस्थित (–) हो सकता है। सामान्यत: Rh नेगेटिव रोगी को Rh नेगेटिव रक्त दिया जाता है तथा Rh पोजिटिव रोगी को Rh पोजिटिव रक्त या Rh नेगेटिव रक्त दिया जा सकता है।

- सार्वत्रिक रक्त (लाल कोशिका) दाता का रक्त प्रकार O नेगेटिव होता है।
- सार्वत्रिक प्लाज्मा दाता का रक्त प्रकार AB पोजिटिव होता है।

ABO एन्टीजन्स की रक्त आधान दवाओं (TRANSFUSION MEDICINES) में भूमिका

रक्त आधान के लिए रक्त दाता व रक्त प्राप्तकर्ता दोनों कोABO संगत होना चाहिये। प्राप्तकर्ता एन्टी A या एन्टी B एन्टीबाडीज को निर्मित न कर सकने वाला होना चाहिये जो दाता के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A या B एन्टीजन्स के अनुरुप हो। (चुकि रक्त-आधान से पूर्व सम्पूर्ण रक्त से लाल कोशिकाओं को अलग किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि दाता के रक्त प्लाज्मा में एन्टीबाडीज हों।) यदि रक्त प्राप्तकर्ता की एन्टीबाडीज तथा दाता की लाल रक्त कोशिकाओं के एन्टीजन समान हुए, तब दाता रक्त को अस्वीकार कर दिया जाता है।

ABO तंत्र के साथ ही Rh रक्त समूह तंत्र आधान अनुकूलता को प्रभावित कर सकता है। Rh कारक के लिए प्रत्येक व्यक्ति या तो पाजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसे ABO प्रकार के बाद '+' या '–' के द्वारा दर्शाते हैं। रक्त जो Rh– नेगेटिव हो, Rh- पाजिटिव व्यक्ति को दिया जात सकता है किन्तु एक Rh- नेगेटिव व्यक्ति Rh- पाजिटिव RBCs के लिए एन्टीबाडीज का निर्माण कर सकता है।

इसी कारण से AB+ रक्त समूह प्रकार को 'सर्वग्राही' भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह न तो एन्टी-B न ही एन्टी-A पर उसके प्लाज्मा से क्रिया करता है तथा दोनों Rh-पाजिटिव और Rh-नेगेटिव रक्त को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार O- रक्त प्रकार को ''सर्व दाता'' कहा जाता है। इसकी लाल रक्त कोशिकाओं में कोई A और B एन्टीजन नहीं होते है तथा ये Rh– नेगेटिव होता है अत: इसे कोई अन्य रक्त प्रकार अस्वीकृत नहीं करता है।

रक्त का संगठन:

रक्त कोशिकाओं का संगठन है जो कि द्रव के समान पदार्थ जिसे प्लाज्मा कहते है, में निलंबित रहती है। प्लाज्मा में निम्न तीन प्रकार की कोशिकाएँ निलंबित रहती हैं-

VISION IAS

- लाल रक्त कणिकाएं (RBCs) जो, आक्सीजन का वहन करती हैं।
- श्वेत रक्त कणिकाएं (WBCs) जो, संक्रमण से लड़ती है।
- प्लेटलेट्स आघात या चोट लगने पर रक्तस्राव रोकती हैं।

रक्त में लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जो तरल में तैरती रहती है, जिसे प्लाज्मा कहते है। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर निशान या मार्कर का एक सैट होता है जिसके साथ प्लाज्मा क्रिया करता है। यह अनुकूलता या क्रास-टॉक (cross-talk) जो कोशिका तथा प्लाज्मा के बीच होती है, ही प्रत्येक रक्त प्रकार को विशेष बनाती है। कोशिका पर मार्कस को एक मास्टर टाइप जिसे 'H' कहा जाता है के द्वारा निश्चित किया जाता है, जो प्रकार A, B, AB और AO से उत्पन्न होते है।

बाम्बे रक्त समूह (BOMBAY BLOOD GROUP):

h/h रक्त समूह जो Oh या बाम्बे रक्त समूह के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ रक्त प्रकार है। यह रक्त फीनोटाइप सर्वप्रथम DR. By M भिंडे द्वारा सन 1952 में बाम्बे में खोजा गया था। hh प्रकार (बाम्बे रक्त समूह वाले लोग) केवल अन्य hh प्रकार को स्वीकार कर सकता है तथा केवल hh प्रकार से ही प्राप्त कर सकता है। अत: यह बाम्बे रक्त प्रकार एक अत्यंत विशेष दुर्लभ लोगों का वर्ग बनाती है।

यह कैसे हुआ तथा यह रक्त समूह दुर्लभ क्यों हैं?

यह मुख्यत: समान वंशावली अथवा एक ही समुदाय (अक्सर खून के रिश्ते) में विवाह से विस्तृत अन्त: प्रजनन के कारण होता है। ऐसे में 'रक्त समूह' या जीन पूल अत्यंत प्रतिबंधित हो जाते है। ऐसे अन्तर समुदायिक विवाह छोटे और अलग-थलग समुदायों जैसे जिप्सी, रूसी यहूदी और पारसी समुदाय में संपन्न होते हैं। इसलिए यह संभव है कि, बाम्बे रक्त प्रकार का एक समान पैतृक उद्भव (ancestral origin) होता है।

बाम्बे रक्त समूह के लोगों में ऐसा लगता है जैसे उनका रक्त समूह O है, हालांकि यदि किसी अन्य रक्त समूह, जिसमें O रक्त सम्मिलित है, का रक्त यदि उन्हें चढ़ाया जाए तो प्राय: प्रतिक्रिया से पीड़ित होते हैं।

ऐसा क्यों होता है ? ऐसा व्यक्ति में एन्टीजन जिसे H एन्टीजन कहते है की कमी के कारण हेाता है : H एन्टीजन पूर्ववर्ती प्रोटीन है जो कि A तथा B एन्टीजन को व्यक्ति के A, B या AB रक्त समूहों में वर्गीकरण के आधार पर बढ़ाता है। सामान्यत: O रक्त समूह का व्यक्ति H को A या B में परिवर्तित नहीं करता है। इसीलिए इनमें अत्यधिक मात्रा में एन्टीजन होता है। दूसरी ओर, बाम्बे रक्त समूह के लोगों का O रक्त समूह होता है, किन्तु उनमें एक अन्तर है- उनमें H एन्टीजन नहीं होता है। अत: ये Oh रक्त समूह रखते है तथा h/h के रुप में वर्णित किये जाते हैं। इन व्यक्तियों में से कुछ सूक्ष्म मात्रा में H एन्टीजन बना सकते है, जो श्रवण में दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्तियों में पैरा-बाम्बे फीनोटाइप का होना माना जाता है।

रक्त प्रकार कैसे निर्धारित किया जाता है?

आनुवांशिक नेत्र वर्ण के समान रक्त प्रकार भी आनुवांशिक रुप से माता-पिता से स्थानांतरित होता है। आपका रक्त समूह प्रकार A, B, AB या O होगा, यह आपके माता-पिता के रक्त समूह प्रकारों के आधार पर निर्धारित होता है।

		Father's Blood Type A	B	AB	O	
Mother's Blood Type	A	A or O	A, B, AB, or O	A, B, or AB	A or O	Child's Blood type Must Be
	B	A, B, AB or O	B or O	A, B, or AB	B or O	
	AB	A, B, or AB	A, B, or AB	A, B, or AB	A or B	
	O	A or O	B or O	A or B	O	

सुपर मास्कीटो

दो मलेरिया मच्छरों की जातियों का माली की पश्चिमी अफ्रीकी देश में अन्त: प्रजनन के परिणास्वरुप ''सुपर मास्कीटों''' संकर (हायब्रिड) बना जो कि कीटाणुनाशी उपचारित बैड-नेट्स के प्रति प्रतिरोधी है। यह उपचारित बैड-नेट्स पर कीटनाशियों के प्रति अपनी जीवित रहने की परम योग्यता रखने के कारण 'सुपर' है।

ऐनाफीलीज़ गैम्बी, एक वृहद् मलेरिया वाहक है जो दूसरे मलेरिया मच्छर एकालूजी की आइसोलेटेड पाकेट्स के साथ अन्त: प्रजनित है।

एण्टोमोलाजिस्ट्स ने प्रारंभ में इन्हें एनोफीलीज गैम्बी का M और S प्रकार'' कहा।

इन्हें अब भिन्न जातियों के रुप में पहचाना जाता है।

शोध विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराते है जो यह संकेत देते है कि पर्यावरण में मानवकृत परिवर्तन-कीटनाशकों के अनुप्रयोग-ने दो प्रजातियों के मध्य उद्भवित्त संबंध को परिवर्तित किया है।

सुपर मास्कीटों का प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सन् 2000 से विश्वभर में मलेरिया से होने वाली मृत्यु में 47% की कमी आई है। इसमें कीटाणुनाशी उपचारित बैड-नेट्स का प्रमुख योगदान है। हालांकि, समय के साथ कीटनाशक प्रतिरोध उत्पन्न होना ही था। अब एक नवीन व प्रभावी मलेरिया वाहक नियंत्रण योजना के विकास की आवश्यकता है।

मैनिन्जाइटिस वैक्सीन

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मैनिन्जाइटिस वैक्सीन देने का अनुमोदन किया है। जिसे अफ्रीका के बच्चों के लिए फ्रिज या आइसबाक्स में रखने की बाध्यता नहीं है। WHO के अनुमोदन का अर्थ वैक्सीन के अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व गुणात्मक मानक तक पहुँचना है तथा इसका उपयोग एक वर्ष कम के बच्चों के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही इसने UN एजेन्सियों के सामान्य प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के तहत इस वैक्सीन की खरीद के मार्ग को भी प्रशस्त किया है।

VISION IAS

WHO ने अनुमोदन क्यों दिया?

- इसके अफ्रीका में शुरुआत के चार साल में मैनएफ्रीवक ने मेनेन्जाइटिस A जैसी महामारी के चक्र को नष्ट करने में एक त्वरित व नाटकीय प्रभाव डाला।
- लेकिन वैक्सीन 1-29 वर्ष की आयु में पहले से ही उपयोग में ली जा रही है। वैक्सीन का प्रदर्शन अच्छा होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शिशुओं में इस वैक्सीन के उपयोग को अनुमोदित किया।
- लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमोदन के साथ शिशुओं को यह वैक्सीन दिया जा सकता है, और लाखों और बच्चों को प्राणघातक बीमारियों के खतरे से बचाया जा रहा है।
- अब WHO द्वारा उप-सहारा अफ्रीकी जनसंख्या के शिशुओं में इसके उपयोग को अनुमोदित कर दिया गया है।
- वैक्सीन को सामान्य प्रतिरोधीकरण कार्यक्रम के भाग के रुप में प्रारंभ किया जाएगा।

अफ्रीकी मेनन्जाइटिस बैल्ट के 15 देशों में 215 मिलियन लोगों से अधिक लोगों को यह वैक्सीन 2010 से दी जा रही है। इस बैल्ट में बेनिन, बुर्किनाफासो, कैमरुन, चाड, इथोपिया, जांबिया, घाना, आइवरीकोस्ट, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सुडान व टोगों शामिल हैं।

WHO और Path के साझेदारी से MenAfriVac (मेनअफ्रीवैक) का विकास MVP (एक अलाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य समूह) द्वारा किया गया तथा भारत के Serum संस्थान द्वारा इसका निर्माण किया गया है।

मेनेन्जाइटिस की अफ्रीका में गंभीरता (प्रसार): इस क्षेत्र में लगभग 20000 लोग प्रत्येक वर्ष मेनेन्जाइटिस से पीडित होते है। प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से 20 से 25 हजार व्यक्ति इस क्षेत्र में मरते है। मेनेन्जाइटिस का सर्वाधिक प्रकोप अफ्रीका में 1996-97 में दर्ज किया गया। जब इस महामारी ने 250000 लोगो से अधिक लोगों को प्रभावित किया और कुछ ही महीनों में 25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

मैनेन्जाइटिस

- मस्तिष्क और मेरुरज्जु की रक्षात्मक झिल्लियों में अत्यधिक सूजन मेनेन्जाइटिस कहलाता है।
- मस्तिष्क और मेरुरज्जु की अत्यधिक सूजन के कारण मेनेन्जाइटिस प्राणघातक हो सकता है।

लक्षण: बुखार के साथ सिरदर्द, गले की अकड़न, भ्रम या चेतना शून्यता, उल्टी और प्रकाश को सहने की अक्षमता (फोटोफोबिया) या तेज आवाजें सहने की अक्षमता (फोनोफोबिया)

कारण: अधिकाशत: यह संक्रमण विषाणु के साथ जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ के कारण होते है।

उपचार: उपचार के रुप में एंटीबायटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायटिक का प्रकार संक्रमण करने वाले बैक टीरिया पर निर्भर करता है। टीकाकरण का उपयोग बड़े स्तर पर रोकथाम हेतु किया जा रहा है।

स्वाईन फ्लू

स्वाईन फ्लू (स्वाइन इन्फ्लूएन्जा), वायरस (इंफ्लूएन्जा वायरस) के कारण होने वाली श्वास संबंधी बीमारी है। यह वायरस सूअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जिसके परिणामस्वरूप नाक बहना, जोर की खांसी, भूख न लगना, तथा निरुत्साहित व्यवहार आदि लक्षण उत्पन्न होते है। स्वाइन फ्लू का विषाणु परिवर्तित हो सकता है जिसके कारण यह आसानी से मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है।

2009 में स्वाइन फ्लू का प्रकोप H1N1 वायरस के संक्रमण के कारण हुआ तथा सबसे पहले मैक्सिकों में पाया गया।

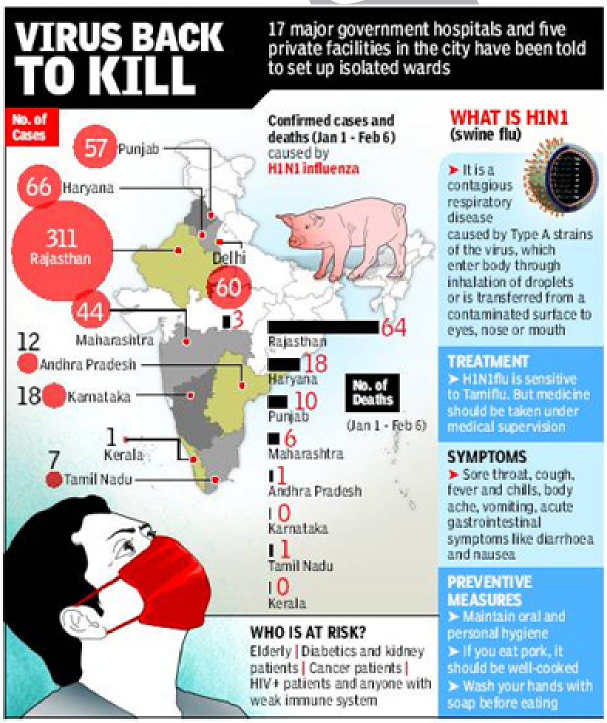

भारत व विश्व में प्रसार

- 2009 के प्रारंभ में H1N1 फ्लू वायरस मैक्सिकों में पाया गया था।
- विश्व में अत्यधिक प्रसार के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2010 में इसे आधिकारिक रुप से महामारी घोषित कर दिया।
- H1N1 वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 10,000 के आंकडे को छू गई क्योंकि यह नागालैण्ड जैसे नए स्थानों पर भी फैला।
- राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में यह सबसे अधिक फैला।

स्वाइन फ्लू अपनी मनुष्य से मनुष्य में फैलने की उच्चतम तीव्रतादर व वायुमार्ग से आवागमन के कारण पूरे विश्व में तेजी से फैला। फैलने के कारण/साधन-स्वाइन फ्लू संक्रामक रोग है। वे लोग जिन्हें खांसी अथवा जुकाम होता है, वे हवा में इस वायरस को फैलाते है। जब कोई इनके संपर्क में आता है अथवा सतह (जैसे दरवाजे की कुंडी या सिंक) को छूता है, जिसे संक्रमित व्यक्ति ने हाल ही में उपयोग में लिया है

तो उसे H1N1 स्वाइन फ्लू हो सकता है।

लक्षण: मुनष्यों में स्वाइन फ्लू के लक्षण अधिकांशत: इंफ्लूएन्जा के समान ही होते हैं जैसे बुखार (100F अथवा अधिक), खांसी, नाक बहना, थकान, व सिरदर्द।

उपचार :

एंटीवायरस दवाईयां बीमारी को मंद करके, रोगी को तेजी से सही महसूस करवाती है। यह गंभीर फ्लू होने से भी रोकती हैं।

टीकाकरण, इंफ्लूएंजा वायरस से संक्रमित होने की संभावना से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। ट्राइवेलेन्ट वेक्सीन, स्वाइन फ्लू वायरस सहित तीन वायरसों से सालभर के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

नसबंदी के प्रति लैंगिक दृष्टिकोण

20 अक्टूबर 2014 को, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन 11 राज्यों में नसबंदी हेतु मुआवजा राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिन्होने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शुरु किये गये प्रजनन मातृत्व नवजात शिशु स्वास्थ्य प्लस किशोर (RMNCH+A) योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें एक नया घटक जोड़ा गया है- प्रसव उपरांत नसबंदी (PPS) जिसे प्रसव के तुरंत बाद अथवा 7 दिनों के भीतर किया जाता है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ के विलासपुर जिले के मेडिकल कैम्प में हुई त्रासदी ने, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार के कमजोर दृष्टिकोण को उजागर कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय की सामाजिक न्याय बेंच ने निर्देश दिया कि बिलासपुर में हुई मृत्यु की घटना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2005 में रमाकान्त राय विरुद्ध भारत सरकार मामले में, नसबंदी प्रक्रिया में समान नियम, सुरक्षा व गुणवत्ता का आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए जारी विशिष्ट निर्देशों के बावजूद हुई है।

लैंगिक झुकाव

आधिकारिक आंकड़े बताते है कि केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ने महिला नसबंदी को असंगति से बढ़ावा दिया है।

- 2012-13 में की गई कुल नसबंदी में से लगभग 97.4 फीसदी महिला नसबंदी थी।
- एक गैर सरकारी संगठन के विश्लेषण ने 2013-14 में सुझाव दिया कि भारत अपने परिवार नियोजन पर कुल व्यय का 85 प्रतिशत नसबंदी पर खर्च करता है, जिसमें लाभार्थी अधिकाशत: महिला है।
- भारत के कुल गर्भनिरोधक प्रयोगों में 75% हिस्सा नसबंदी का है, जो विश्व में सर्वाधिक है।
- 1980 के दशक के मध्य से महिला नसबंदी की संख्या तेजी से बढ़ी तथा प्रत्येक वर्ष औसतन 4.5 मिलियन नसबंदी की जाती है।
- 2005 से कुल नसबंदी में से, महिला नसबंदी का अनुपात 95 फीसदी रहा है।

नसबंदी, विशेषत: महिला नसबंदी राज्यों द्वारा केन्द्र द्वारा प्राप्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक बढ़ाई गई वो भी बड़े स्तर पर कैम्प की अवधारणा से, जबकि अन्य उपलब्ध तरीके जैसे कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियाँ इत्यादि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

हाल ही में किये गये सरकारी निर्णय

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि वे सुनिश्चित करें कि परिवार नियोजन का चयन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ''स्वेच्छा की भावना'' से चुनने हेतु विकल्प उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं।

- परिवार नियोजन के उपलब्ध कई साधनों में से महिला नसबंदी एक विकल्प मात्र है तथा प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध सभी साधनों के बारे में पता होना चाहिए।
- केन्द्र सरकार ने, नियमों की अवहेलना कर अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में आयोजित किय गये ''कैम्प' पर कठोर अनुदेश जारी किये हैं।
- राज्यों को यह भी निर्देश दिये है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी आपरेशन आन्तरिक स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यशील आपरेशन थिएटर में ही किये जायें।
- केन्द्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे सभी कार्यक्रम अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं को नसबंदी के आपरेशन के मानकों को दोबारा सही रुप में समझायें।

एशियाई मानवाधिकार केन्द्र (ACHR)

एशियाई मानवाधिकार केन्द्र एक गैर सरकारी संगठन है, जो एशियाई क्षेत्र में मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रता के प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु समर्पित है। इसका मुख्यालय, दिल्ली (भारत) में है।

असम में आन्तरिक रुप से विस्थापित व्यक्तियों पर रिपोर्ट:

- असम में 3,00,000 से अधिक लोग आन्तरिक रुप से विस्थापित है, जो कि 2014 में विश्व में सर्वाधिक है।
- विस्थापित लोग मानव जनित इस संकट में 85 सहायता कैम्पों में असम के 4 जिलों -सोनितपुर, कोकराझर, उदलगुड़ी व चिरांग में घूम रहे है।
- विस्थापित लोग, खासकर आदिवासी अत्यंत दुखी हैं क्योंकि 23 दिसम्बर 2014 को सोनीपत, कोकराझर व चिरांग जिलों में NDFB द्वारा 80 आदिवासी मारे गये।
- ACHR ने राज्य सरकार से सभी विस्थापित लोगों को पूर्णत: मानवीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उसने विस्थापित लोगों को आवश्यक सहायता जैसे मकान, 6 महीने का भोजन राशन आदि देकर पुर्नवास की मांग की तथा यह भी सुनिश्चित करने की मांग की कि कोई भी सहायता कैम्प जबर्दस्ती बन्द ना किया जाये और ना ही उसे तुरंत छोड़ने को कहा जाए।

मानवाधिकार पर रिपोर्ट

एक शीर्ष मानवाधिकार समूह ने निम्न कारणों से भारत सरकार की आलोचना की -

- **अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार को लेकर** - ह्यूमन राईट वाच ने कहा कि 2013 में राष्ट्रीय चुनावों के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है जिसमें 183 घटनाओं में 133 लोग मारे गये व 2269 लोग घायल हुए।
- **महिला व बाल अधिकारों के संरक्षण का अभाव:** महिला अधिकारों के सन्दर्भ में 2014 के प्रारंभ में सरकार ने बलात्कार पीडित महिलाओं व बच्चों के चिकित्सा उपचार व परीक्षण हेतु दिशानिर्देश जारी किये परन्तु इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों के आवंटन में असफल हो गई। आज की तारीख तक केवल 2 राज्यों ने ही दिशा-निर्देशों को माना है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध व नई दिल्ली की विदेश नीति के माध्यम से मानवाधिकारों को अपर्याप्त सहयोग: प्रशासन कई क्षेत्रीय व वैश्विक मानवाधिकार के मुद्दों पर मौन है जहाँ बोलने से हालात बदल सकते थे, इसमें मार्च 2014 में श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की जाँच को लेकर मानवाधिकार उच्चायुक्त से आग्रह के संकल्प से परहेज करना शामिल है।

अनुसूचित जाति हेतु वैंचर कैपिटल (उद्यम पूंजी)

भारत सरकार ने 200 करोड़ की आरंभिक पूंजी के साथ ''अनुसूचित जाति हेतु उद्यम पूंजी कोष'' को प्रारम्भ किया है।

इस उद्यम कोष के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं

- यह सामाजिक क्षेत्र की नई पहल है जिससे अनुसूचित जाति के उन लोगों के मध्य उद्यमिता (इंटरप्रेन्योरशिप) को प्रोत्साहित किया जाएगा जो नवीन व बढ़ती तकनीक की तरफ कार्यरत है।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना, जो समाज के लिए धन व मूल्य उत्पन्न करेगें तथा उसी समय पर लाभदायी व्यवसाय को भी बढ़ाएगें। इससे उत्पन्न परिसंपत्ति अग्रगामी / पश्चगामी (फारवर्ड/बैकवर्ड) लिंकेज को भी उत्पन्न करेगी। इससे स्थानीय क्षेत्र में श्रृंखला प्रभाव (chain effect) उत्पन्न होगा।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना व उन्हें अनुसूचित जाति के भविष्य की वृद्धि के लिए प्रेरित करना।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आर्थिक रुप से विकसित करना।
- भारत में अनुसूचित जाति के उद्यमी विकसित करना।
- भारत मे अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाना:

ग्रीन बिजनेस स्कीम (हरित व्यवसाय योजना)

- NSFDC की ''ग्रीन बिजनेस स्कीम'' को जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता के सन्दर्भ में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भ किया गया है।
- इस स्कीम के अन्तर्गत, इकाई की लागत हेतु 1 लाख रु तक का ऋण सस्ती ब्याज दरों पर अनुसूचित जातियों को कुछ गतिविधियों जैसे- ई-रिक्शा, सौर पम्प व सौर ऊर्जा चालित यंत्रों आदि के लिए प्रदान किया जाएगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

''बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ'' योजना लैंगिक असंतुलन व बच्चियों के शोषण को रोकने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत, हरियाणा में शुरु की गई।

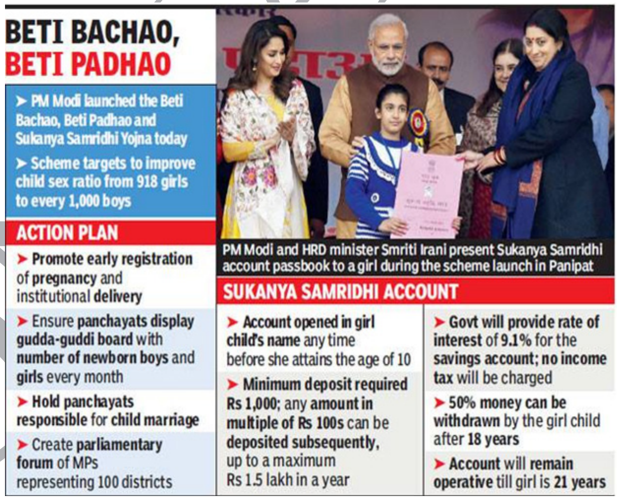

सुकन्या समृद्धि खाता

- सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अन्तर्गत लड़की के जन्म के समय से लेकर 10 वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खुलवाया जा सकता है।
- खाता किसी वित्तीय वर्ष में 1000रु० के साथ खुलवाया जा सकता है, इसमें अधिकतम 1.50 लाख रु. तक जमा करवाये जा सकते हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट।

लैंगिक भेदभाव

भारत में कई मुद्दों पर समाज में भेदभाव है-
पिछले तीन दशकों में- साक्षरता व शिक्षा के स्तर में सुधार, तीव्र आर्थिक वृद्धि व शहरीकरण से लैंगिक भेदभाव में कमी आई है। जबकि लैंगिक अंतर में वृद्धि, लिंगानुपात की बढ़ती समस्या व निरंतर लिंग आधारित हिंसा ने यह बता दिया है कि भारत को अभी अपनी आधी जनसंख्या को सम्मान दिलवाने में दूर का सफर तय करना है।

VISION IAS

शर्मनाक हकीकत

- सम्पूर्ण समाज में पुत्र-प्राप्ति की इच्छा फैली हुई है, इसमें

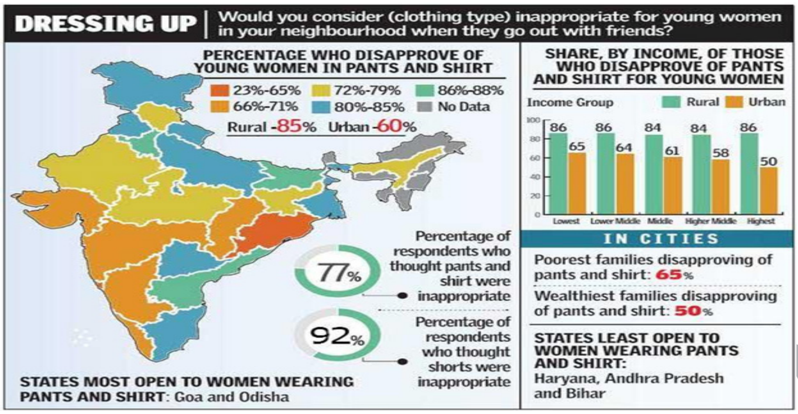

विभिन्न आय वर्ग, शिक्षा के स्तर व ग्रामीण/शहरी इलाकों के बीच कुछ अंतर जरुर दिखता है ।

- लैंगिक असमानता देश की सबसे शर्मनाक सामाजिक वास्तविकताओं में से एक है। यह केवल असमानता व न्याय का मुद्दा नहीं है बल्कि जिस समाज में आधी जनसंख्या सामाजिक भेदभाव से पीड़ित है उसने पहले ही खुद को व अपने भविष्य को बर्बाद कर रखा है।

यद्यपि शहरी भारतीय महिलाओं के पहनावे को लेकर अधिक खुलेपन को दिखा रहे हैं परन्तु इसका पुत्र-इच्छा जैसे गंभीर मुद्दे से लेना-देना नहीं है, आज समाज के पारिवारिक आदर्शों व सामाजिक ढाँचे में यह बुराई जड़ जमाये हुए है।

निष्कर्ष

स्पष्टतः समाज में कम होती बेटियों की समस्या को समाप्त करने के लिए आर्थिक वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बिना कोई सख्त नियम व ढाँचे के तथा सम्पूर्ण सामाजिक सन्दर्भ में मूल परिवर्तन के स्थिति में सुधार संभव नहीं है परन्तु फिर भी एक आशा है कि भविष्य में पुत्र इच्छा की प्राथमिकता बदलेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रवाल विरंजन (CORAL BLEACHING)

शैवाल के निष्कासन या शैवाल के पिगमेंट के ह्रास के फलस्वरूप अंत:कोशिकीय इंडोसिम्बायोंट् [सिम्बियोडियम (Symbiodinium)] का ह्रास ही प्रवाल विरंजन हैङ्क सिम्बियोडियम को जुक्सान्थलाई (zooxanthellae) के रूप में भी जाना जाता है: सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रवाल पालिप के शरीर के वाह्य भाग में रहने वाली जुक सान्थलाई शैवाल (algae) के निष्कासन के फलस्वरूप प्रवाल के विविध रंगों के समाप्त हो जाने तथा उनके सफ़ेद हो जाने की प्रक्रिया को ही प्रवाल विरंजन कहते हैं : तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों से सम्बन्धित परिस्थितियों के बदलाव से जब प्रवाल दबाव महसूस करते हैं तब वे उनके ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिससे वे पूरी तरह सफेद पड़ जाते हैं।

प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी विभिन्न जैविक और अजैविक कारक नीचे सूचीबद्ध हैं-

- पानी के तापमान में वृद्धि (एक प्रमुख कारक) या कमी : गर्म पानी से मूंगे के अंदर का शैवाल बाहर आ जाता है, जिससे मूंगा पोषण की कमी से सफेद हो जाता है।
- अतिमत्स्यन के एक परिणाम के रूप में जूप्लैंकटन (zooplankton) के स्तर में वृद्धि की वजह से ऑक्सीजन की कमी।
- सौर विकिरण में वृद्धि (फोटोसेंथिटकली) (Photosynthetically) सक्रिय विकिरण और पराबैंगनी बैंड प्रकाश)।
- जल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन (विशेष रूप से अम्लीकरण)
- अवसादन में वृद्धि (गाद अपवाह के कारण) ।
- बैक्टीरियल (जीवाणु) संक्रमण।
- लवणता में परिवर्तन

कार्बन डाईऑक्साइड फर्टिलाइजेशन

वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि के परिणामस्वरुप पौधों की वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण की अपनी प्रक्रिया के कारण, कुछ प्रकार पौधों के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषण

2.5 अरब के कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में से 1.4 अरब मीट्रिक टन उष्णकटिबंधीय वनों के द्वारा अवशोषित किया जाता है – जो कि कनाडा, साइबेरिया और अन्य उत्तरी क्षेत्रों के बोरियल (boreal) वनों द्वारा अवशोषित मात्रा से अधिक है।

वन और अन्य भूमि वनस्पति वर्तमान में वातावरण से मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड का 30 प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के दौरान हटा देते हैं।

नासा के नेतृत्व में एक नये अध्ययन के अनुसार उष्णकटिबंधीय वन इसके बढ़ते वायुमंडलीय स्तरों के जवाब में शायद उससे कहीं अधिक कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं जितना कि कई वैज्ञानिकों ने सोचा था।

भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ)

न्यूट्रिनो ब्रह्मांड को बनाने वाले मूलभूत कणों में से एक हैं । न्यूट्रिनो लगभग इलेक्ट्रॉन के समान हैं लेकिन दोनों मे एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि न्यूट्रिनो विद्युत आवेश रहित कण हैं।

न्यूट्रिनो

- सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण हैं।
- इसको और अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं जा सकता है।
- आवेश रहित और लगभग भारहीन हैं।
- फोटोन के बाद ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा पाया जाने वाला कण है।

भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ) परियोजना भारत में गैर-त्वरक आधारित उच्च ऊर्जा और परमाणु भौतिकी अनुसंधान के लिए लगभग 1200 मीटर की एक चट्टान के कवर के साथ एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला के निर्माण के उद्देश्य से एक बहु-संस्थागत प्रयास है।

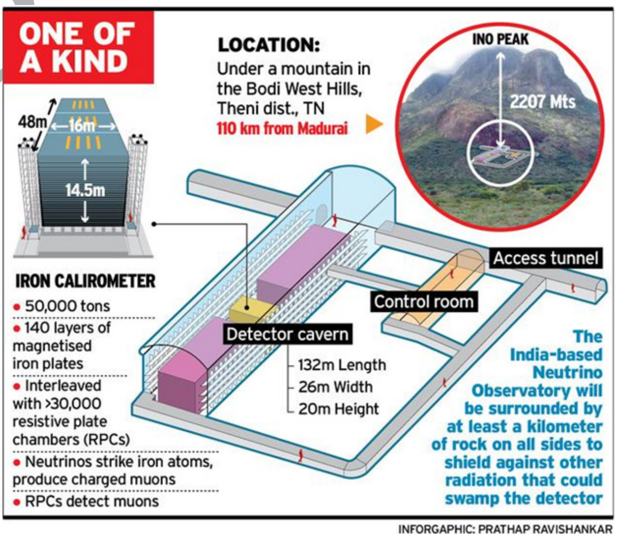

INFOGRAPHIC: PRATHAP RAVISHANKAR

आईएनओ (INO) थेनी जिले में थेवरम के पास पहाड़ियों पर स्थापित किया जायेगा जिसमें कण भौतिकी (पार्टिकल फिजिक्स) में महत्वपूर्ण न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए एक 50,000 टन का चुंबकीय डिटेक्टर होगा।

1960 के दशक में, कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स में स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ब्रह्मांडीय किरणों के टकराने के फलस्वरूप एक

VISION IAS

उप-उत्पाद के रूप में निर्मित न्यूट्रिनो का निरीक्षण किया गया I यह दुनिया के पहले प्रयोगों में से एक था। हालांकि, प्रयोगशाला को 1990 के दशक में खानों को बंद किये जाने के कारण बंद कर दिया गया था।

उद्देश्यः न्यूट्रिनो के भार का निर्धारण कण भौतिकी में आज भी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और यह आईएनओ परियोजना का मुख्य लक्ष्य है।

लाभः

- सरकार के अनुसार आईएनओ भारत में इस तरह की भौतिकी को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा और इसका एक वैश्विक प्रभाव होगा। इस निवेश के परिणाम असाधारण और लंबी अवधि के लिए होंगे।
- न्यूट्रिनो कण की समझ से वैज्ञानिकों को कण भौतिकी के मानक मॉडल से परे सही सिद्धांत चुनने में मदद मिलेगी और इससे ब्रह्मांड की मैटर-एंटीमैटर असममिति (asymmetry) की समस्या को संबोधित करने में भी सहायता मिलेगी।
- न्यूट्रिनो कण पर रिसर्च विज्ञान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इससे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी।

अंतरिक्ष पायनियर पुरस्कार (SPACE PIONEER AWARD)

भारत के मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम को अमेरिका स्थित नेशनल स्पेस सोसाइटी (NSS) द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग वर्ग में 2015 का अंतरिक्ष पायनियर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

एनएसएस के अनुसार, भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) , जिसे 24 सितम्बर 2103 को लॉन्च किया गया था और जिसने 5 नवंबर, 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, ने दो महत्वपूर्ण सफलताओं को प्राप्त किया :

- प्रथम , यह किसी देश द्वारा अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में कोई अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक स्थापित करने कीर्तिमान है : किसी देश ने पहले ऐसा नहीं किया है।
- द्वितीय, अंतरिक्ष यान एक अण्डाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और इसमें उच्च रेजोल्यूशन कैमरा है जो मंगल ग्रह की पूर्ण डिस्क रंगीन इमेज ले रहा है।

इंटेलिजेंट रेड लाइट वायलेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (IRIDS)

IRIDS (इंटेलिजेंट रेड लाइट वायलेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) एडवांस्ड कम्प्यूटिंग केन्द्र (सी-डैक) द्वारा विकसित अत्याधुनिक उपकरण है, यह व्यस्त सड़क चौराहों पर स्थापित वाहन सेंसर, कैमरा, और नियंत्रक हार्डवेयर की मदद से लाल बत्ती के उल्लंघन के चित्र और वीडियो संग्रहीत (capture) करता है।

प्रकाश पथ

प्रधानमंत्री ने घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम (Domestic Efficient Lighting Programme [DELP]) के तहत दिल्ली में एलईडी (LED) बल्ब वितरण के लिए एक योजना प्रारम्भ की है। एलईडी बल्ब को एक 'प्रकाश पथ' (प्रकाश के लिए रास्ता) के रूप में बताते हुए मोदी ने कहा कि बिजली का उत्पादन करने की तुलना में बिजली का संरक्षण अधिक किफायती है। एलईडी बल्ब साधारण बल्बों की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक और सीएफएल की तुलना में 8-10 गुना अधिक चलते हैं, और इसलिए मध्यम अवधि में ऊर्जा और लागत बचत दोनों प्रदान करते हैं।

100 शहरों में घरेलू और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड बल्ब स्थापित करने की परियोजना को मार्च 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे छोटे राष्ट्रीय पार्कों में से एक है, तितलियों के लिए एक सुरक्षित स्थान है।

- हाल के अध्ययनों से पार्क में तितलियों की 330 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई है ।
- पश्चिम बंगाल में तितलियों की 600 प्रजातियां हैं और भारत में लगभग 1500 प्रजातियां ।
- राज्य में पायी जाने वाली प्रजातियों में से आधे से अधिक और देश में पायी जाने वाली प्रजातियों में से 1/5 अकेले गोरुमारा में पायी जाती हैं।

यह उद्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 80 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ तितलियों की कम से कम चार ऐसी प्रजातियों को दर्ज किया गया है जो इससे पहले राज्य में कभी नहीं पायी गयीं।

क्रम सं.	तितलियों की प्रजाति	Placed under	Protected under
1.	The Bicolour Cupid	अनुसूची I	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972
2.	The Malayan Nawab	अनुसूची I	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972
3.	The Witch	अनुसूची II	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972
4.	The Branded Young Fly	अनुसूची II	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना स्वयं का वन्य जीवन अधिनियम।

अधिनियम में कुल छह अनुसूची हैं जिसमें संरक्षण की विभिन्न अनुसूचीयां है:

VISION IAS

- अनुसूची I और अनुसूची II का भाग II पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है - इन के तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है।
- अनुसूची III और अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियां भी संरक्षित हैं, लेकिन दंड बहुत कम हैं।
- अनुसूची V में शामिल जानवरों का शिकार किया जा सकता है।
- छठी अनुसूची में सम्मिलित पौधों की खेती और रोपण से मनाही है।

गोल्डीलॉक्स जोन

गोल्डीलॉक्स जोन अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसमें कोई ग्रह अपने गृह तारे से सही दूरी पर होता है जिसमें इसकी सतह न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडी रहे। यह क्षेत्र तारे से परे वह क्षेत्र होता है, जहाँ जीवन के लिये ज़रूरी जल द्रव अवस्था में रह सकता है

हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (CFA) के खगोलविदों ने तथाकथित गोल्डीलॉक्स - या रहने योग्य – जोन के भीतर आठ नए नए ग्रहों की खोज की है ।

रहने योग्य माने जाने के लिये इन ग्रहों (एक्सोप्लैनेट्स-सौरमंडल के बाहर के ग्रह) को निश्चित रूप से उनके तारों से उतनी दूरी के भीतर परिक्रमा करना होगा ताकि ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सके, और लगभग पृथ्वी के समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो।

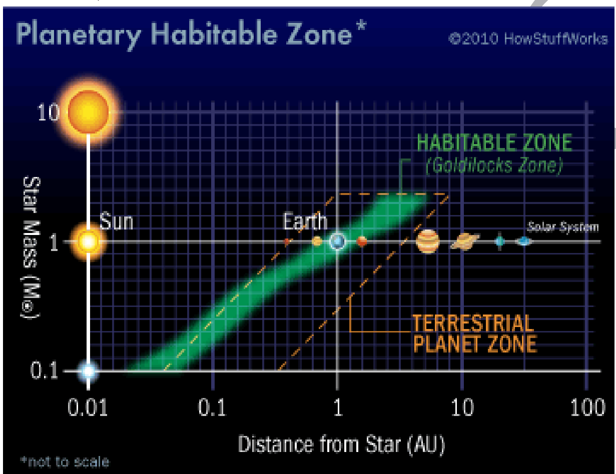

शोधकर्ताओं के अनुसार ब्रह्माण्ड में हमारी पृथ्वी कि तरह जीवन के लिये सहायक परिस्थितियों वाले ग्रह भारी संख्या में विद्यमान हैं केपलर-438b और केपलर-442b की खोज ब्रह्मांड में जीवन के संकेत को खोजने कि दिशा में वैज्ञानिकों का नवीनतम प्रयास है।

- केपलर-438b और केपलर-442b दोनों पृथ्वी के समान हैं और लाल बौने तारों की परिक्रमा करते हैं, ये बौने तारे पृथ्वी के सूर्य की तुलना में ठण्डे और छोटे हैं।
- केपलर-438b का व्यास पृथ्वी से 12 फीसदी बड़ा है और इस ग्रह की सतह पृथ्वी की तरह प्रतीत होती है, जिसका मतलब है कि इसकी सतह 70 प्रतिशत तक चट्टानी हो सकती है।
- केपलर-442b पृथ्वी की तुलना में एक तिहाई बड़ा है, इसके 60 प्रतिशत चट्टानी होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके एक रहने योग्य क्षेत्र के रूप में होने का 97 फीसदी संभावना है।

ईगल नेबुला के 'पिलर ऑफ क्रिएशन '(EAGLE NABULA'S 'PILLARS OF CREATION)

ईगल नेबुला, जिसे मेसियर 16 या M16 के रूप में भी जाना जाता है, 1745-46 में जीन-फिलिप डी चेसिऔक्स द्वारा 'सर्पेन्स तारामंडल' में खोजा गया तारों का एक युवा तथा खुला समूह है।

इसका नाम इसके अपने आकार से निकला है जो एक ईगल सदृश प्रतीत होता है। इसमें प्रसिद्ध ''पिलर ऑफ क्रिएशन'' सहित कई सक्रिय तारे शामिल है- ये तारे गैस और धूल के क्षेत्र बनाते हैं।

नासा/ईएसए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रसिद्ध ईगल नेबुला के 'पिलर ऑफ क्रिएशन' का दोबारा यात्रा किया और उसकी हाई डेफिनिशन इमेज ली हैं। इसके पहले दूरबीन ने 1995 में गैस और धूल के तीन प्रभावशाली टावरों कि इमेज प्राप्त की थी।

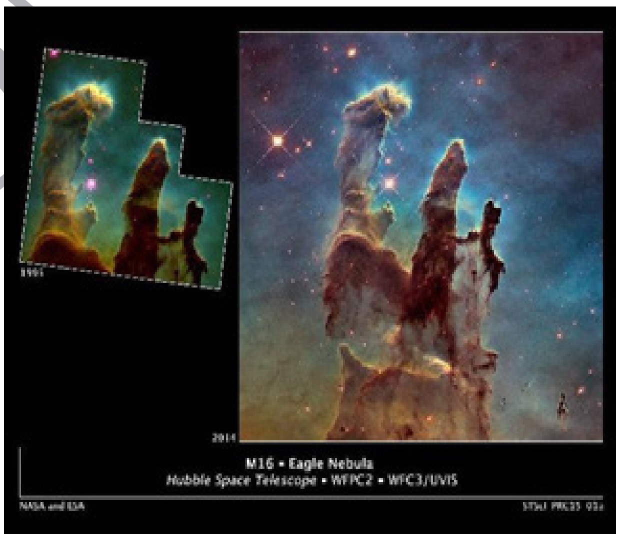

मूल छवि या इमेज में इसे ''पिलर ऑफ क्रिएशन'' करार दिया गया था, नई छवि या इमेज से संकेत मिला है कि वे 'पिलर ऑफ डिस्ट्रक्शन' भी हैं।

- इन स्तंभों में धूल और गैस इनके अन्दर विकसित युवा तारों के तीव्र विकिरण के कारण शुष्क हो जाते हैं तथा ये धुल व गैस नजदीक के तारों से आने वाली मजबूत हवाओं द्वारा उड़ा दिए जाते हैं।
- दृश्य-प्रकाश में देखने में स्तंभों के घने किनारों के आसपास भूतिया नीला धुन्ध वह सामग्री है जो चमकीले युवा तारों द्वारा गर्म किया जा रहा है और वाष्पीकृत किया जा रहा है।

बांग्लादेश के द्वीप तटबंधों के कारण डूब रहे हैं

जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज (एक प्रतिष्ठित जर्नल) में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कुछ द्वीप पिछले 50 वर्षों में 1.5 मीटर से ज्यादा डूब गए हैं।

कारण

- तटबंध: तटबंध ज्वार और झंझा महोर्मियों (storm surges) के खिलाफ उन्हें बचाने के लिए 1960 और 1970 के दशक में बनाये गए थे।
- लेकिन इन भू-तटबंधों ने एक ओर जहाँ बाढ़ के खिलाफ उन्हें बफरिंग प्रदान कि है वहीँ दूसरी ओर इस क्षेत्र में ऊंचाई को बनाए रखने में मददगार अवक्षेपों या अवसादों को जमने से रोका है।

प्रभाव

- आपदाओं के दौरान और अधिक नुकसान: ऊंचाई की इस हानि को 2009 में आलिया चक्रवात के दौरान सबसे अधिक महसूस किया गया, जब देश के बड़े क्षेत्र को दो वर्ष तक के लिए खाली छोड़ना पड़ा था।
- बाढ़ का बढ़ता खतरा: गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में ये द्वीप तेजी से जलमग्न हो रहे हैं, जिसने लाखों निवासियों को बाढ़ के खतरे में डाल दिया है।
- इसलिए यह अध्ययन पर्यावरण में मानव द्वारा किये जाने वाले प्रत्यक्ष संशोधन को पश्चिमी गंगा-ब्रह्मपुत्र ज्वार डेल्टा मैदान में परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में दर्शाता है, ना कि वैश्विक समुद्र का स्तर बढ़ने को :

वन उल्लू (FOREST OWLET)

वन उल्लू, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति (critically endangered), को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में देखा गया है।

वन उल्लू की विशेषतायें

- गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति।
- छोटा पक्षी (23 सेमी - लंबाई)।
- स्थानिक रूप से मध्य भारत के जंगलों में विलुप्त श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 1997 में फिर से खोज की गई थी।
- वितरण: मध्य भारत के जंगलों में।

काले सिर वाले गिलहरी बंदर (BLACK-HEADED SQUIRREL MONKEY)

काला गिलहरी बंदर (Saimirivanzolinii), काले सिर वाले गिलहरी बंदर के रूप में भी जाना जाता है, यह ब्राजील के मध्य अमेज़न क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति है।

विवाद: क्या वास्तव में ये बन्दर,बंदरों की किसी अन्य प्रजातियों में से एक उप-प्रजाति है या स्वयं एक नयी प्रजाति है, यह वैज्ञानिकों के बीच विवाद का मुद्दा था।

आधुनिक अध्ययन

काले सिर वाले गिलहरी बंदर दक्षिण अमेरिका में पायी जाने वाला एक अलग प्रजाति है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और छह अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने ये जानने के लिये आनुवांशिक और सांख्यिकीय विश्लेषण का इस्तेमाल किया।

- लगभग पाँच लाख वर्ष पहले बंदरों का यह समूह अपनी सिस्टर ग्रुप, सैमीरिऊस्टस (Saimiriustus), से विभाजित हो गया था।
- लगभग 13 लाख वर्ष पहले इसने सैमीरिबोलीविएंसिस (Saimiriboliviensis) नामक एक समूह का गठन किया।

ढूँढ़ने के महत्वः

- यह समझ विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंदरों के अस्तित्व के लिए जलवायु परिवर्तन से खतरा है।
- वे अपने सभी आवास खो सकते हैं। अमेजन की किसी अन्य प्रजाति कि तुलना में इस प्रजाति का आवास स्थल सबसे छोटा एवं सबसे प्रतिबंधित है। ये निष्कर्ष दक्षिण अमेरिका में प्राइमेट की जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों को आकार देने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

बीगल 2 (BEAGLE 2)

बीगल 2 एक ब्रिटिश लैंडिंग अंतरिक्ष यान है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के 2003 मार्स एक्सप्रेस मिशन का हिस्सा था। बीगल 2 का नामकरण एचएमएस बीगल पर आधारित है।

- बीगल 2 को क्रिसमस दिवस 2003 को मंगल ग्रह पर भूमि पर उतरना था, लेकिन वह 19 दिसंबर 2003 को गायब हो गया।
- अंतरिक्ष यान से संपर्क करने के कई असफल प्रयासों के बाद ईएसए (ESA) ने फरवरी 2004 में मिशन के खोने की घोषणा की।
- जनवरी 2015 में पुनः पाए जाने से पहले तक यह अंतरिक्ष यान एक रहस्य बना रहा।
- बीगल 2 को नासा के मंगल ग्रह टोही उपकरण ऑर्बिटर हाई राइज (OrbiterHiRISE) द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर देखा गया।

असफलता का कारण: लैंडर के जिस पर भाग में सौर पैनल स्थित थे वह पूरी तरह से खुलने में विफल रहा, इससे रेडियो एंटीना के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई और संचार अवरुद्ध हो गया। इस कारण से संचार विफलता के फलस्वरप अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया और ईएसए द्वारा इसे खोया हुआ घोषित किया गया था।

2014 पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष

2014 पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष था जो साक्ष्य के रूप में यह दर्शाता है कि लोगों द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और इस प्रकार लोग जलवायु को हानि पहुँचा रहे हैं।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अध्ययन से यह पता

चला है कि जलवायु परिवर्तन अभी हो रहा है और दुनिया में बढ़ती ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिये कार्रवाई की जरूरत है।

- 19 वीं सदी में अभिलेखों के शुरू होने के बाद सभी 10 सर्वाधिक गर्म वर्ष 1997 के बाद रिकॉर्ड किये गए हैं।
- नासा के अनुसार, 1880 के बाद से पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 1.4 डिग्री फारेनहाइट (0.8 डिग्री सेल्सियस) बढ़ गया है।
- NOAA के अनुसार, वैश्विक भूमि और समुद्र सतह का औसत तापमान 20 वीं सदी के औसत से 1.24 डिग्री फारेनहाइट (0.69 डिग्री सेल्सियस) अधिक था।

बाघों की आबादी

"भारत में बाघों की स्थिति, 2014" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2226 बाघ हैं जो दुनिया में बाघों की आबादी का 70 फीसदी है, यह 2010 के 1706 की संख्या से 30 फीसदी अधिक है ।

- सबसे अधिक वृद्धि पश्चिमी घाट परिसर में दर्ज की गई है - जिनमें केरल, कर्नाटक , गोवा और तमिलनाडु में 771 बाघ हैं जहाँ 2006 में 402 बाघ थे।
- मुदुमलई - बांदीपुर - नागरहोल - वायनाड परिसर (11,000 sq.km के निवास स्थान) में वर्तमान में 570 से अधिक बाघ होने का अनुमान है।
- 3-5 बाघों के साथ अब गोवा में भी लगातार बाघ की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

TIGERS COME ROARING BACK

INDIA'S TIGER POPULATION INCREASED AT THE AVERAGE RATE OF 6% PER ANNUM FROM 2006; LARGEST RISE RECORDED IN WESTERN GHATS

Year	Tamil Nadu	Kerala	Karnataka	All India
2006	76	46	290	1,411
2010	163	71	300	1,706
2014	**229**	**136**	**406**	**2,226**

- कर्नाटक 406 बाघों के साथ पहले स्थान पर है। उत्तराखंड 403 बाघों के साथ दूसरे नंबर पर है :

केरल में 925 वर्ग कि.मी. में फैले पेरियार टाइगर रिजर्व ने रिजर्व के प्रबंधन में स्थानीय जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का द्विवार्षिक पुरस्कार जीता है।

सौर डायनेमिक्स वेधशाला (Solar Dynamics Observatory)

सोलर डायनेमिक्स वेधशाला (SDO) नासा का एक मिशन है जो 2010 के बाद से सूर्य का अवलोकन कर रहा है। 11 फरवरी 2010 को लांच यह वेधशाला 'लिविंग विद स्टार (LWS)' कार्यक्रम का हिस्सा है।

एसडीओ का लक्ष्य है:

- स्थान और समय की छोटी स्केल पर और एक साथ कई तरंग दैर्ध्य में सौर वातावरण का अध्ययन करके पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर सूर्य के प्रभाव को समझने का प्रयास करना।
- अपने पांच वर्ष के मिशन के दौरान, यह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जांच करेगा और पृथ्वी के वायुमंडलीय संरचना और जलवायु में सूर्य की भूमिका के सन्दर्भ में एक बेहतर समझ भी प्रदान करेगा।

एसडीओ जांच करेगा कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न और संरचित होता है ? यह संग्रहीत चुंबकीय ऊर्जा कैसे परिवर्तित की जाती है और कैसे सौर पवन, ऊर्जावान कणों के रूप में हेलिओस्फीयर और भू-अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है।

नासा के सोलर डायनेमिक्स वेधशाला (SDO) की एटमोस्फेयरिक इमेजिंग असेंबली, या AIA, सूर्य की आठ छवियों या इमेज को इकट्ठा करने के लिए समानांतर काम कर रहे चार दूरबीनों का उपयोग करता है जो प्रति 12 सेकंड 10 अलग-अलग तरंग दैर्ध्य के माध्यम से साइकिलिंग करता है।

पेंघु 1 (PENGHU 1)

पेंघु प्लेइस्टोसीन युग का ताइवान की होमो प्रजाति की एक विलुप्त होमीनिन (hominin) प्रजाति से संबंधित एक जीवाश्म जबड़ा है। जीवाश्म पेंघु द्वीप और मुख्य भूमि ताइवान के बीच पेंघु चैनल में काम कर रहे मछुआरों द्वारा 2008 से कुछ समय पूर्व बरामद किया गया था।

- "पेंघु 1," हाल ही में लगभग 10,000 साल पहले जीवित एक पूरी तरह से नई प्रजाति का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- हो सकता है कि "पेंघु 1," हमारी प्रजातियों के साथ सह-अस्तित्व में रहा हो और यहां तक कि हमारी प्रजातियों के साथ संकरित हुआ हो।
- यह खोज इस बढ़ते सबूत का समर्थन करती है कि 200,000 और 10,000 वर्ष पहले के बीच यूरोप और एशिया में रहने वाले हमारे वंशज में सिर्फ होमो सेपियन्स ही एक प्रजाति नहीं थी।

सेरेस (SERES)

सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित एक बौना ग्रह है। इसे मूल रूप से 1800 ई. में एक वास्तविक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, कुछ समय पश्चात एक छोटे तारे के रूप में पदावनत करके अंत

में 2006 में एक ''बौने ग्रह'' के रूप में फिर से पदोन्नत किया गया – अब यह प्लूटो के समान एक ''बौने ग्रह'' के रूप में वर्गीकृत है। 950 किमी के व्यास के साथ सेरेस सबसे छोटा ज्ञात बौना ग्रह है, लेकिन यह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है।

- नासा के डॉन अंतरिक्ष यान ने 237,000 किलोमीटर की दूरी से ली गयी सेरेस की एक तस्वीर भेजी है।
- डॉन 6 मार्च को विस्तृत चित्र प्राप्त करने और परावर्तित प्रकाश में बदलाव को मापने के लिए सेरेस की कक्षा में प्रवेश करेगा, इससे ग्रह की सतह के संघटन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- डॉन किसी भी बौने ग्रह की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा।

अग्नि-V

अग्नि-v भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-v अग्नि मिसाइल श्रृंखला का एक भाग है, जो मूलत: इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत मिसाइल प्रणालियों में से एक है। 17 मीटर लंबी , तीन चरण वाली ठोस ईंधन से चालित इस मिसाइल से अग्नि श्रृंखला की अन्य सामरिक मिसाइलों के साथ भारत के परमाणु शक्ति संतुलन की क्षमता को बढ़ावा देने की उम्मीद है। अग्नि-v एक 1.1 न्यूक्लिअर वारहेड को 5000 किमी की दूरी तक ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल की रेंज चीन और यूरोप के अधिकांश भागों को कवर कर सकती है।

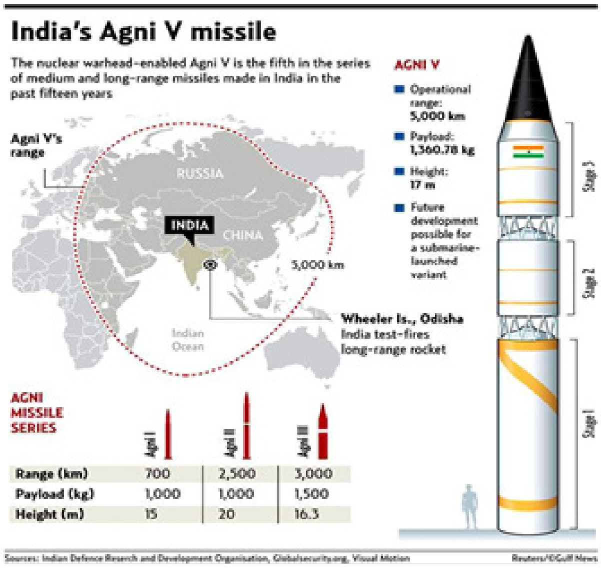

कैनिस्टर आधारित परीक्षण

भारत के सबसे शक्तिशाली सामरिक मिसाइल अग्नि-v का, 5000 किलोमीटर से अधिक की अपनी पूरी रेंज के लिए, कैनिस्टर आधारित परीक्षण सफलतापूर्वक ओडिशा के निकट व्हीलर द्वीप से किया गया। यह इस इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तीसरा सफल उड़ान परीक्षण और पहला कैनिस्टर परीक्षण था ।

कैस्पोल (CASPOL)

कैस्पोल नाम का एक नया यौगिक (compound), एक जल आधारित, लेप के लिए तैयार, और लौ प्रूफ कोटिंग के लिये आसानी से उपयोग होने वाला पदार्थ है।

- इसमें लौ (flame) कम करने और ऊष्मा नियंत्रण का गुण है।
- इसको दीवारों, कपड़े, कागज, फूस की छतों, लकड़ी, और अन्य सामग्री पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस नए कंपाउंड में विषाक्त सामग्री नहीं है और यह पर्यावरण के अनुकूल है।
- कैस्पोल (CASPOL) के एक लीटर से 1.5 वर्ग मीटर की सतह पर 500 माइक्रोन की मोटाई का लेप किया जा सकता है, जो अग्नि सुरक्षा और थर्मल इन्सुलेशन के लिए व्यावहारिक रूप से पर्याप्त है।

यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के ईंधन टैंक की रक्षा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित किया गया है।

उपयोग

- यौगिक रेल डिब्बे और ऑटोमोबाइल के लिए एक लौ कम करने वाली सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- शॉपिंग मॉल, सिनेमाघरों, और अन्य बंद सार्वजनिक स्थानों को, जहाँ आग का खतरा हो सकता है, इस पदार्थ उपयोग करके अग्नि प्रतिरोधी बनाया जा सकता है।
- इमारतों की ठोस सतहों पर इसे प्रभावी ढंग से सूक्ष्म दरारें और छिद्र को भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे दरारों में पानी के रिसाव को रोका जा सके। इसरो के अनुसार, यह इमारतों के तापमान को कम से कम 5-6 डिग्री सेल्सियस से कम रखने में मदद करता है।

क्लोरोफाईटम पालघाटेंस (CHLOROPHYTUM PALGHATENSE):

औषधीय पादप अनुसंधान, आर्य वैद्य शाला, कोट्टाकल, के वैज्ञानिकों ने पलक्कड़ जिले में धोनी पहाड़ियों से एक दुर्लभ प्रजाति के पौधे की खोज की है। इसे क्लोरोफाईटम पालघाटेंस **(Chlorophytum Palghatense)** नाम इसके खोज स्थल के कारण दिया गया है।

- यह पादप अस्परिगेसिये (Asparagaceae) परिवार की क लोरोफाईटम (genus Chlorophytum) प्रजाति से संबंधित हैI
- 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित धोनी और मुथिकुलम जंगलों की चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह पादप एक स्थानिक बारहमासी जड़ी बूटी है।
- सितम्बर से नवम्बर तक यह फूलता और फलता है।
- अफ्रीका और भारत भर में वितरित, क्लोरोफाईटम (Chlorophytum) प्रजाति से सम्बंधित 17 प्रजातियां भारत

VISION IAS

में है, जिनमें से 15 पश्चिमी घाट में पायी जाती हैं।

पौध संरक्षण संहिता (PLANT PROTECTION CODE)

पौध संरक्षण संहिता (PPC), चाय की खेती में रासायनिक आदानों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय है जो 1 जनवरी, 2015 को जारी हुआ था। इसका उद्देश्य भारतीय चाय को एक सुरक्षित और स्वस्थ पेय बनाना है।

- पीपीसी (PPC) एक व्यापक दस्तावेज है, जो फसल संरक्षण,उत्पाद के सुरक्षित उपयोग के साथ चाय में कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए उपयोग आने वाले विभिन्न तरीकों के संबंधित है।
- यह संहिता चाय उत्पादकों को प्लांट प्रोटेक्शन फार्मूलेशन (पीपीएफ), जो चाय उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की एक सूची है, की समीक्षा करने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- यह संहिता कोडेक्स एलिमेंटेरियस (Alimentarius) पर आधारित है, जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों और दिशा निर्देशों का एक समुच्चय है।
- पीपीएफ में कीटनाशकों, फफूंदनाशी, तृणनाशक और जैव-कीटनाशकों को शामिल किया गया।

चाय बोर्ड द्वारा विकसित पीपीएफ में दक्षिण भारत के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर, चाय बागानों में इस्तेमाल किये जा सकने वाले रसायनों विस्तृत उल्लेख है। चाय बोर्ड ने कहा कि संदूषण (contamination) को कम करने के लिए रसायनों के उपयोग को न केवल चाय बागानों में, बल्कि जल निकायों, वन्यजीवों के आवासों और मानव आवासों के आस-पास भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

चाय बोर्ड ने उल्लेख किया कि पीपीएफ का उपयोग करने के बावजूद, चाय उद्योग कीट, खर-पतवार और रोगों के कारण को अपनी फसल का लगभग 30 फीसदी हिस्सा खो देता है।

संपर्क रहित (CONTACTLESS) क्रेडिट और डेबिट कार्ड

विशेषताएं: यह सिर्फ कार्ड लहराने के द्वारा उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

इन कार्ड को स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं है।

इस्तेमाल टेक्नोलॉजी : ये कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक के आधार पर कार्य कर रहे हैं

लाभ

स्पीड : स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए गति में सुधार होगा। इसके अलावा, इन कार्डों से लेन-देन पूरा करने के लिए कम समय की आवश्यकता है।

सुरक्षा : कार्ड ग्राहक के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, इससे सुरक्षा में सुधार होगा।

खबर में क्यों है : आईसीआईसीआई बैंक ने गुड़गांव , मुंबई और हैदराबाद में भारत की पहली ' संपर्क रहित ' डेबिट और क्रेडिट कार्ड के शुभारंभ की घोषणा की। इन कार्ड को सभी व्यापारी टर्मिनल (जहाँ मशीन द्वारा लेन-देन किया जाता है) पर नियमित कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

नजदीक फील्ड संचार (NEAR FIELD COMMUNICATION)

यह क्या है : यह एक तकनीक है जो स्मार्ट फोन और अन्य उपकरणों को एक दुसरे से छूने या निकटता में लाने पर एक दूसरे के साथ रेडियो संचार स्थापित करने के लिए सक्षम बनाता है।

नजदीक फील्ड संचार (NFC) के मानक मौजूदा रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) के मानकों पर आधारित हैं।

वस्तुओं के बीच दूरी जो संवाद कर रहे हैं : 10 सेमी (3.9 inch) या कम

उपयोग: संपर्क-रहित भुगतान, एक दूसरे से फोन नंबर, इमेज आदि जैसे डेटा साझा करने के लिये सोशल नेटवर्किंग, पहचान पत्र, पहुंच (access) टोकन के रूप में ।

ब्लूटूथ से तुलना

Tag requires power	No	Yes
Cost of tag	6 Rs.	300 Rs
Frequency	13.56 MHz	2.4–2.5 GHz
Set Up time	< 0.1 s	< 6 s
Bit rate	424it/s	2.1 Mbit/s

डिजिटल गांव

आईसीआईसीआई बैंक गुजरात के साबरकांठा जिले के अकोदरा (Akodara) में 'आईसीआईसीआई डिजिटल गांव' बनाया है।

डिजिटल गांव की विशेषताएँ

- यह बैंकिंग, भुगतान, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए ग्रामीणों को स्सक्षम बनाता है।
- इस गांव में वित्तीय लेनदेन कैशलेस हैं, पाठ्य पुस्तकें कागज रहित हैं, बच्चे एलईडी मॉनिटर और टैब पर किताबें पढ़ते हैं, मरीज टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और वाई-फाई कनेक्टिविटी गांव भर में उपलब्ध है।

डिजिटल गांव पहल के तीन आयाम हैं

- सबसे पहला उपयोग बैंकिंग तक पहुँच को बढ़ाने और निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इससे तेजी से लेन-देन, अधिक बचत और क्रेडिट अवसर में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बिना नकद लेनदेन प्रणाली से काफी मात्रा में काले धन में कमी आयेगी।
- दूसरा ग्रामीणों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिएउसका प्रयोग करना है। इसमें स्कूल में उपस्थिति तथा स्कूल के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, 1 से 10 तक की पढ़ाई के लिए दृश्य-श्रव्य डिजिटल सामग्री भी शामिल है।

- तीसरा प्रौद्योगिकी की उपलब्धतासुनिश्चित के लिए, सूचना तक पहुँच बनाने और सूचना का प्रसार करने के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करना है। इसमें एक वाई-फाई टॉवर का उपयोग करके वाई-फाई के माध्यम से गांव में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना भी शामिल है। यह कृषि जिंसों की कीमतों से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी का उपयोग करने के लिए किसानों को सक्षम बनाता है।

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट

उडुपी जिला पंचायत ने सर्वसम्मति से पश्चिमी घाट के संरक्षण पर कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्ट की सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए संघ और राज्य सरकारों से आग्रह किया क्योंकि 38 गांवों के लोग रिपोर्ट के खिलाफ थे : उनका कहना है कि इससे गांवों में विकास में बाधा उत्पन्न होगी।

पश्चिमी घाट के संरक्षण पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट

- ईएसए (पश्चिमी घाट के 37%) में खनन, उत्खनन, रेत खनन, ताप विद्युत संयंत्रों, बड़ी बस्ती परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए :
- सभी अन्य बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनायें / योजनायें ईआईए (EIA) अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण संबंधी मंजूरी के अधीन होनी चाहिए।
- ईएसए के अंतर्गत आने वाले गांवों को भविष्य की परियोजनाओं पर निर्णय लेने में शामिल किया जाएगा। सभी परियोजनाओं को पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता होगी और ऐसी परियोजनाओं से गांव की ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।
- स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी घाट में जैविक खेती की दिशा में उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रित कार्यक्रम की सिफारिश पैनल ने की है।
- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESA) में सभी पर्यटन हॉटस्पॉट में पर्यावरण की स्थिति और विकास प्रतिबंध के अनुपालन के लिए नजर रखी जाये और प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

के. कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट की आलोचना

- पूरी रिपोर्ट उपग्रह चित्रों पर आधारित है, जो जमीनी वास्तविकताओं से कम मेल खाती है।
- पश्चिमी घाट के 37 प्रतिशत क्षेत्र को ESA के अंतर्गत घोषित करने के प्रस्ताव से स्थानीय समुदायों के बीच स्थानांतरण की आशंका उत्पन्न हुई है, हालांकि रिपोर्ट में केवल इन क्षेत्रों में खनन और तापीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
- समालोचकों का कहना है कि कस्तूरीरंगन समिति 63 प्रतिशत क्षेत्र में खनन और उत्खनन की अनुमति दी है (केवल 37% क्षेत्र ईएसए के अंतर्गत है) : इससे पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र शोषण के लिये खुल जायेंगे जिससे पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।
- माधव गाडगिल के अनुसार, पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने विकास और पारिस्थितिकी के संरक्षण के मामले में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के जन समर्थक और प्रकृति समर्थक रवैये को एक निरंकुश दृष्टिकोण के साथ बदल दिया है:

केन्द्रीय आतंकवाद-प्रतिरोधी तंत्र

जांच एजेंसियों ने उभरती आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के सन्दर्भ में और अधिक समन्वित कार्रवाई के लिए एक केंद्रीय आतंकवाद-प्रतिरोधी तंत्र की स्थापना की सिफारिश की है। इस आतंकवाद-प्रतिरोधी एकीकृत ढांचे में निम्नलिखित तत्व शामिल होगें-

- खुफिया जानकारी जुटाना
- विश्लेषण और प्रसार (dissemination) शाखा
- फोरेंसिक शाखाएं
- जांच और अभियोजन पक्ष शाखा

26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद तात्कालिक गृह मंत्री ने समन्वित आतंकवाद काउंटर ऑपरेशन के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद-प्रतिरोधी केंद्र (NCTC) की स्थापना का सुझाव दिया था। इसे गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (UAPA) की धारा 43 और 43A के तहत जांच और गिरफ्तारी का संचालन करने के लिए सशक्त किया जाएगा।

NCTC के विचार का कई राज्य सरकारों ने विरोध किया था; वे NCTC के खिलाफ निम्नलिखित तर्क दे रहे है:

- यह संघवाद की भावना के खिलाफ है:
- एजेंसी का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केन्द्र द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है:
- कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है:
- प्रस्तावित एजेंसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन कार्य करना पड़ेगा।

आतंकवाद से केवल पुलिस कार्रवाई के रूप में नहीं निपटना है बल्कि हमें ऐसे आतंकवाद रोधी संगठन की जरूरत है जो राजनयिक, वित्तीय, खुफिया जांच और पुलिस सहित राष्ट्रीय स्तर के सभी एजेंसी से समन्वय स्थापित कर सके। इसीलिए हमें एनसीटीसी जैसी आतंकवाद-प्रतिरोधी इकाई या इसी तरह के किसी संगठन की आवश्यकता थी।

पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों और वामपंथी उग्रवादियों की हिंसा के अलावा सीमापारीय आतंकवाद से निपटना अभी भी हमारे लिए चिन्ता का बड़ा विषय है। सरकार इस इकाई के गठन से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने वालों और उनके मास्टरमाइंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले।

हिम्मत ऐप (APP)

दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने एक मोबाइल एप्लीकेशन 'हिम्मत' को शुरू किया है।

यह ऐप महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति के मामले में पुलिस नियंत्रण कक्ष और उनके रिश्तेदारों को एक संकट कॉल (इमरजेंसी कॉल) भेजने में सहायता करेगा।

यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना देश का पहला एकीकृत ऐप है जिसके जरिए वारदात के दौरान ही पुलिस को अलर्ट किया जा सकता है: इस एप्लीकेशन में एक पावर बटन है जिसेको एक निश्चित समय तक दबाए रखने के बाद इलाके की पुलिस फौरन सक्रिय हो जायेगी: इस दौरान शिकायतकर्ता ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपी के खिलाफ सबूत भी तैयार कर सकती है: दुष्कर्म या छेड़छाड़ के दौरान इससे की गई रिकॉर्डिंग अहम सबूत हो सकती है :

दिल्ली पुलिस के अनुसार हिम्मत एप्लीकेशन की खासियत इसकी तेजी है जिसके जरिए शिकायतकर्ता और पुलिस कंट्रोल रूम कुछ सेकेंड में एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे और फिर लोकेशन ट्रैक करके पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाएगी : दुरूपयोग से बचने के लिए पुलिस ने हिदायत दी है कि अगर तीन बार हिम्मत एप का गलत इस्तेमाल किया गया तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

वर्तमान मे हिम्मत एप एंड्राएड फोनों के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस ऐप को आईफोन के लिए भी तैयार किया जाएगा। दिल्ली में बड़ी संख्या में महिलाएं प्राइवेट नौकरी करती हैं। इन नौकरियों में काम करने के घंटे शिफ्ट में बंटे रहते हैं। देर रात तक या पूरी रात शिफ्ट करने वाली महिलाओं को हिम्मत काफी मदद दे सकता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जांच इकाइयां

(IUCAW- INVESTIGATING UNITS ON CRIMES AGAINST WOMEN)

केंद्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ लंबित अपराधों के जल्द निपटारे के लिए अपनी ओर से नई पहल की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) (NHA) ने राज्यों के साथ 50:50 लागत की साझेदारी के आधार पर प्रत्येक राज्य के 20% जिलों में, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जांच इकाइयां (IUCAW) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में एक पत्र में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत अधिक अपराध की आशंका वाले जिलों में 150 ऐसी IUCAW इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

समर्पित IUCAW के उद्देश्य हैं

- उन्हें सोंपे गए मामलों की जांच करना;
- महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों, विशेषकर बलात्कार, दहेज हत्या, तेजाब हमला और मानव तस्करी जैसे मामले में राज्यों की जांच एजेंसी को समृद्ध करना,
- महिलाओं में आत्मविश्वास कायम करना और उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना :
- राज्य पुलिस बलों में लिंग-अनुपात (पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या) में सुधार करना, जो महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

ये इकाइयां कुछ अतिरिक्त कार्य भी करेंगी, जैसे:

- सकारात्मक पुलिस प्रणाली,
- खुफिया जानकारी जुटाना,
- संगठित अपराध से निपटना,
- विधायी प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी,
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच में जागरूकता और सामुदायिक तथा सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों यथा बलात्कार, दहेज-हत्या और एसिड हमलों के संबंध में राज्यों की जांच मशीनरी को मजबूत बनाना;

आईटी अधिनियम की धारा 69 A

क्या है: आईटी अधिनियम की धारा 69 A केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/उसके अधिकृत एजेंसी को, आवश्यकता होने पर किसी भी कंप्यूटर संसाधन से उत्पन्न, प्रेषित या संग्रहीत किसी भी जानकारी को अवरोधित करने, निगरानी करने या डिक्रिप्ट करने की शक्ति निम्न क्षेत्रों में प्रदान करती है

- भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में;
- भारत की रक्षा हेतु;
- राज्य की सुरक्षा हेतु;
- विदेशी राज्यों या सार्वजनिक वर्गों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों हेतु;

कब प्रयोग किया गया: इसका प्रयोग कर 32 वेबसाइटों को अवरुद्ध किया गया। सरकार ने इस कदम को इस आधार पर उचित ठहराया है कि इन वेबसाइटों को विरोधी राष्ट्रीय समूहों द्वारा जिहादी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया था।

आलोचना: यह खंड सरकार को मनमाने ढंग से संविधान के अनु. 19 (2) में परिकल्पित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए शक्तियां प्रदान करता है।

यूएनएचसीआर (UNCHR-शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त) की रिपोर्ट

शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर, 1950 को स्थापित किया गया था। यह एजेंसी दुनिया भर में शरणार्थियों की रक्षा और उनकी समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने के लिए नेतृत्व और समन्वय प्रदान करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शरणार्थियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह संस्था यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरण की तलाश करने के अधिकार का प्रयोग कर सके और स्वेच्छा से घर लौटने के विकल्प के साथ, दूसरे राज्य में सुरक्षित शरण ढूंढने, स्थानीय स्तर पर एकीकृत होने या किसी तीसरे देश में फिर से बसने की दिशा में प्रयास कर सके। इसे राज्यविहीन लोगों की मदद करने का शासनादेश (मैंडेट) दिया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर), ने अपनी वर्ष 2014 की मध्यावधि ट्रेंड्स रिपोर्ट में कहा है कि 55 लाख लोग जो नव-विस्थापित हुए थे उनमें से 14 लाख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर शरणार्थी बन गए तथा बाकी अपने ही देशों के भीतर विस्थापित हो गए।
- 2014 के पहले छह महीनों में 55 लाख लोग दुनिया भर से मुख्य रूप से मध्य पूर्व और अफ्रीका से विस्थापित हुए जिसका प्रमुख कारण इस बड़े भाग में युद्ध और हिंसा था। भारत इस अवधि के दौरान 2,00,000 से अधिक शरणार्थियों के लिए शरण स्थल बना।
- यूएनएचसीआर के अनुसार पहली बार सीरियाई लोग विश्व के सर्वाधिक रिफ्यूजी बन गए हैं, इससे पहले तीन से अधिक दशकों से अफगान जनसँख्या सबसे बड़े रिफ्यूजी का गठन करते थे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की इस संस्था का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया और सोमालिया के शरणार्थियों की सबसे अधिक संख्या है जो दुनिया के पलायनकर्ताओं की कुल संख्या से आधी है। संस्था का कहना है कि पलायनकर्ताओं में पचास प्रतिशत बच्चे भी शामिल हैं।
- पाकिस्तान, 1.6 लाख अफगान शरणार्थियों की मेजबानी के साथ सबसे बड़ा मेजबान देश बना हुआ है।

VISION IAS

- रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सीरिया संकट के परिणामस्वरुप शरणार्थी आबादी के क्षेत्रीय वितरण का एशिया और प्रशांत क्षेत्र से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में स्थानांतरण हुआ है।

भारत में शरणार्थी का दर्जा

- गुजरात के हिंदू शासकों ने पहली सहस्राब्दी में तत्कालीन फारस से आये पारसी समुदाय को बसने के लिए शरण दी।
- वर्तमान में, भारत में तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि संघर्ष क्षेत्रों ईरान, सोमालिया और सूडान जैसे स्थानों से शरणार्थी आते हैं। यूएनएचसीआर के अनुसार, भारत के भीतर रहने वाले शरणार्थियों की संख्या दो लाख के करीब है।

भारत में शरणार्थियों की कानूनी स्थिति

- शरणार्थियों से संबंधित विशिष्ट कानून के अभाव में सामान्य कानून, विदेशी अधिनियम, 1946 विदेशियों साथ-साथ शरणार्थियों पर भी लागू होता है।
- शरणार्थी के दर्जे का निर्धारण यूएनएचसीआर द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक शरण मांगने वाले को 'रिफ्यूजी' घोषित किया जाता है।

वर्तमान समस्यायें

- पहला, भारत शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र समझौते और 1967 के नयाचार (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल नहीं है। इस समय शरणार्थियों पर कोई राष्ट्रीय कानून भी नहीं है।
- दूसरा, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा हित भी प्रभावित हो रहा है तथा एक सुसंगत कानूनी संरचना के अभाव में यह सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न हो रहा है कि भारत में रहने वाले सभी गैर-नागरिकों के पास निश्चित प्रमाणपत्र है तथा उनका भारत में उनकी उपस्थिति का एक वैध कारण भी है।

कई लोगों ने शरणार्थियों और उनके अधिकारों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता की वकालत की है। भारत में, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती, की अध्यक्षता में 2002 में एक मॉडल कानून का मसौदा तैयार किया था। इसके पश्चात शरणार्थी संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार किया गया जो एक कानून के रूप में पारित करने के लिए राजनीतिक आम सहमति हासिल नहीं कर पाया।

वर्तमान अधिनियम में आवश्यक सुधार

- सबसे बड़ी आवश्यकता 'रिफ्यूजी' को परिभाषित करने की है ।
- सीमाओं पर शरणार्थी का दर्जा-निर्धारण के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का यह परिणाम होगा कि एक बार व्यक्ति को देश में शरणार्थी के रूप में दाखिल होने पर उसे एक लंबी अवधि का वीजा या एक शरणार्थी परमिट के जारी किए जाने की आवश्यकता होगी। यह परमिट या वीजा एक पहचान दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा और सरकार को रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करेगा।

सुझाये गए सुधारों से लाभ

- ये सुधार सरकार को अपनी बड़ी गैर-नागरिक आबादी के लिए अधिक से अधिक जवाबदेह बनाएगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था के हितों को आगे बढ़ाएंगे।
- शरणार्थियों को बुनियादी अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ लेने की अनुमति देगें।

निष्कर्ष

आने वाले दिनों में पड़ोसी देशों में क्षेत्रीय संघर्ष और आंतरिक अशांति में वृद्धि के कारण भारत में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। इसलिए यह उचित होगा कि एक व्यापक कानून हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय पहलुओं दोनों को संबोधित करे।

भारत को एक जिम्मेदार राज्य के रूप में क्षेत्रीय मिसाल स्थापित करते हुए शरणार्थियों के लिए कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहिए।

VISION IAS

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
◆ General Studies ◆ Geography
◆ Philosophy ◆ Essay
◆ Sociology ◆ Psychology
◆ Public Administration
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
● By renowned faculty and senior bureaucrats
● 25 Classes
● Regular Batch
Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course
@ JAIPUR Center
• Includes comprehensive & updated study material
• Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:
Starts : 7th Sep

संस्कृति

शास्त्रीय भाषा का दर्जा

साहित्य अकादमी की विशेषज्ञ समिति ने एक शास्त्रीय भाषा के लिए चार मापदंडो का उल्लेख किया है:

- पहला, प्रारंभिक ग्रंथों/ लिखित इतिहास की 1500-2000 से अधिक वर्षों की उच्च प्राचीनता।
- दूसरा, प्राचीन साहित्य / ग्रंथों का समूह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक बहुमूल्य विरासत माना जाता हो।
- तीसरा मापदंड है कि साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और दूसरे भाषाई समुदाय से उद्धृत नहीं होनी चाहिए।
- चौथा, शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग होना चाहिए, और शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या संस्करण के बीच विच्छिन्नता (discontinuity) भी हो सकती है।

निम्नलिखित छह भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है:

- तमिल (2004 में)
- संस्कृत (2005 में)
- तेलुगू (2008 में)
- कन्नड़ (2008 में)
- मलयालम (2013 में)
- उड़िया (2014 में)

लाभ

दिनांक 1 नवंबर 2004 के भारत सरकार के प्रस्ताव क्रमांक 2-16/2004-US (अकादमी) के अनुसार, ''शास्त्रीय भाषा'' के रूप में घोषित एक भाषा को ये लाभ प्राप्त होंगे:

- भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में श्रेष्ठ विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जायेंगे।
- 'शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता के केंद्र' की स्थापना की गयी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को - केंद्रीय विश्वविद्यालयों से शुरू करके - शास्त्रीय भाषाओं में श्रेष्ठ भाषा विद्वानों हेतु एक निश्चित संख्या के पेशेवर पद बनाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

विज्ञान कांग्रेस ने प्राचीन भारत के 'कार्यों' की प्रशंसा की

भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने ''संस्कृत के माध्यम से प्राचीन विज्ञान'' विषय पर एक संगोष्ठी करके इतिहास रच दिया। इसमें 'लगभग 9000 साल पहले भारत में अन्तर्ग्रहीय विमान के अस्तित्व' पर एक शोधपत्र, ''अंतरिक्षीय संपर्क'' का उल्लेख और एक घटना जिसे इंटर-पेनेट्रेसन नियम (inter-penetration law) की वजह से विज्ञान और अध्यात्म के मेल'' के रूप में समझाया गया, शामिल था।

- 800 ईसा पूर्व में लिखे शुल्व-सूत्र में, बौधायन ने ज्यामितीय सूत्र लिखा था जिसे अब मशहूर 'पाइथागोरस प्रमेय' के रूप में जाना जाता है। यह पाइथागोरस से 300 साल पहले बौधायन द्वारा लिखा गया था ।
- शुल्व-सूत्र में ही सबसे पहले 'पाई अनुपात' बताया गया था।

Environment Minister Prakash Javadekar at the 102nd Indian Science Congress in Mumbai on Sunday. – Photo: PTI

हड़प्पा स्थल पर खुदाई से आवास-योजना का पता चला

उत्तर प्रदेश में चंदायन के परवर्ती-हड़प्पा स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की खुदाई से, गंगा- यमुना दोआब में पहली बार मिट्टी की दीवारों, लगातार चार मंजिलों और खम्बा-गर्तों के साथ, एक घर की योजना का पता चला है।

शैल चित्र

केरल की मरयुर-चिनार वन-पेटी के शैल-चित्र, जहाँ दक्षिण भारत में गुफा चित्रों की दूसरी सबसे ज्यादा सघनता है, विकृत होने के उच्च जोखिम में हैं ।

वन पेटी में स्थित 50 से ज्यादा गुफाएं, प्रागैतिहासिक काल की मानी गई हैं।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

VISION IAS